सोमवार,
१० नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.12

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

सोमवार, १० नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ईरान के साथ वायरलैस करार तथा टिड्डी-विरोधी अभिसमय

*११६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ईरान के साथ वायरलैस करार करने तथा टिड्डी-विरोधी अभिसमय करने से सम्बन्धित वार्ताएं सफ़लतापूर्वक सम्पन्न हुई है ;

(ख) यदि हुई हैं तो इन करारों के निबन्धन क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उप-मन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : ईरान तथा भारत के बीच एक सीधी वायरलैस कड़ी स्थापित करने से सम्बन्धित सन्धि-वार्ताएं अभी चल रही हैं । टिड्डियों की रोकथाम से सम्बन्धित एक अभिसमय १४ अगस्त १९४७ को किया गया था ।

(ख) संक्षेप में इस अभिसमय के निबन्धन यह हैं कि मरूस्थल में टिड्डियों के फ़ैल जाने के वर्षों में भारत तथा ईरान की सरकारों द्वारा (१) टिड्डियों की उड़ान की दिशा का सुनिश्चयन करने के लिए पर्यालोकन केन्द्र खोले जायेंगे तथा टिड्डियों द्वारा अंडे देने के तुरन्त बाद ही उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जायगा जहां कि टिड्डियों ने अंडे दिये हों तथा उन क्षेत्रों के चार्ट बनाये जायेंगे । (२) टिड्डियों का हर अवस्था पर नाश किया जायगा (३) टिड्डियों की उड़ान की दिशा के सम्बन्ध में एक देश दूसरे देश को शीघ्र ही सूचना दे देगा (४) गत मौसि ों के दौरान में रेगिस्तानी टिड्डियों की हलचल तथा उन्हें रोकने की कार्यवाहियों से सम्बन्धित रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार प्रत्येक देश में पारस्परिक परामर्श के लिये सम्मेलन करना तथा अगले मौसिम में टिड्डियों को रोकथाम के लिये योजना तैयार करना (५) टिड्डियों की रोकथाम के समय विशेषज्ञों तथा दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक आयोग नियुक्त करना जो कि मौके पर जा के काम में लाये जाने वाले उपायों की जांच करेगा । तथा सम्बन्धित टैक्नीकल विभागों को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।

यह अभिसमय अनुसमर्थन के दिनांक से लागू होगा । तथा तीन वर्ष तक चलता रहेगा । ईरान की सरकार ने इसका अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है ।

सरदार हुक्म सिंह : आज तीन महीने पहले जबकि टिड्डियों ने राजस्थान तथा पंजाब के कुछ भागों पर आक्रमण किया क्या अभिसमय के किसी हस्ताक्षरकर्ता देश ने हमें इन टिड्डियों की उड्डयन दिशा

556 P.S.D.

के सम्बन्ध में अथवा अभिसमय में लिखी और किसी बात के सम्बन्ध में कोई सूचना दी ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभिसमय का अभी तक अनुसमर्थन नहीं हुआ है.......

सरदार हुक्म सिंह: ईरान द्वारा अथवा और किसी द्वारा ?

श्री अनिल के० चन्दा: ....परन्तु सूचना निस्सन्देह ही दी जाती है ।

सरदार हुक्म सिंह : किस देश ने हमें इस तरह की सूचना दी ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बर्मन : इस अभिसमय को छोड़ के क्या मध्य पूर्व देशों में टिड्डियों की रोकथाम के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था विद्यमान है; तथा यदि है तो उस संस्था के नियमों तथा विनियमों के साथ यह अभिसमय कहां तक संगत है ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख): टिड्डियों की रोकथाम के लिये एक सुस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था विद्यमान है जिसके निबन्धन सुविख्यात हैं ।

प्लैबड उद्योग के लिये विदेशी विशेषज्ञ

*११७ **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लैवुड उद्योग की विशेष टैक्नीकल समस्याओं को हल करने के लिये खाद्य तथा कृषि संघटन के साथ हुए अनुपूरक करार के अन्तर्गत विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं; तथा

(ख) क्या यह विशेषज्ञ पहुंच गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । एक प्लैवुड विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ।

(ख) यह विशेषज्ञ यहां पहुंच गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी और विशेषज्ञ के पहुंचने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी हां । चार और विशेषज्ञों के पहुंचने की आशा है । एक अंडमान के जंगलात विभाग के लिए है जो वहां नई आरा-मिलों पर काम शुरू करेगा । दूसरा लकड़ी से सम्बन्धित टैक्नीकल विज्ञान का विशेषज्ञ है । तीसरा लकड़ी के कुन्दों का विशेषज्ञ है तथा चौथा इमारती लकड़ी से सम्बन्धित इंजीनियरी का विशेषज्ञ है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को विशेष टैक्नीकल समस्याएं क्या हैं जिन के लिये कि इन विशेषज्ञों को आवश्यकता पड़ी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह एक व्यापक प्रश्न है । यह सत्य है कि प्लैवुड उद्योग की कुछ समस्याएं हैं । हाल ही में लोगों ने समाचारपत्रों में भारत में बनाये गये चाय-डिब्बों (खोखों) के सम्बन्ध में शिकायतें देखी होंगी । हो सकता है कि इस में कुछ अतिशयोक्ति हो । परन्तु जो प्लैवुड हम अपने चाय के डिब्बों में प्रयोग में लाते हैं उस में सुधार करने की गुंजाइश है । इसलिये हम ने प्लैवुड के निर्माण के सिलसिले में एक विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए कहा ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे कहने का यह आशय है कि क्या सामग्री को लकड़ी को क्वालिटी में सुधार करना है अथवा निर्माण-विधि में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्यवश मेरी इस सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी नहीं । मैं केवल इतना जानता हूं कि क्वालिटी सामान्यतय: असन्तोषजनक है । क्या क्वालिटी कार्यपटता के अभाव के कारण असन्तोष जनक है अथवा माल की खराबी के कारण अथवा दोनों के कारण असन्तोषजनक है

इस बात की जांच होनी चाहिये । तथा इन्हीं मामलों में विशेषज्ञ हमारी सहायता करता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अडमान में फ़ैक्टरी खोलने की प्रस्थापना को कार्यरूप दिया गया है अथवा क्या आप इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता है। मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह विशेषज्ञ किस देश से आया है अथवा आ रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में वह एक जर्मन है ।

श्री केलप्पन : क्या भारत में कोई प्लैवुड फ़ैक्टरियां नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुत सारी हैं ।

श्री केलप्पन : क्या उन के पास कोई विदेशी विशेषज्ञ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्टतय: उन के पास कोई नहीं है, नहीं तो हमें बाहर से लाने की कोई आवश्यकता न होती ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन विशेषज्ञों को भारत में कितनी देर ठहरने के लिये कहा गया है तथा क्या उन्हें खाद्य तथा कृषि संघटन को अथवा सीधे भारत को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि समय के बारे में अभी बातचीत करनी है । परन्तु आरम्भ में उन्हें यहां तीन महीने रहना होगा; तथा यदि आवश्यकता पड़े तो शायद हम उन्हें और अधिक समय के लिये रखेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार के कहने पर भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इन टैक्नीकल समस्याओं को हल करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रयत्न निरन्तर रूप से किया जा रहा है ।

पेच

***११८. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५२-५३ में पेच तैयार करने के लिये फ़ैक्टरियां खोलने की कोई परियोजनायें हैं ?

(ख) यदि हैं, तो क्या किसी जगह पर कोई फ़ैक्टरियां खोली जा रही हैं; तथा

(ग) भारत में इस समय पेचों का कुल उत्पादन क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) जनवरी–अगस्त, १९५२ के काल में ७४८,६१९ गुरूस ।

सरदार हुक्म सिंह : कितनी फ़ैक्टरियां अभी हाल ही में उत्पादन अवस्था पर पहुंची हैं तथा उनका कुल उत्पादन क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह सूचना विवरण में दी गई है । पांच फ़र्मों ने पहिले ही फ़ैक्टरियां खोली हैं तथा इन में नियमित उत्पादन का काम शीघ्र ही शुरू होगा । एक फ़र्म ने फ़ैक्टरी का निर्माण कार्य शुरू किया है तथा मशीनें आदि खरीदी हैं । दो शीघ्र ही उत्पादन अवस्था पर पहुंच रही हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : निकट भविष्य में जिन फ़ैक्टरियों को खोलने का विचार है, उन सभी का उत्पादन-सामर्थ्य क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्ततोगत्वा हमारा लक्ष्य ६,३१९,००० गरुस है जो कि ३१५९ टन के बराबर है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उत्तर भारत में भी कोई फ़ैक्टरी खोलने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फ़ैक्टरियां जिन स्थानों पर खोली जायेंगी, उन के नाम दिए गए हैं। मेरे विचार में एक आगरे में होगी यदि उसे उत्तर भारत का भाग मान लिया जाये। कुछ कलकत्ता में होंगी ।

श्री झुनझुनवाला : क्या बिहार में कोई फैक्टरियां खोलने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन आठ फैक्टरियों से कोई भी बिहार में नहीं खोली जायगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन फैक्टरियों में कोई विदेशी पूंजी भी लगाई जायगी अथवा केवल भारतीय पूंजी लगाई जायगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मेरा इस ओर ध्यान नहीं गया है। यदि हम आठ फैक्टरियों के नाम पढ़ लेंगे तो उन में से एक "ग्युस्त कीन विलियम्स लिमिटिड" है । यह निस्सन्देह विदेशी स्वामित्व की है। मुझे मालूम नहीं कि क्या दूसरी फैक्टरियां विदेशी हैं अथवा कि देशीय क्यों कि नामों से यह बात स्पष्ट नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार भी इन में कुछ दिलचस्पी ले रही है अथवा क्या इन्हें पूर्णतः प्राइवेट उद्यम पर छोड़ा जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, सरकार इस समय इन में कोई धन लगाने की स्थिति में नहीं है।

व्यापार-सन्तुलन

*११९. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम जुलाई से ले कर अब तक व्यापार-सन्तुलन की स्थिति क्या रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यापार-सन्तुलन के प्रतिकूल होने का कारण क्या है ?

श्री करमरकर : व्यापार-सन्तुलन की स्थिति में काफी कमी हुई है। हमारे घाटे में भी काफी कमी हुई है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि यह घाटा क्यों हुआ है तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि यह अपरिहार्य था।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष की प्रथम तिमाही में व्यापार-स्थिति क्या थी ?

श्री करमरकर : मैं सहर्ष यह सूचना दे देता, लेकिन मेरे पास यह इस समय मौजूद नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि अमेरिका से कर्जे के रूप में जो अनाज प्राप्त किया गया है क्या वह भुगतान सन्तुलन में दिखाया गया है ?

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह अनाज के आयात में कमी के कारण हुआ है ?

श्री करमरकर : निस्सन्देह यह भी एक कारण है ।

शार्टवेव ट्रांसमिटर

*१२०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार देश में

१०० किलोवाट वाले शार्टवेव ट्रांसमिटर स्थापित करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि रखती है, तो इन्हें कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ज्यों ही उपयुक्त स्थान तथा अन्य अपेक्षाएं जैसे कि विद्युत शक्ति, टेलीफोन लाइनें आदि उपलब्ध होंगी त्यों ही इसे यथा-सम्भव शीघ्र शुरू किया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय रेडियो में विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ५० तथा १० किलोवाट वाले बहुत से मीडियम वेव ट्रांसमिटर स्थापित करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता ह । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया गया है । ५० किलो-वाट तथा १० किलोवाट वाले ट्रांसमिटरों से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर पहिले भी दिया गया है ।

भारत में युद्ध-पूर्व जापानी सम्पत्ति

*१२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में जो युद्ध-पूर्व जापानी सम्पत्ति थी, उसका अधिकांश रूप से विक्रय किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है, तो इनके विक्रय से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) क्या वह धनराशि जापान की सरकार को लौटा दी गई है अथवा भारत सरकार के पास है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई के नियन्त्रण में जो जापानी सम्पत्ति थी, उसके विक्रय से २,२३,०४,००० रुपया वसूल किया गया है । ३३,५९,००० रुपये की परिसम्पत को अभी नहीं बेचा गया है ।

(ग) शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक के नियन्त्रण में सम्पूर्ण जापानी सम्पत्ति, जिस के मूल्य का अनुमान इस समय २,५६,६३,००० रुपये लगाया जाता है, का निपटारा भारत तथा जापान के बीच हुई शान्ति-सन्धि को क्रियन्वित करने की व्यवस्था के अनुसार होगा ।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन सम्पत्तियों को कैसे निपटारा किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसे कि मैं ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में निवेदन किया, शान्ति सन्धि को क्रियान्वित करने की व्यवस्था का अन्तिम निर्णय करने के बाद इसका निपटारा होगा, परन्तु जहां तक अन्य राजनयिक नियोजनों तथा उनकी सेवाओं का सम्बन्ध है, दरम्यानी काल में उन्हें वह बहाल की गई है । शेष का निपटारा करना अभी बाकी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या जापान की सरकार के साथ इस सम्बन्ध में कोई परामर्श किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में जापानियों से मश्वरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । हम ने टेंडर बुला के सम्पत्तियां बेच दीं ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने यह सारी सम्पत्ति खरीद ली है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसकी जानकारी नहीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : श्रीमान, क्या में जान सकता हूं कि क्या दूसरे देशों ने जिन्हों ने कि जापान के साथ शान्ति-सन्धि की हैं, जापानी सम्पत्ति वापस लौटा दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस की जानकारी नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : युद्ध-पूर्व जापान में भारतीयों के कब्ज़े में कुछ सम्पत्तियां थीं, उनका क्या हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह भी अभी अनिर्णीत पड़ा है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय नागरिकों ने जापानी फर्मों के विरुद्ध जो मुकदमे चलाये थे, क्या उनका निपटारा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्, जैसे कि मैं ने निवेदन किया, यह मामला भी अभी अनिर्णीत पड़ा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, क्या में जान सकता हूं कि क्या क्षतिपूर्ति के रूप में इन पर कब्जा किया गया है । ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दो देशों में युद्ध के बाद जब शान्ति-सन्धि होती है तो जब्त की हुई परिसम्पत मुक्त की जाती है तथा शान्ति-सन्धि की शर्तों के अन्तर्गत प्रत्येक देश को अपनी परिसम्पत वापस प्राप्त होती है । भारत में जापान की जब्त की हुई परिसम्पत तथा अलग रखी गई सम्पत्ति विशेष निबन्धनों के अन्तर्गत जापान के हवाले की जायगी तथा भारतीय परिसम्पत को भी, यदि वह जब्त की गई हो, भारत के हवाले किया जायगा । माननीय सदस्य ने सन्धि की शर्तों से देखा होगा कि हम ने किसी अग्रेतर प्रतिकर का दावा नहीं किया है । भूतकालमें हमें कुछ मिला है परन्तु आगे के लिये हम ने और कोई दावा नहीं किया है तथ्य तो यह है कि चाहे हम दावा करें अथवा न करें, इसके मिलने की बहुत कम सम्भावना है ।

नेपाल के तराई क्षेत्र में अराजकता

*१२२. **श्री एस० एन० दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के तराई क्षेत्र में अराजकता पर काबू पा लिया गया है; तथा यदि पा लिया गया है तो किस हद तक;

(ख) गड़बड़ के कारण जो लोग भारतीय क्षेत्र में आ गए थे, क्या वह वापस गए हैं; तथा

(ग) क्या व्यापार आदि बातों के सम्बन्ध में नेपाल की सीमा पर स्थिति सामान्य है ?

वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). यह सूचना मैं ने ५ नवम्बर को पूछे गये प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सिलसिले में दी है । मुझे उसके अतिरिक्त और कुछ कहना नहीं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अराजकता के दौरान में वहां रहने वाले भारतीयों को कुछ धन जन की क्षति हुई ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहा श्रीमान्, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह अराजकता कुछ राजनीतिक दलों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई थी अथवा प्रशासकीय नियन्त्रण के अभाव के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस प्रश्न का सम्बन्ध दूसरे देश के भीतरी मामलों से है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस गड़बड़ तथा अराजकता का कारण भारत-विरोधी भावना है जो कि नेपाल में फैली बताई जाती है।

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, श्रीमान।

अखिल-भारत रेडियो के लिय केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति

*१२३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेडियो के लिए नियुक्त केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति ने कार्य करना शुरू किया है;

(ख) यदि किया है, तो इसकी अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) समिति की महत्वपूर्ण सिपारिशें क्या हैं; और

(घ) इन में से किन सिपारिशों को कार्य रूप दिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) पहली बैठक ३ तथा ४ नवम्बर १९५२ को हुई।

(ग) तथा (घ). इस बैठक के कार्य विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा इसकी सिपारिशें अन्तिम रूप में समिति के अनुमोदन के बाद उपलब्ध होंगी।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में सामाजिक मनोरंजन, सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी प्रोपेगेंडा के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रमों के आवंटन में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

डा० केसकर : बैठक के कार्यवाही-विवरण को अन्तिम रूप दिया गया है तथा इसे सदस्यों में परिचालित किया गया है। जब तक कि हमें सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इसे सदन पटल पर नहीं रख सकूंगा।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति के पश्चात् स्थानीय सलाहकार समितियों को पुनर्गठित किया गया है अथवा किये जाने वाला है जिस से कि हर विचार धारा के प्रतिनिधियों को इन में लिया जा सके।

डा० केसकर : जी हां, स्थानीय सलाहकार समितियों को पुनर्गठित करने की एक प्रस्थापना है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिनेमा गीतों के प्रसारण के प्रश्न पर भी चर्चा हुई है; तथा यदि हुई है तो इस सम्बन्ध में क्या फैसला किया गया है ?

डा० केसकर : जी हां, श्रीमान्। समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया तथा इस ने उस कार्यवाही का पूर्णतया अनुमोदन किया है जो कि सरकार ने इस सम्बन्ध में की है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समिति ने विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर कलाकारों के चुनाव के लिए कोई कसौटी निश्चित की है ?

डा० केसकर : जी नहीं, श्रीमान्। इस समिति के लिये जो नियम बनाये गये हैं उन में यह निश्चित रूप से लिखा गया है कि समिति में कलाकारों के प्रश्न पर अथवा उनकी क्वालिटी पर कोई चर्चा नहीं की जायगी। वास्तव में यह काम अखिल भारत रेडियो द्वारा बनाई गई संगीत विशेषज्ञों की एक विशेष समिति के हाथ सौंपा गया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अखिल भारत रेडियो के प्रत्येक स्टेशन

पर इस समय कार्यक्रम सलाहकार समिति काम कर रही है ?

डा० केसकर : यह सलाहकार समिति है, कार्यक्रम सलाहकार समिति नहीं। यह एक सलाहकार समिति है जो स्थानीय स्टेशनों से सम्बन्धित विशेष मामलों पर चर्चा करती है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एडवाइज़री कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ?

डा० केसकर : इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति बहुत पहले जारी की गई थी तथा मेरे विचार में इसे सदन पटल पर भी रख दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं ।

सिन्दरी फैक्टरी के माल का विक्रय

*१२४. **श्री बंसल** : (क) क्या उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी कृषिसार फैक्टरी के माल के विक्रय के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

(ख) क्या किसी फर्म अथवा फर्मों को इस माल के बिकाऊ के लिए एजंट नियुक्त किया गया है ?

(ग) यदि किया गया है, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ?

(घ) एजंसी करारों के निबन्धन क्या हैं ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान ४ जून १९५२ को डा० एम० एम० दास द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के भाग (ग) के इस सदन में दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं । इस में अमोनियम सल्फेट के दाने तथा चूरे के विक्रय का उल्लेख किया गया था ।

मैसर्ज सिन्दरी फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटिड ने हाल ही में खुले बाजार में स्वतन्त्र रूप से सल्फेट का चूरा बेचना शुरू किया है ।

(ख) से (ग) तक प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री बंसल : क्या आई० सी० आई० ने किसी समय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि यह माल उन के द्वारा बेचा जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं ।

श्री बंसल : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान २० सितम्बर की "इकनामिक वीकली" पत्रिका के उस लेख की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया था कि जब कि सरकार अपने माल के लिये ऊंचे दाम ले रही है वह व्यवसायिक उत्पादकों को तुलनात्मक रूप से कम दाम देती है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने उस लेख को देखा है, परन्तु लेखक ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह दुरुस्त नहीं हैं ।

श्री बंसल : अन्तिम उपभोक्ता को इस अमोनियम सल्फेट के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : अन्तिम मूल्य भाड़े तथा अन्य प्रासंगित व्यय पर निर्भर करता है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सिन्दरी में तैयार किये गए उर्वरक के मूल्य में तथा आयात किये गये उर्वरक के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री के० सी० रेड्डी : आयात किये गये उर्वरक का मूल्य सिन्दरी में तैयार किये गए उर्वरक के मूल्य से अधिक है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में फर्क कितना है ।

श्री के० सी० रेड्डी : आयात किये गये उर्वरक का मूल्य लगभग ४०० रुपये प्रति

टन है जबकि सिन्दरी में बने माल का मूल्य अब ३५० रुपये प्रति टन है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सत्य नहीं कि सिन्दरी फैक्टरी का नया सलाहकार बोर्ड सरकार को यह मश्वरा दे रहा है कि वहां जो भी सहाय उद्योग खोले जा सकते हैं वह प्राइवेट पार्टियों के हाथ सौंपे जाने चाहियें ।

श्री के० सी० रेड्डी : इस बोर्ड की यह सलाह नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सत्य है कि वहां जो कैलशियम कार्बोनेट एक उप-उत्पाद के रूप में तैयार किया जा रहा है वह डेन्मार्क के कुछेक विशेषज्ञों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया था तथा उन्होंने कहा है कि यह उप-उत्पाद सीमेंट बनाने में काम आ सकता है, तथा इस सलाह के बावजूद यह कैलशियम कार्बोनेट सलाहकारों के, जोकि अधिकांश रूप से उद्योगपति हैं, मश्वरे पर एसोसियेटिड सीमेंट्स को नाममात्र मूल्य पर दिया जाता है ।

श्री के० सी० रेड्डी : इस से एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न उत्पन्न होता है--अर्थात् कैलशियम कार्बोनेट को कैसे उपयोग में लाया जाता है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि एसोसियेटिड सीमेंटस को यह कैलशिमय कार्बोनेट नाममात्र मूल्य पर नहीं अपितु मुनाफे पर बेचा जाता है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सिन्दरी में बने अमोनियम सल्फेट के मिल-मूल्य में तथा इंगलैण्ड अथवा अमेरिका में बने अमोनियम सल्फेट के मिल-मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री के० सी० रेड्डी : **मैं इसका सीधे उत्तर नहीं दे सकता हूं । यदि मुझे पूर्वसूचना दी जाये तो मैं आंकड़ों को मिला के उत्तर दे दूंगा ।**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गन्धक

*१२५. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्धक बनाने के लिए देशीय सोनामक्खी को वैकल्पिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(ख) १९४९-५० तथा १९५०-५१ के वर्षों में गन्धक की निम्नतम अपेक्षाएं अलग अलग क्या थीं ?

(ग) इन वर्षों में किन किन देशों से कितना कितना कच्चा गन्धक आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः गन्धक का तेज़ाब बनाने में गन्धक के स्थान पर देशीय सोनामक्खी प्रयोग में लाने की बात कर रहे हैं । बिहार में स्थित अजमोर खानों से प्राप्त सोनामक्खी को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के संयंत्रों में गन्धक के स्थान पर जलाने की व्यवस्था की गई है यह फर्में इस उद्देश्य के लिये विशेष मशीनें लग रही हैं ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि गन्धक का तेज़ाब बनाने वाले कितने कारखानों में सोनामक्खी को काम में लाने का प्रयोग किया गया है तथा परिणाम क्या निकला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पैरी एंड को० मद्रास, धर्मसे मुरार जी केमिकल को० बम्बई तथा बंगाल केमिकल एंड फार्मस्यूटिकल वर्कस कलकत्ता ने प्रयोग किये हैं तथा परिणाम उत्साहजनक बताये जाते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं कि चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अमेरिकन विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई थीं तथा यदि की गई थीं तो उसकी सिपारिशें क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, खड़िया मिट्टी, सोनामक्खी आदि पदार्थों से गन्धक तथा गन्धक का तेजाब बनाने के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ की सेवाओं से फायदा उठाया गया । उस ने एक रिपोर्ट पेश की है तथा इस रिपोर्ट के अधिकांश भाग का सम्बन्ध गन्धक वाली गैसों के प्रयोग से है जोकि इस समय इंडियन कापर कार्पोरेशन की फैक्टरी में नष्ट होते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि गन्धक, अमेरिका तथा अन्य देशों से आयात किया जाता है तथा दूसरे देशों के सम्बन्ध में गन्धक का आयात बढ़ गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि अमेरिका तथा अन्य देशों के मूल्यों में फर्क कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं मूल्यों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा, परन्तु गन्धक के सम्बन्ध में स्थिति यह है । गन्धक एक ऐसा पदार्थ है जो अन्तर्राष्ट्रीय पदार्थ (मेटीरिल्ज) सम्मेलन द्वारा आवंटित किया जाता है तथा गन्धक अमेरिका में सब से सस्ता मिलता है क्योंकि यह वहां 'फ्राश आदेशिका' द्वारा तैयार होता है जोकि गन्धक की प्राप्ति के लिये सब से सस्ता तरीका है । हम अन्तर्राष्ट्रीय पदार्थ सम्मेलन के आवंटन का फायदा उठाते हैं । हम अन्य स्थानों से भी गन्धक खरीदते हैं बशर्तेकि अन्तर्राष्ट्रीय पदार्थ सम्मेलन हमें गन्धक आवंटित करता है; यद्यपि इसके लिए हमें अधिक मूल्य भी चुकाना पड़ता है । प्रायः यह होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हम जो भी गन्धक खरीदते हैं उस की कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका के गन्धक से ६० से ले कर ८० प्रतिशत तक अधिक होती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सोनामक्खी से गन्धक निकालने के जो प्रयोग किये गये हैं क्या उनके परिणामों को दृष्टि में रखते हुए सरकार गन्धक का आयात कम करने की आशा रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार मनुष्यों द्वारा चलाई जा रही है, तथा प्रत्येक मनुष्य में जब तक सांस है तब तक आस है ।

श्री मेघनाद साहा : भारतीय सोनामक्खी से गन्धक निकालने के लिए क्या हमारी किसी भी राष्ट्रीय प्रयोग शाला में कोई प्रयोग किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन फैक्टरियों में हो रहे प्रयोगों के अलावा ?

श्री मेघनाद साहा : जी हां ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस के लिए पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार इस विचार से सहमत नहीं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में उन्हें प्राइवेट फर्मों पर निर्भर न रह कर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को यह प्रयोग करने के लिए कहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप एक राय दे रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह इनका कर्तव्य नहीं है कि यह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को यह प्रयोग करने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारी गन्धक अमेरिका तथा अन्य देशों से आयात करनी पड़ती है, क्या भारत में गन्धक बनाने के लिए वही विधि अपनाने की कोई कोशिश की जा रही है जोकि

ब्रिटेन में अपनाई गई है अर्थात् मलमूत्र के पानी से विशेष क्रिया द्वारा गन्धक बनाने की विधि ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस की जानकारी नहीं ।

टायरों की कीमतें

*१२६. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में मैसर्ज़ डन्लप टायर कम्पनी तथा गुड इयर टायर कम्पनी द्वारा जो 'हैवी ड्यूटी' तथा अन्य ट्रक टायर और स्टैण्डर्ड साइज़ के मोटर कार टायर तैयार किये जाते हैं उनके चालू मूल्य क्या हैं ?

(ख) इन मूल्यों में तथा ब्रिटेन में इन्हीं वस्तुओं के लिए चालू मूल्यों में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]

श्री वी० पी० नायर : क्या इन फर्मों में भारतीय पूंजी भी कुछ लगी हुई है, तथा यदि लगी हुई है तो कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि डन्लप रबड़ कम्पनी में कुछ भारतीय पूंजी लगी हुई है, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कितनी प्रतिशत पूंजी भारतीय है ।

श्री वी० पी० नायर : इन फर्मों द्वारा ब्रिटेन में जो रबड़ खरीदा जाता है उसके मूल्यों में तथा भारत में कच्चे रबड़ के मूल्यों में कितना अन्तर है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह मालूम नहीं कि क्या यह फर्में भारत में माल तैयार करने के लिए ब्रिटेन में कच्चा रबड़ खरीदती हैं ।

श्री वी० पी० नायर : भारत में श्रम तथा कच्चे माल की सस्तगी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई पग उठाया है कि भारत में रबड़ के टायर क्यों महंगे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की है । मेरे माननीय मित्र ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि सरकार ने तटकर आयोग को इन टायर कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये मोटरकार टायरों तथा साइकल टायरों के मूल्यों की जांच करने के लिए कहा है । माननीय सदस्यों को शायद यह भी मालूम होगा कि निर्देश-निबन्धन बहुत ही विस्तृत हैं । यह तटकर आयोग को मामले की तह तक जाने का अधिकार दे देता है । मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि जब तटकर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो यह सभी सम्बन्धित पक्षों के लिए सन्तोषजनक होगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार के पास यह जानने के लिये कोई व्यवस्था है कि यह विदेशी फर्में कितना लाभ यहां कमा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, हमारे पास यह व्यवस्था है। तथा यह व्यवस्था तटकर आयोग है । हम ने यह काम तटकर आयोग को सौंपा है । जब यह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो हमें मालूम होगा कि स्थिति क्या है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि इन समवायों द्वारा जो रबड़ का माल तैयार किया जाता है, क्या उसके मूल्यों पर सरकार ने नियन्त्रण रखा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भूतकाल में कोई नियन्त्रण नहीं था । परन्तु यह मामला बार बार सरकार को निर्दिष्ट किया गया था जहां जहां अधिक कीमत वसूल करने की अनुमति थी, वहां सरकार को इसका ज्ञान

था तथा उस ने इसकी अनुमति दी है। परन्तु अब यह सारा मामला टटकर आयोग के हाथ सौंपा गया है। तटकर आयोग की जांच का परिणाम क्या निकलेगा, हम इसकी प्रतीक्षा करेंग ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फर्मों ने गत वर्ष कितने लाभांश की घोषणा की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह विस्तार की बातें हैं ।

श्री के० के० बसु : गत वर्ष जो कीमतें बढ़ा दी गई थीं, उसके कारण क्या थे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में गत सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था--उत्तर तो मुझे याद नहीं । माननीय सदस्यों को वह प्रश्न बार बार नहीं पूछने चाहियें जोकि पहले पूछे गए हों ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : तटकर आयोग की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केवल एक सप्ताह पहले यह मामला तटकर आयोग के हाथ सौंपा गया, तटकर आयोग को इस बात का निश्चय करना है कि इसके कितने सदस्य यह जांच करेंगे अथवा क्या उन्हें किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी । उन्हें कर्मचारीवर्ग को नियुक्त करना होगा । इन सभी बातों में बहुत सा समय लगता है। माननीय सदस्यों की तरह मैं भी इस सम्बन्ध में उत्सुक हूं, परन्तु इस में कोई चारा नहीं है ।

मारिशस में भारतीय

***१२७. श्री पी० टी० चाको** : क्या प्रधान मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारिशस में लगभग कितने भारतीय रहते हैं;

(ख) वहां की कुल जनसंख्या में भारतीयों का कितना प्रतिशत भाग है; तथा

(ग) मारिशस के विधान मण्डल में कुल कितने भारतीय हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) (क) ३,२०,००० :

(ख) ६४ प्रतिशत

(ग) ३५ सदस्यों के सदन में कुल १३ भारतीय हैं जिन में ११ निर्वाचित हैं तथा २ मनोनीत हैं ।

३५ सदस्यों में से चार सरकारी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति हैं, १२ ग़ैर सरकारी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति हैं तथा १९ निर्वाचित हैं।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मारिशस में गरीब भारतीयों से प्रति शीर्ष रिहाइशी-कर लिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं। परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं अवश्य ही पूछ ताछ करूंगा।

श्री पी० टी० चाको : क्या वहां हमारा कोई प्रतिनिधि है ।

श्री अनिल के० चन्दा : हमारा वहां एक कमिश्नर है ?

श्री बूवराघसामी : क्या मारिशस में भारतीयों की कुछ स्थान (सीटें) आवंटित की गई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने यह संख्या दी है --११ निर्वाचित हैं तथा २ नाम निर्दिष्ट हैं ।

श्री ए० के० बसु : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या भारतीयों के लिए कोई स्थान रक्षित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप अत्यधिक रूप से विस्तार में जा रहे हैं ।

सिन्दरी फैक्टरी के उप-उत्पाद खड़िया मिट्टी के विक्रय के लिए ठेका

*१२८. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सिन्दरी फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल लिमिटिड ने खड़िया मिट्टी के विक्रय के सम्बन्ध में एक सीमेंट कम्पनी के साथ ठेका किया है ?

(ख) यदि किया है, तो यह कौन सी सीमेंट कम्पनी है, क्या यह विदेशी है अथवा भारतीय; इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है तथा प्रस्तुत पूंजी कितनी है; इसके डायरेक्टर कौन हैं तथा यह कितने समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त सीमेंट फ़ैक्टरी शीघ्र ही सिन्दरी में सीमेंट बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है ?

(घ) यह फ़ैक्टरी कब खोली जायगी, इसकी लागत क्या होगी, इसके लिए मशीनरी कहां से मंगाई जा रही है, इसका अनुमानित उत्पादन क्या होगा तथा सरकार इसकी स्थापना में क्या सहायता दे रही है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) कम्पनी का नाम मैसर्ज़ एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटिड, बम्बई है । यह एक भारतीय कम्पनी है जोकि वर्ष १९३६ में निगमित की गई है । इसकी अधिकृत तथा प्रस्तुत पूंजियां क्या हैं, इसके डायरेक्टरों के नाम क्या हैं, यह जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) जी हां ।

(घ) आशा है कि कुल अनुमानित उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग तैयार करने वाला संयंत्र लगभग ढाई वर्ष में लगाया जायगा । प्रारम्भ में अनुमानित उत्पादन ३०० टन सीमेंट प्रतिदिन होगा जोकि बाद में दुगना किया जायगा । सरकार को संयंत्र की लागत के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं तथा न ही इसे यह मालूम है कि मशीनें कहां से आयात की जायेंगी ।

प्रस्थापित सीमेंट फ़ैक्टरी को सरकार की ओर से कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जा रही है परन्तु मैसर्ज़ सिन्दरी फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स इसे उपयुक्त शर्तों पर भूमि-जल तथा विद्युत के सम्बन्ध में सुविधायें दे देगी ।

श्री तुषार चटर्जी : यह उप-उत्पाद एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज़ को किस दाम पर बेचा जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : एसोसिएटिड सीमेंट्स को केलशियम कार्बोनेट ९ रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जायगा ।

श्री टी० के० चौधरी : खुले बाज़ार में बेचे जाने वाले केलशियम कार्बोनेट के मूल्य में तथा इस मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह सूचना तत्काल ही नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि दूसरी कम्पनियों को किस मूल्य पर केलशियम कार्बोनेट मिलता है । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने चालू मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर के तथा इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर के इस करार का सम्पादन किया है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मन्त्री सदन को यह बतला सकेंगे कि सिन्दरी फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी से जो लगभग आध दर्जन उप-उत्पाद उद्योग खोले जा सकते हैं, उन्हें सिन्दरी फ़ैक्टरी के सलाहकार क्यों प्राइवेट पक्षों के हाथ देना चाहते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस से एक सर्वथा भिन्न प्रश्न उत्पन्न होता है । माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्नों के रूप में समस्त उप-उत्पादों के उपयोग का प्रश्न उठाते हैं––मैं निवेदन करता हूं कि यह इस से उत्पन्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही विस्तत प्रश्न है ।

श्री० वी० पी० नायर: खड़िया मिट्टी के विक्रय के सम्बन्ध में क्या यह संविदा वार्ता द्वारा हुआ था अथवा इसके लिए टैंडर बुलाए गए थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसके लिए बातचीत हुई थी ।

श्री वी० पी० नायर : इस संविदा को विज्ञापित क्यों नहीं किया गया था अथवा इसके लिए टैंडर क्यों नहीं बुलाए गये थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : सभी महत्वपूर्ण सीमेंट कम्पनियों से मश्वरा किया गया था तथा टैंडर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : एक पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री ने बताया था कि निश्चित किया गया मूल्य मुनाफ़े का मूल्य है । क्या मैं जान सकता हूं कि ९ रुपये प्रति टन का मूल्य किस आधार पर मुनाफ़े का मूल्य माना जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह तर्क वितर्क तथा अति विस्तार की बातें हैं । हमें बहुत से प्रश्नों का निपटारा करना है । माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमें इस सारे घंटे में केवल एक ही प्रश्न का निपटारा नहीं करना होता है । माननीय सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा बाद में इस के आधार पर तर्क दिए जा सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह माल कथित मूल्य पर उसी स्थान पर उपलब्ध किया जायगा अथवा रेलवे तक पहुंचा कर उपलब्ध किया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : केलशियम कार्बोनेट की सम्पूर्ण मात्रा फ़ैक्टरी के समीप है, तथा प्रस्थापित सीमेंट फ़ैक्टरी भी वहीं खोली जायगी ।

सिन्दरी फ़र्टिलाइज़र फैक्टरी में विदेशी विशषज्ञ का आगमन

*१२९. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि औद्योगिक सम्पर्क के एक विदेशी विशेषज्ञ ने सिन्दरी फ़र्टि-लाइज़र फ़ैक्टरी का अवलोकन किया था ?

(ख) यदि किया था, तो वह कौन था, वह कहां से आया था तथा उसकी अर्हताएं तथा पूर्व अनुभव क्या था ?

(ग) उसे भारतीय उद्योग की परिस्थि-तियों तथा भारतीय श्रमिकों के जीवन का कहां तक परिचय था ?

(घ) क्या उक्त विशेषज्ञ ने भारत सरकार को कोई सलाह दी है ?

(ङ) क्या उसकी सिपारिशों को सदन पटल पर रखा जायगा ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) तक । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पी० टी० आई० द्वारा ४ सितम्बर को दिये गये समाचार को देखा है जिसे कि "देहली एक्स-प्रेस" ने भी प्रकाशित किया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे विचार में माननीय सदस्य का प्रश्न श्री पंखुर्स्ट, जोकि ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी हैं, के आगमन से सम्बन्ध रखता है । यह अधि-

कारी वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के निमन्त्रण पर सरकार को विकास परिषदों की स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये यहां आया था। औद्योगिक सम्पर्कों के बारे में वह अपनी राय देने के लिए नहीं आया था। यह सत्य है कि वह सिन्दरी भी गया था।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उस समाचार पत्र में यह समाचार देखा है। इसमें यह निश्चित रूप से कहा गया था कि श्री पंखुर्स्ट औद्योगिक सम्पर्कों के प्रश्न पर मश्वरा देने के लिए यहां आये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह बात सही नहीं। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वह विकास परिषदों की रचना के सम्बन्ध में यहां आये हैं; औद्योगिक सम्पर्कों के प्रश्न पर सलाह देने नहीं आये हैं।

श्री के० के० बसु : क्या उन्होंने कुछ सिपारिशें की हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री के० के० बसु : विकास परिषदों की रचना के बारे में। उन्होंने देखा होगा...

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है।

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, उन्हों ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है, केवल अपने विचारों का एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया है।

ब्रिटेन को निर्यात

*१३०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन वस्तुओं में ब्रिटेन ने १९५२ में अपनी अपेक्षाओं का ५० प्रतिशत से अधिक भाग भारत से आयात किया ?

(ख) १९५१ तथा १९५२ में उस ने भारत से कितनी तथा कितने मूल्य की यह वस्तुएं आयात कीं ?

(ग) ब्रिटेन को यह वस्तुएं निर्यात करने में भारत के मुख्य प्रतियोगी देश कौन हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक। इस प्रश्न का सम्पूर्ण तथा सही उत्तर देना सम्भव नहीं है, परन्तु एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है जिस में चाय, पटसन के सामान, नारियल की जटा से बनी चटाइयों, लाख, कालीन तथा गलीचों, अबरक तथा अबरक से बनी चीज़ों, चमड़ा तथा खालों आदि के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८**]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि चमड़ा तथा चमड़े से बनी हुई वस्तुओं की निर्यात मात्रा में कमी क्यों हुई है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में यह कमी अस्थायी है। हम यह देखने के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या स्थिति स्थिर हो रही है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : चार्ट में दी गई बहुत सी वस्तुओं के निर्यात में कमी का कोई विशेष कारण है अथवा यह केवल इन दो वर्षों में अन्तर है ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को मालूम है कि विश्व बाज़ार में थोड़ी मन्दी आ गई है। गत वर्ष तथा इस वर्ष में तुलना करने पर मैं इस धारणा पर पहुंचा हूं कि बहुत सी वस्तुओं के बारे में हमारा निर्यात गत वर्ष के निर्यात से कम नहीं। शेष के सम्बन्ध में किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें वस्तुस्थिति का और कुछ समय के लिए अध्ययन करना होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : चार्ट से पता चलता है कि जहां पटसन से बने कपड़े के निर्यात में कमी हुई है वहां पटसन के बोरों तथा बोरियों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। क्या इसका कारण यह है कि पाकिस्तान से जो पटसन प्रदाय किया गया था वह घटिया किस्म का था.....

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक प्रश्न है। हम इन प्रश्नों का इस समय उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री राघवय्या : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया है कि हम अबरक तथा अबरक से बनी चीज़ें भी ब्रिटेन को निर्यात करते हैं। क्या अबरक की छीलन भी इस में शामिल है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसके लिए पूर्व-सूचना चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यहां से अच्छी किस्म की चाय भेजने के बावजूद क्या यह सत्य है कि ब्रिटेन अब लंका से अधिक चाय आयात करने का विचार रखता है ?

श्री करमरकर : ब्रिटेन के आयात में कमी की कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है तथा इसका आंशिक कारण लंका की चाय है—परन्तु यह केवल एक आंशिक कारण है।

निष्क्रान्त सम्पत्ति विवाद

***१३१. श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान के पुनर्वास मन्त्री ने हाल ही में एक वक्तव्य द्वारा इस बात पर घोर विरोध प्रकट किया है कि भारत सरकार मुस्लिम निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति का स्वामित्व अधिकार समाप्त करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या ऐसी कोई कथित प्रस्थापनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ग) क्या निष्क्रान्त सम्पत्ति विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिए भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच कोई समझौते की बातचीत चल रही है ?

(घ) क्या कुछ समाचार पत्रों में छपे इस समाचार में कोई सच्चाई है कि भारत सरकार ने प्रस्थापना की है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के हाथ निर्णय के लिए सौंपा जाये ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). माननीय सदस्य का ध्यान ५ नवम्बर १९५२ को श्री ए० एस० टामस द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गए विवरण की ओर दिलाया जाता है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार को कोई ऐसी प्रस्थापना पेश की है ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य विवरण को देख लें। मैंने इन सारी बातों का विवरण में उल्लेख किया है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : सरकार इस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ शीघ्र ही हल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ ही सप्ताह हुए जब कि हम ने पाकिस्तान सरकार को इस बारे में लिखा, तथा हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद इस समय इस से अधिक कुछ करना अपेक्षित नहीं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या माननीय मन्त्री सदन को बता सकेंगे कि सरकार ने

हाल ही में इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को क्या लिखा है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं ने एक पूर्ण विस्तृत विवरण दिया है । यह विवरण सवा दो पृष्ठों पर है ।

श्री गिडवानी : सरकार कब तक उत्तर की प्रतीक्षा करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : उचित समय तक ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच विद्यमान नई पारपत्र प्रणाली को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या पूर्वी बंगाल में स्थिति निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में भी कोई बातचीत की जायगी ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या माननीय मन्त्री चर्चा के क्षेत्र को पूर्वी बंगाल तक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं इसका कारण जान सकती हूं ?

श्री ए० पी० जैन : क्योंकि पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित सम्पत्तियां भिन्न प्रकार की हैं तथा हम ने पाकिस्तान को जो प्रस्थापना पेश की है उसका सम्बन्ध केवल पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित सम्पत्तियों से है, जिन पर कि १९५० का निष्क्रान्त सम्पत्ति कानून लागू होता है ।

सरकारी गृह-निर्माण फैक्टरी

*१३३. **प्रो० अग्रवाल** : (क) क्या उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकारी गृह-निर्माण फैक्टरी के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा फर्म बैसाख सिंह लिमिटिड के बीच एक करार हुआ है ?

556 PSD

(ख) यदि हुआ है, तो इस करार के निबन्धन क्या हैं ?

(ग) इस गृह-निर्माण फैक्टरी का उत्पादन कार्यक्रम क्या है तथा इस में क्या क्या चीजें तैयार किये जाने की आशा है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). मैं माननीय सदस्य का ध्यान १५ सितम्बर १९५२ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाता हूं । इसकी एक प्रति सदन पटल पर भी रख दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९**] चूंकि करार पर अभी औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस के निबन्धन नहीं बता सकता हूं ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फर्म बैसाखसिंह लिमिटिड एक प्राइवेट समिति समवाय है अथवा सार्वजनिक समिति समवाय है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक प्राइवेट समिति समवाय है ।

प्रो० अग्रवाल : इस की प्रस्तुत पूंजी क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इसकी पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बातचीत के दौरान में उस भूमि के मूल्य को भी ध्यान में रखा है अथवा ध्यान में रख रही है जो कि इस समवाय को यह कारखाना खोलने के लिये पट्टे पर दी जायगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : निस्सन्देह सरकार ने इसे ध्यान में रखा है ।

श्री सारंगधर दास : बैसाख सिंह लिमिटिड को यह फैक्टरी सौंपने से पूर्व जिन समितियों ने इस की जांच की थी, क्या सरकार उन की दो रिपोर्टें सदन पटल पर रख सकेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह मूलगांवकर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वक्तव्य देने से पूर्व उसे इस पर विचार करना होगा ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सत्य है कि भारत सरकार का एक अग्र सेवानिवृत्त अधिकारी बैसाख सिंह लिमिटिड समवाय से सम्बन्धित है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं ।

विदेशों में भारतीय बन्धी

*१३४. **जजवाड़े** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों में राजनीतिक कारणों के लिए कितने भारतीयों को बन्दी बना लिया गया है तथा नजरबन्द रखा गया है तथा सरकार ने उन्हें मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्यों ही यह उपलब्ध होगी त्यों ही इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन

*१३५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कस्तूरभाई समिति ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन आदि बातों के सम्बन्ध में जो सिपारिशें तथा सुझाव दिये थे उन में से सरकार ने कौन सी स्वीकृत कीं तथा क्रियान्वित की हैं ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस समिति की सिपारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गई थी तथा इस ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह समिति नवम्बर १९५१ में नियुक्त की गई थी तथा इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त १९५२ में पेश की ।

श्री एस० एन० दास : सरकार कब तक इस पर अपना निश्चय करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : एक महीने से अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या अन्तर्काल में केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि माननीया सदस्या ने पहले ही इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन भेजा है, तथा इस पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : इस समिति की महत्वपूर्ण सिपारिशें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन सिपारिशों को यहां पढ़ कर सुनाने से बेहतर यह होगा कि उसको इस रिपोर्ट में ही पढ़ लिया जाय ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से किसी सिपारिश को मन्त्रालय ने पहले ही क्रियान्वित किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इन सिपारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है । इन में से कोई भी सिपारिश अभी क्रियान्वित नहीं की गई है । परन्तु जैसे कि मैं ने पहले ही बताया है, इन में से कुछेक सिपारिशों को लगभग एक महीने में क्रियान्वित किया जा सकता है ।

उद्योगों के लिये विकास परिषद

* १३६. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९५२ में उद्योगों से सम्बन्धित केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की पहली ही बैठक में यह निश्चय किया गया था

कि सात उद्योगों के सम्बन्ध में विकास परिषदें स्थापित की जायेंगी ;

(ख) यदि किया था, तो क्या इन सात उद्योगों के सम्बन्ध में विकास परिषदें स्थापित की गई हैं; और

(ग) इन विकास परिषदों ने अब तक क्या काम किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री सारंगधर दास : केन्द्रीय विकास परिषदें किन किन उद्योगों के सम्बन्ध में स्थापित की गई हैं ? क्या चीनी उद्योग भी उन में से एक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर 'अभी नहीं' है ।

मूल्य सलाहकार बोर्ड

*१३७. **श्री बंसल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या मूल्यों को निश्चित करने के सम्बन्ध में तथा 'वस्तु प्रदाय तथा मूल्य अधिनियम' से सम्बन्धित अन्य मामलों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए कोई मूल्य सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या ३१ अक्तूबर १९५० को हुई पहली बैठक के बाद भी इस बोर्ड की कोई और बैठक हुई है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम की अनुसूची में दी गई वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण की नीति का पुनर्विलोकन किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मूल्य सलाहकार बोर्ड की ३१ अक्तूबर १९५० को हुई पहली बैठक में जिन साधारण सिद्धान्तों का निश्चय किया गया था उन्हें अपनाया गया है, जबकि अनुसूची में दी गई वस्तुओं के लिए विशिष्ट अधिकतम मूल्य निश्चित किये गए, इन सिद्धान्तों का अभी तक पुनर्विलोकन नहीं हुआ है ।

पटसन व्यापार

*१३८. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ हो रहे पटसन व्यापार में संकट बढ़ रहा है, सरकार ने अन्य देशों में विशेषकर रूस में पटसन की मंडी स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने की प्रस्थापना कर रही है ?

(ख) ब्रिटेन तथा अमेरिका को छोड़ कर अन्य देशों को चालू वर्ष में पटसन का कुल कितना बना बनाया माल बेचा गया है ?

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन को छोड़ कर अन्य देशों के साथ विशेष कर रूस के साथ पटसन का व्यापार करने के संबंध में भारतीय जूट मिल सन्था की राय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सम्भवतः माननीय सदस्य कच्चे पटसन के निर्यात की ओर निर्देश न कर के पटसन से बने माल के निर्यात की बात कर रहे हैं क्योंकि कच्चे पटसन के निर्यात की अनुमति नहीं है । इसका उत्तर यह है कि सरकार ने पटसन से बने माल पर निर्यात शुल्क कम किया है तथा इसके निर्बाध निर्यात की अनुमति दी है । रूस पटसन से बना माल जितना चाहे खरीद सकता है परन्तु फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि रूस सामान्यतयः भारत से यह माल नहीं खरीदता है क्योंकि उसका अपना पटसन उद्योग है ।

(ख) विभिन्न विदेशों में उस माल के विक्रय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं, क्योंकि यह विक्रय सामान्य व्यापार मार्ग द्वारा होता है। जनवरी–सितम्बर १९५२ की कालावधि में विभिन्न स्थानों को कितना माल भेजा गया है, यह सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) सरकार का इस सन्था के साथ कोई शासकीय सम्बन्ध नहीं तथा इसे उस विषय के सम्बन्ध में इसके विचारों की कोई जानकारी नहीं।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार एक विशेष व्यापार मंडल रूस भेजने की प्रस्थापना कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार ऐसी किसी बात पर विचार नहीं कर रही है।

श्री तुषार चटर्जी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारतीय जूट मिल सन्था के प्रतिनिधि हाल ही में अमेरिका गए है ; तथा यदि सरकार को मालूम है तो क्या सरकार की राय में भारतीय जूट मिल संन्था की इस कार्यवाही ने सरकार की राह में अड़चनें पैदा की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५१–५२ में पाकिस्तान को जूट से बना कितना माल भेजा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : निर्यात शुल्क कम करने के कारण क्या थे तथा इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का गत सत्र में एक से अधिक बार उत्तर दिया जा चुका है। निर्यात-शुल्क कम करने का कारण यह था कि विदेशों में कीमतें घट गई थीं। तथा शुल्क कम करने का परिणाम अत्यन्त ही संतोषजनक रहा।

कोसी परियोजना

*१३९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोसी परियोजना पंच-वर्षीय योजना में शामिल की गई है ; और

(ख) यदि की गई है, तो इसकी पूर्व-वर्तिता क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने कोसी परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृत किया है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर कब से काम शुरू होगा ?

श्री हाथी : काम शुरू करना इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजना रिपोर्ट कब तैयार होगी। जांच का काम चल रहा है तथा ज्यों ही परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेगी त्यों ही इस काम को शुरू किया जायगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह काम सलाहकार समिति की सिपारिशों के अनुसार चल रहा है अथवा किन्हीं और सुझाव के अनुसार चल रहा है ?

श्री हाथी : जी हां, श्रीमान्, भारत सरकार ने बड़ी हद तक सलाहकार समिति की सिपारिशें मान ली ह ; तथा भूमापन और अन्य अनुसन्धान कार्य सलाहकार समिति की सिपारिशों के अनुसार चल रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शुरू किये जाने वाले काम में बाढ़ों की रोकथाम, विद्युतीकरण तथा सिंचाई के कार्यों को पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी ?

श्री हाथी : मूल परियोजना के प्रक्रम १, २ तथा ३ को, जिनके बारे में कि सलाहकार समिति ने सिपारिश की है, एक साथ क्रियान्वित किया जायगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री हाथी : मैं यह नहीं बता सकता हूं, मुझे इसके लिए पूर्वसूचना चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें इस परियोजना के अर्थ-संधारण के लिए लोक-ऋण लेने की अनुमति दी जाये ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ निश्चय किया है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : क्या इस परयोजना के परिणामस्वरूप चावल का उत्पादन बढ़ेगा अथवा गेहूं का ।

श्री हाथी : दोनों का ।

पाकिस्तान से पटसन

*१४०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तिम भारत पाकिस्तान व्यापार करार के अनुसार पाकिस्तान से जो वस्तुएं आयात की जायंगी उन में पटसन क्यों शामिल नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इसका मुख्य कराण यह है कि पाकिस्तान कच्ची पटसन के मूल्य के सम्बन्ध में भेदभाव की नीति बर्त रहा है ।

श्री एल० एन० मिश्र: भारतीय मंडियों में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कच्ची पटसन के बाजार में कोई प्रतिक्रिया नही हुई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्ची पटसन की कीमतें बहुत ही गिर गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कीमतें तो गिर गई हैं किन्तु ज्यादा नहीं गिर गई हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्ची पटसन की कम कीमतों के कारण बिहार में तथा बंगाल के कई भागों में पटसन की फसल नहीं काटी जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ही मुझे यह सूचना दे रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गत वर्ष में पाकिस्तान से कोई कच्ची पटसन आयात की गई है, तथा यदि की गई है तो किन कीमतों पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कच्ची पटसन तो आयात की गई है ; किन्तु जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, यह वही कुछ हैं जो कि पाकिस्तान सरकार ने निश्चित किए हैं । इस में २ रुपये ८ आने प्रतिमन का विवेचन-कर तथा १२ आने प्रति कच्ची गांठ का अतिरिक्त उद्ग्रहण भी शामिल है—अर्थात यह ३३ रुपये ८ आने अथवा ३४ रुपये के करीब आ बैठता है । परन्तु मैं माननीय सदस्य

जो यह नहीं बता सकता कि इस तरह से कुल कितनी कच्ची पटसन आयात की गई है। लाइसेंसें बिना किसी रोक के दी जाती हैं परन्तु हमें यह ठीक ठीक मालूम नहीं है कि कितनी मात्रा आयात की गई है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह आयात सरकारी स्तर पर हो रहा है अथवा प्राइवेट स्तर पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार का इस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान से पटसन आयात करे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, हमें आशा है कि वह ऐसा करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उद्ग्रहण लेने के पश्चात पाकिस्तानी पटसन किस स्टैंडार्ड मूल्य पर भारत को प्रदाय किया जाता...?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पटसन के मूल्य निश्चित करने का कोई प्रश्न ही नहीं क्योंकि यह मूल तत्व अर्थात विवेचन-कर के निरसन पर चर्चा के क्षेत्र से बाहर है। वह हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं

*श्री १३२. झूलन सिन्हा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कौन सी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(ख) बिहार सरकार ने किन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; तथा

(ग) किन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहायता मंजूर की गई है अथवा मंजूर करने पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) :

(१) दामोदर धाटी परियोजना।

(२) सामान्य कुएं।

(३) दरम्यानी अहरों, पिनियों तथा बन्धों का निर्माण।

(४) छोटे अहरों, पिनियों तथा बन्धों का निर्माण।

(५) 'ओपन बोरिंग' परियोजना।

(६) राहत पम्प स्कीम।

(७) नल-कुओं का लगाना।

(८) लिफ्ट ईंजन तथा पम्प

(९) ट्यूब-वैलों का निर्माण (संख्या उपलब्ध नहीं)

(१०) टैक्नीकल वस्तु सहायता कार्य-क्रम के अन्तर्गत ३५० ट्यूब-वैल।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

प्रलेखीय तथा समाचारीय चल चित्र

***१४१. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रलेखीय तथा समाचारीय चल चित्र तैयार करने के सम्बन्ध में फिल्म डिवीजन का वार्षिक लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में यह लक्ष्य-पूर्ति हुई थी ;

(ग) यह फिल्में किन भाषाओं में दिखाई जाती हैं ; तथा

(घ) इन के क्रय अथवा उधार की शर्तें क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) वार्षिक लक्ष्य ५२ प्रलेखीय चलचित्र तथा ५२ समाचारीय चलचित्र हैं । १९५१–५२ के लिए, फिर भी, प्रलेखीय चलचित्रों के सम्बन्ध में यह लक्ष्य कम कर के ४२ कर दिया गया है । यह मितव्ययिता के सिलसिले में किया गया है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ग) हिन्दी, बंगाली, तामिल, तेलुगु तथा अंग्रेजी में । कुछ विशेष मामलों में अन्य भाषाओं में भी यह तैयार किये जाते हैं ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२**]

लंका को अवैध उत्प्रवास

* **१४२. श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता जो अवैध रूप से लंका को उत्प्रवास कर रही है उस के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ख) भारत से लंका को उत्प्रवास करने वाले श्रमिकों के अवैध आवागमन पर जो रोक लगी है उसे मज़बूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा मद्रास राज्य के अधिकारियों का अन्तिम सम्मेलन कब हुआ था तथा कहां हुआ था ?

(ग) मार्च १९५१ से अब तक कितने दलालों को जो कि, इस प्रकार के श्रमिकों को भर्ती करते है , दंड दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) लंका लाने वाले लोगों के अवैध उत्प्रवासन को रोकने के लिए सरकार ने जो पग उठाये हैं उन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(१) दलालों, बहकाने वालों तथा सम्भावित अवैध उत्प्रवासियों को पकड़ने के लिए तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रचंड कार्यवाही ;

(२) जल तथा थल से पुलिस की गश्त ;

(३) उपयुक्त सूचना देने के लिए पुरस्कार ; तथा

(४) अवैध उत्प्रवासियों को समुद्र में तथा लंका पंहुचने पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तथा उनका पता लगाने पर उन्हें जो दंड दिया जाता है उसकी रेडियो, समाचारपत्रों तथा अन्य साधनों द्वारा प्रकाशन ।

(ख) २२ तथा २३ मई को मद्रास में । ऐसा ही दूसरा सम्मेलन इस महीने में बुलाने का विचार है ।

(ग) मार्च १९५१ तथा सितम्बर १९५२ के बीच २६५ दलाल गिरफ़्तार कर लिये गए । इन में से ७२ की दोषसिद्धि हुई । ३० बरी कर दिए गए । १६२ के मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं । दलालों के अलावा २०३५ सम्भावित अवैध उत्प्रवासियों, १२ नौका-मालिकों तथा ३३ मांझियों को भी धर लिया गया ; तथा ११२० उत्प्रवासियों और ५ मांझियों की दोष-सिद्धि हुई । ८९१ उत्प्रवासियों, ११ नौका-मालिको तथा २८ मांझियों के मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना

***१४३. श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पाकिस्तानी सेनाएं इस समय भारत की सीमा पर जमा हुई हैं ?

(ख) यदि हुई हैं तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षात्मक पग, यदि कोई हों, उठाये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पाकिस्तानी सेना की कुछ संख्या भारत की सीमा के निकट नियुक्त की गई है। समय समय पर इन सेनाओं की हलचल भी हुआ करती है। पूर्वी पाकिस्तान में कुछ सेना सीमा के निकट नियुक्त की गई। पाकिस्तान सरकार के कथनानुसार इन्हें वहां सीमा पार से चोरी छिपे घुस आने अथवा माल लाने लेजाने की घटनाओं को रोकने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ख) सरकार यह नहीं बता सकती है कि भारत की सुरक्षा के लिए वह समय समय पर क्या कुछ कार्यवाही करती है।

कहवे का मूल्य

*१४४. **श्री वैलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहवा बीजों तथा कहवा पाऊडर की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ;

(ख) कहवे की कीमतों में हाल ही में जो वृद्धि हुई है उसके कारण क्या हैं ?

(ग) क्या कहवे के मूल मूल्यों में फेर बदल करने का कोई विचार हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर): (क) भारतीय काफी बोर्ड ने दक्षिण भारत में स्थित अपने बड़े बड़े उपयोग केन्द्रों में छोटे छोटे दूकानदारों, होटलवालों तथा कैंटीन वालों के फायदे के लिए "स्थानीय नीलामों" की प्रथा फिर से जारी की है। इसके अलावा गत अक्तूबर में कहवे की एक बड़ी मिक़दार बेचने के लिए दी गई। इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर के नीलाम में सितम्बर के नीलाम की अपेक्षा कम दाम पेश किये गए। सरकार ध्यानपूर्वक इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख) (१) भीतरी उपभोग में वृद्धि ;

(२) व्यापारियों में घोर प्रतियोगिता;

(ग) कोई विशिष्ट प्रस्थापनाएं तो नहीं हैं किन्तु सरकार कहवे की कीमतें घटाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है।

अखिल-भारत रेडियो के कार्यक्रम में फ़िल्मी गाने

*१४५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अखिल भारत रेडियो के कार्यक्रम में फिल्मी गाने हाल ही में बहुत कम कर दिए गए हैं ?

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गायकों द्वारा 'माइक' पर जो गाने गाए जाते हैं वह उतने ही घटिया किस्म के तथा अश्लील होते हैं जितने कि फिल्मी गाने होते हैं ?

(ग) सरकार ने फिल्मी गानों से अश्लीलता हटाने तथा इनकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिस से कि वह अश्लील भी न रहें तथा अखिल भारत रेडियो के लिए उपयुक्त भी हों।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) फिल्में तैयार करने अथवा उनका स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं ; इसलिये सरकार द्वारा फिल्मी संगीत की क्वालिटी में प्रत्यक्ष रूप से सुधार नहीं किया जा सकता है। फिर भी केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड फिल्मों को पास कराने से पहिले उन में से सभी आपत्तिजनक गाने, यदि कोई हों, निकलवा। तथा इस तरह से निकाल गए गानों की

सविस्तर सूचना अखिल भारत रेडियो को दी जाती है। सरकार ने फिल्मी गानों का स्तर ऊपर उठाने की आवश्यकता को फिल्म उद्योग पर स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया हैं।

शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक

*१४६. **श्री चिनारिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शत्रु सम्पत्ति के कोई नियंत्रक अथवा अभिरक्षक हैं ?

(ख) उन पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ?

(ग) यह किस प्रकार की सम्पत्तियां हैं तथा इनका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, इस समय एक ही अधिकारी शत्रु समवाय तथा शत्रु व्यापार के नियंत्रक का पद तथा शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक का पद धारण किये हुए हैं।

(ख) चालू वर्ष के बजट में इस कार्यालय के लिए ८८,५०० रुपये का उपबन्ध रखा गया है।

(ग) शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के हाथ में जो सम्पत्तियां है वह इस प्रकार हैं :—

(१) नकदी ६०८ लाख रुपये
(२) अतरल रूप में परिसम्पत ३७ लाख रूपये

६४५ लाख रुपये

विस्थापित हरिजन पुनर्वास बोर्ड

*१४७. **श्री बाल्मीकि** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित हरिजन पुनर्वास बोर्ड, को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

(ख) देश में इसके केन्द्र कहां कहां हैं ?

(ग) इस से विस्थापित हरिजनों के पुनर्वास में कहां तक सहायता मिली है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क)

वर्ष	बोर्ड को दिया गया अनुदान	
१९४९-५०	७५,०००	रुपये
१९५०-५१	१,००,०००	रुपये
१९५१-५२	८५,०००	रुपये
१९५२-५३	९०,६६०	रुपये

(ख) बोर्ड का एक केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में है तथा नौ अन्य प्रादेशिक कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

(१) अम्बाला (पंजाब)
(२) समना (पेप्सु)
(३) अलवर (राजस्थान)
(४) श्री गंगानगर (राजस्थान)
(५) अजमेर
(६) अहमदाबाद (बम्बई)
(७) भुज (कच्छ)
(८) राजकोट (सौराष्ट्र) तथा
(९) कलकत्ता

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३**]

पाकिस्तान को कोयला

*१४८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो "कोयला करार" जून १९५२ में समाप्त हुआ है क्या उसका नवीकरण किया गया है अथावा नहीं ?

(ख) यदि किया गया है तो पाकिस्तान भारत से प्रति मास कुल कितना तथा किस किस्म का कोयला प्राप्त किया करेगा ?

(ग) प्रत्येक किस्म के कोयले के प्रत्येक टन के लिये पाकिस्तान को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयले के सम्भरण के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई अलग करार नहीं हुआ था । कोयला फरवरी १९५१ के भारत-पाकिस्तान व्यापार करार में एक मद के रूप में शामिल था । इस करार की कालावधि ३०-६-१९५२ को समाप्त होनी थी किन्तु यह फिर ७-८-१९५२ तक बढ़ा दी गई । वर्तमान भारत-पाकिस्तान व्यापार करार में जो कि ८-८-१९५२ से लागू हुआ है, कोयला शामिल नहीं । फिर भी सरकार ने कोक के निर्यात को जारी रखने का निश्चय किया है ।

(ख) सरकार ने दिसम्बर १९५२ तक ९०,००० टन प्रति मास सप्लाई करने का निश्चय किया है । स्थिति पर सावधिक रूप पुनर्विचार होता रहेगा । ९०,००० टन कोटे के मुकाबले में पाकिस्तान की मांग ८७,५०० टन है । कोयले की दर्जेवार क्वालिटी सामान्यतया यह है :

सिलेकटिड ए	१४,०००	टन
सिलेकटिड बी	३७,०००	"
दर्जा १	२६,०००	"
दर्जा २	६,५००	"
दर्जा ३ ए	२,०००	"
साफ़्ट कोक	२,०००	"
	८७,५००	टन .

(ग) कोयले के सम्बन्ध में मूल्य-निर्धारित खान-मूल्य धन १२ रुपये १० आने प्रति टन है तथा कोक के सम्बन्ध में यह १८ रुपये १५ आने है ।

प्रशान्त संमैत्री परिषद्

***१४९. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के विदेश मन्त्रियों ने हाल ही में पारस्परिक प्रतिरक्षा संधि, १९५१ के अनुसार जो प्रशांत संमैत्री परिषद् स्थापित की है, क्या उसमें भाग लेने के लिये भारत सरकार को कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है अथवा क्या उन से कोई बातचीत हो रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, श्रीमान् ।

आंक समिति की पांचवी रिपोर्ट

***१५०. श्री दामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बध में आंक समिति ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में जो सिपारिशें प्रस्तुत की हैं उन में से सरकार ने कौन सी स्वीकृत की हैं तथा कौन सी अस्वीकृत की हैं; तथा

(ख) स्वीकृत सिपारिशों में से इस समय तक कौन सी क्रियान्वित की गई हैं?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). इस सत्र के दौरान में इस विषय से सम्बन्धित एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों का आगमन

***१५१. श्री बेली राम दास** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमान बड़ी संख्या में आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में घुस आए हैं ?

(ख) इस से इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आसाम अथवा पश्चिमी बंगाल में अधिक मुसलमान नहीं घुस आए हैं। दोनों राज्यों की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं।

'नारियल की जटा' उद्योग में मन्दी

***१५२. कुमारी एनी मस्करीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नारियल की जटा उद्योग में मन्दी का निवारण करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

(ख) वर्तमान मन्दी के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). मैं प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर पहले देने की प्रस्थापना करता हूं।

वर्तमान मन्दी के मुख्य कारण यह हैं:—

(१) कुछ महत्वपूर्ण देशों में, जिनको कि नारियल की जटा से बनी वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, लाइसेंस निर्बन्धन तथा आयात में कमी;

(२) निर्यात के लिए बने माल की कुछ घटिया क्वालिटी ;

(३) अस्थिर मूल्य—विदेशों से इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ज्यों ही भारतीय निर्माताओं को माल के लिए काफी आर्डर दिये जाते हैं तो कीमतें एकाएक बढ़ जाती है

वर्तमान मन्दी का निवारण करने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गये हैं:—

(१) यह माल आयात करने वाले महत्वपूर्ण देशों में स्थित हमारे वाणिज्य प्रतिनिधियों को इस स्थिति की सूचना दी गई है तथा उन से कहा गया है कि वह वहां अड़चनों को दूर करवाने का प्रयत्न करें।

(२) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से नारियल की जटा से बनी अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रार्थना की गई है।

(३) रेलवे बोर्ड को उपलब्ध यातायात सुविधाएं देने के लिए कहा गया,

(४) १४ नवम्बर १९५२ को एक सम्मेलन बुलाया गया है जिस में नारियल की जटा तथा उस से बने माल के उत्पादन तथा खपत से सम्बन्धित स्थिति पर पुर्नविचार होगा तथा इसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा इसके विक्रय को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे जायेंगे। यह सम्मेलन एक नारियल जटा नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने पर भी विचार करेगा।

(५) तत्कालिक बेकारी को दूर करने के लिए त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र में असैनिक कार्य शुरू किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र में जिन दो सामुदायिक परियोजनाओं का काम शुरू किये जाने का विचार है, उन से भी इस उद्योग के बेकार कमकरों को कुछ सहायता मिलेगी।

(६) नारियल जटा-उद्योग को हर तरह से सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन में सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए अनुदान देने का निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ बात चीत हो रही है।

बिहार की सामुदायिक परियोजना के लिए बजट

१५३. श्री सीरैन: क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने सामुदायिक परियोजना की कालावधि के लिए "अनावर्तक" तथा "आवर्त्तक" शीर्षों के

अन्तर्गत व्यय का अनुमानित परियोजना बजट तैयार किया है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : बिहार सरकार इसे तैयार कर रही है ।

मोटर कारें बनाने वाली फर्म

*१५४. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन कौन सी फर्म मोटर कारें तथा उनके पुर्जे बनाती हैं; प्रत्येक फर्म में कितनी पूंजी लगी हुई है तथा वर्ष १९५१ में प्रत्येक फर्म ने कितने मूल्य की मोटर कारें तथा उनके पुर्जे बनाये हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन से माल खरीद कर इन्हें कोई प्रोत्साहन दिया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं कि वह मोटर कारों तथा ट्रकों में अपनी आवश्यकताओं का कोई भाग इन फर्मों से खरीद कर इस उद्योग को प्रोत्साहन दें;

(घ) १९५१–५२ के दौरान में भारत सरकार ने तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कुल कितने मूल्य का माल खरीदा है ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने इस उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से विदेशों से मोटर कारों, ट्रकों आदि के निर्यात को बन्द कर दिया है अथवा इस पर पाबन्दी लगा दी है;

(च) भारत सरकार ने इस उद्योग को और क्या सहायता दी है; तथा

(छ) क्या यह सत्य है कि 'हिन्दुस्तान मोटर' बनाने वाली फर्म ने और मोटरें बनाना बंद कर दिया है क्योंकि विक्रय में कमी हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में सर्वांग पूर्ण मोटर कारें अभी तैयार नहीं की जाती हैं। सदन पटल पर एक विवरण रख दिया जाता है जिस में इन फर्मों के नाम, इनमें लगी हुई पूंजी, तथा इनका निर्माण कार्यक्रम दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ख) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए मोटर-गाड़ियों का अधिकांश भाग भारतीय समवायों से ही प्राप्त किया जाता है ।

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के नाम अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारत में बनी कारों तथा ट्रकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । राज्य सरकारों से भी ऐसा करने की प्रार्थना की गई है । इसके अलावा राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वह राज्य यातायात सेवाओं के लिए केवल वही मोटर गाड़ियां खरीदें जिनके भारत में बनाए जाने की सम्भावना हो ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ङ) सम्भरण तथा खपत स्थिति के अनुसार हर छै महीने के बाद आयात का निर्बन्धन तथा विनियमन होता है ।

(च) माननीय सदस्य का ध्यान ५–११–१९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(छ) जी नहीं, श्रीमान् ।

दामोदर घाटी निगम का वित्तीय सलाहकार

*१५५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृप करेंगे कि क्या नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में लिखा है कि चूंकि भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार निगम के अधीन है, इसलिए किसी प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को लागू करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है ?

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या उन्होंने दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ४८ के अन्तर्गत निगम के नाम कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). जी नहीं, श्रीमान्। परन्तु भारत सरकार ने स्वयं ही इस प्रश्न की जांच की है तथा भारतीय लेखा-परीक्षण सेवा के एक अग्र अधिकारी को निगम के वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में एक निश्चय यह भी हुआ है कि जब कभी वित्तीय सलाहकार तथा निगम के बीच आपस में कोई मतभेद हो तो वित्तीय सलाहकार उस मामले की सूचना भारत सरकार को दे देगा तथा उसे अपना फैसला देने की प्रार्थना करेगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

अपहृत महिलाएं

***१५६. श्री डी० एन० सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५० में भारत-पाकिस्तान करार के सम्पादन के समय से अब तक भारत तथा पाकिस्तान में कुल कितनी अपहृत महिलाओं का उद्धार हुआ है ?

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि उन महिलाओं को भी जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं किन्तु जो 'अपहृत महिलाओं' की परिभाषा में आ जाती हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथ सौंपा जाता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल-के० चन्दा) : (क) अप्रैल १९५० का भारत पाकिस्तान करार केवल दो बंगालों पर लागू होता था।

अप्रैल १९५० से जिन अपहृत व्यक्तियों का उद्धार किया गया है उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है:—

१५ अक्तूबर तक पाकिस्तान
(पूर्व तथा पश्चिम) से २०३२
(इन में से ५० पूर्वी पाकिस्तान
से थे तथा शेष पश्चिमी पाकि-
स्तान से थे)
१० जून तक
भारत से ३८०२

पश्चिमी बंगाल से किसी भी अपहृत व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ।

पंजाब उच्च-न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप १० जून १९५२ के बाद उद्धार का कार्य भारत में बन्द कर दिया गया था। उच्चतम-न्यायालय द्वारा इसके उलट फैसला देने के परिणामस्वरूप यह काम फिर से चालू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

मरुस्थल में खेती

***१५७. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मरुस्थल में खेती कराने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है; तथा

(ख) रेगिस्तानों के सम्बन्ध में यरूशलम में जो अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी बुलाई गई है, क्या उस में भाग लेने के लिए वैज्ञानिक भेजे गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेती कराने से सम्बन्धित वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल समस्याओं पर देश के अनुसन्धानकर्ता ध्यान देते रहे हैं तथा इन समस्याओं का कोई सन्तोषजनक उपाय निकालने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) इस्राइल सरकार की अनुसन्धान परिषद् से निमंत्रण प्राप्त होने पर केन्द्रीय इस

जल तथा विद्युत आयोग के एक अधिकारी ने ७ से १४ मई १९५२ तक यरूशलम में हुई रेगिस्तानों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार बोर्ड

***१५८. श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत किन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार बोर्ड से अलग हुआ ?

(ख) इस बोर्ड की रचना क्या थी तथा इस में कितने व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करते थे ?

(ग) जो लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते थे क्या वह प्राइवेट कम्पनियों से थे अथवा उन में कोई सरकारी अधिकारी भी था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में मैं सदन पटल पर एक विवरण रख देता हूं जिस में माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५**]

जहां तक भाग (क) का सम्बन्ध है मैं केवल कारण न दे कर स्थिति को कुछ अधिक स्पष्ट करूंगा, जिस से कि गलतफहमी दूर हो जाये ।

यह बात याद रखनी होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विकास बोर्ड एक भिन्न प्रसंग में तथा एक भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण से १९३५ में स्थापित किया गया था । विचार तो यह था कि साम्राज्य चाय को बढ़ावा दिया जाये, किन्तु इसके साथ ही जावा जैसे देशों में, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे, पैदा होने वाली चाय से टक्कर न हो तथा चाय उत्पादक देशों में इस काम के सम्बन्ध में कोई विशेष दिलचस्पी पैदा न हो । सीमित उद्देश्य को अपने सामने रख कर उक्त बोर्ड ने अच्छा काम किया; परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये यह कार्यविधि काम की नहीं है । और भी ब्रिटेन चिरकाल से एक चाय उपभोगी देश चला आ रहा है । इसके विपरीत अमेरिका चाय पीने वाला देश नहीं। आवश्यकता तो इस बात की है कि अमेरिका में भारतीय चाय की बिक्री हो जिस से कि हम डालर कमा सकें । परन्तु दोनों देशों में प्रचार का काम एक ही ढंग से हो रहा था । भारतीय व्यापारी चिरकाल से यह महसूस कर रहे थे कि भारतीय चाय के विक्रय में इस प्रकार की जो भी रुकावटें हैं उनका निवारण होना चाहिये तथा भारतीय चाय उद्योग की वर्तमान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में प्रचार के काम का पूर्णतयः अभिनवीकरण होना चाहिये । इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक था कि हम इस बोर्ड से अलग हो जायें । बोर्ड में अब भारत की सदस्यता समाप्त हो चुकी है । मैं यहां यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा अन्य चाय उत्पादकों के साथ अहितकर प्रतियोगता करने का जरा भी इरादा नहीं । जहां आवश्यकता पड़ेगी हम अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ सहयोग करेंगे तथा अन्य देशों की प्रतियोगता का मुकाबला करेंगे । हम भारतीय चाय के लिये प्रचार करने के उद्देश्य से अन्य व्यापारिक हितों के साथ सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं । इस सिलसिले में मुझे सदन को यह सूचना देने में प्रसन्नता है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के चाय व्यापारियों की ओर से सहयोग का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । हम ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृत किया है तथा हम इस समय इस बात की जांच कर रहे हैं कि हम व्यापारियों के साथ इस काम में उत्तम से उत्तम ढंग से कैसे सहयोग कर सकते हैं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक अग्र अधिकारी इस समय इन प्रश्नों

पर ब्रिटेन तथा अमेरिका में विचार कर रहा है तथा यदि आवश्यकता पड़े तो एक और अग्र अधिकारी को भी इस काम के लिये बाद में नियुक्त किया जायगा। भारतीय चाय के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यदि इस देश का कोई भी व्यापार-मण्डल इन प्रश्नों की जांच के लिए ब्रिटेन तथा अमेरिका भेजा जायगा तो हम सहर्ष उसे यथासम्भव प्रत्येक सहायता दे देंगे।

नेपाल की शिकायत

*१५९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को नेपाल सरकार से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि भारत सरकार कुछ ऐसे पक्षों की सहायता कर रही है जो कि नेपाल सरकार को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विस्थापित व्यक्तियों का आर्थिक पर्यालोकन

*१६०. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई राज्य में स्थित सिन्धु नगर, जिसे कल्याण शिविर के नाम से भी पुकारा जाता है, में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का पर्यालोकन कराने के लिए कोई धनराशि अलग रखी है;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो यह पर्यालोकन कराने के लिए कौन सा अभिकरण नियुक्त किया गया है अथवा किया जाने वाला है;

(ग) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है तो क्या सरकार ने ऐसा पर्यालोकन कराने की वांछनीयता पर विचार किया है, तथा यदि किया है तो इसका परिणाम क्या हुआ है और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है;

(घ) क्या यह सत्य है कि शरणार्थी बस्तियों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में जो कि ३१ अगस्त १९५२ को बम्बई में हुआ था, एक संकल्प पारित किया गया था जिस में यह मांग की गई थी कि बम्बई राज्य में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का पर्यालोकन किया जाये; तथा उक्त संकल्प माननीय मंत्री के पास भी भेज दिया गया है; और

(ङ) क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यदि किया गया है तो इसका परिणाम क्या निकला है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) जी हां।

(ग) तथा (ङ). भारत सरकार विस्थापित व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक पर्यालोकन कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति

*१६१. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पुनर्वास मंत्रालय ने पूर्वी पंजाब में बसाये गए पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का पर्यालोकन कराने के लिए कोई अधिकारी अथवा कोई अन्य अभिकरण नियुक्त किया था और यदि किया था तो यह किस प्रकार का अभिकरण था तथा इस के निर्देश-निबन्धन क्या थे;

(ख) क्या यह सत्य है कि उस अभिकरण ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी; और

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो यह किस प्रकार की रिपोर्ट थी तथा क्या यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यदि नहीं की गई है तो इसका कारण क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण

*१६२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय ने पश्चिमी पाकिस्तान से आये बेघर लोगों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से वर्ष १९५१-५२ तथा वर्ष १९५२-५३ के बजटों में क्रमशः कितनी धनराशि निश्चित की है तथा इन्हीं दो वर्षों में इन विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को उधार के रूप में देने के लिए बजट में क्रमशः कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) वर्ष १९५१-५२ के दौरान में सरकार द्वारा तथा अर्ध-सरकारी अभिकरणों द्वारा मकानों के निर्माण पर कुल कितना धन खर्च किया गया है तथा इसी वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को कितना धन दे दिया गया है; तथा

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह निर्माण समितियों को उधार देने के उद्देश्य से १९५२–५३ के बजट में क्यों बहुत ही कम धनराशि रखी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसल) (क)

१९५१-५२	११२६·१६ लाख रुपये
१९५२-५३	११४०·०० लाख रुपये

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मकानों के निर्माण के लिए यही कुछ धनराशियां रखी गई हैं। सहकारी गृह-निर्माण समितियों को कर्जे के रूप में देने के लिए कोई अलग धनराशि नहीं रखी गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

कोयला बोर्ड

*१६३. **श्री ए० सी० गुहा**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला बोर्ड तथा विशेषकर इस के सभापति के कृत्य तथा कर्तव्य क्या हैं;

(ख) कोयले के उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए क्या और कोई प्राधिकार विद्यमान है; तथा

(ग) यदि है, तो कौन है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयला बोर्ड का कृत्य तथा कर्तव्य कोयला खानों में बचाव तथा कोयला-संरक्षण से सम्बन्धित समस्याओं तथा अन्य प्रासंगिक मामलों का निवारण करना है। सभापति बोर्ड के संतोषजनक कार्यसंचालन के लिए तथा निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए तथा कोयला खान (संरक्षण तथा रक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्यों के पालन के लिये जिम्मेदार हैं।

(ख) तथा (ग). जी हां; कोयला कमिश्नर जो कि कोयला बोर्ड का भी सभापति है।

कोयला (निर्यात)

*१६४. **श्री विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ में विदेशों को कितना कोयला निर्यात किया गया तथा इस से कितना मूल्य वसूल हुआ; और

(ख) किन किन देशों को यह कोयला भेजा गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) २,७९८,२७२ टन । कुल मूल्य जो वसूल किया गया लगभग १०,३४,००,००० रुपये था ।

(ख) एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय

***१६५. श्री मादिया गोडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय दिल्ली से हटा कर दूसरे स्थान पर ले लिया गया है तथा यदि ले लिया गया है तो क्यों ले लिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । इस बोर्ड का कार्यालय अब बम्बई में खोला गया है । कारण यह है कि बोर्ड का प्रशासन अब इसके उप-सभापति (भारत सरकार के कपड़ा कमिश्नर) के अधीन रखा गया है जिसका कार्यालय बम्बई में है ।

मैसूर में केन्द्रीय सरकार के भवन

***१६६. श्री मादिया गौडा** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में केन्द्रीय सरकार के कितने भवन बन रहे हैं तथा इनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इन निर्माण कार्यों का प्रभारी अधिकारी कौन है तथा इसका कार्यालय कहां है; तथा

(ग) क्या इन निर्माण कार्यों के लिए कोई अनसूचित दर हैं ?

556PSD

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) बंगलौर में पांच लाख रुपये की लागत से टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग बन रही है तथा छे लाख रुपये की लागत से ३ बटलर हैंगरों तथा २ बैलमैन हैंगरों की पुनः स्थापना हो रही है । यह काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हो रहा है ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मद्रास सैंट्रल डिवीज़न का कार्यपालक इंजीनियर, जिसका कार्यालय मद्रास में स्थित है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

सामुदायिक परियोजनाएं

***१६७. श्री मादिया** गौडा : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आयोजित सामुदायिक परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है तथा क्या वह चल रही हैं ; और

(ख) यदि किसी परियोजना पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे कोयला-खानों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिपारिशें

***१६८. श्री के० के० बसु** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग के पंचाट को सभी रेलवे कोयला खानों के समस्त विभागों में क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं किया गया है, तो कहां कहां नहीं किया गया है तथा इसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). सभी रेलवे कोयला खानों के विभिन्न विभागों में सभी पदों के लिए वेतन-दर निश्चित किये गए हैं। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है जिस में उन कमकरों की विभिन्न श्रेणियां दी गई हैं जिनके सम्बन्ध में वेतन-दर पहले ही लागू किये जा चुके हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३७**]

शेष श्रेणियों के सम्बन्ध में निश्चित वेतन दर अभी लागू नहीं किये गए हैं क्योंकि मुख्य खान इंजीनियर द्वारा उनका अभी प्रवीण, अप्रवीण आदि कमकरों में श्रेणीकरण नहीं किया गया है ।

खोसला समिति की रिपोर्ट

***१६९. श्री गोपाल राव** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खोसला समिति की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि खोसला समिति ने नन्दीकोंडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिपारिश की है ?

(ग) सरकार खोसला समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि को सदन पटल पर कब रखने का विचार करती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८**]

साम्राज्यिक अधिमान

***१७०. श्री एच० एन० मुखर्जी** :(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे साम्राज्यिक अधिमान के अन्तर्गत कौन २ सी वस्तुएं आ जाती हैं ?

(ख) इन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अधिमान के कौन से विशिष्ट तरीके लाग किये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ब्रिटेन तथा ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिमान का आदान प्रदान हुआ है वह १९३९ के ब्रिटेन तथा भारत के व्यापार करार की १ से ६ तक की अनुसूचियों में दी गई है,इस करार की एक प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) मेरे विचार में 'अधिमान के तरीकों' से माननीय सदस्य का आशय यह है कि करार के अन्तर्गत कितना अधिमान दिया जाता है। यह सूचना भी उक्त अनुसूचियों में दी गई ह ।

भारत में विदेशी फर्में

***१७१. श्री अच्युतन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय कुल कितनी विदेशी फर्में तथा औद्योगिक संस्थाएं काम कर रही हैं तथा भारत में किस देश की ऐसी सब से अधिक फर्में हैं ?

(ख) इन समवायों तथा साथों में कुल कितने विदेशी कर्मचारी सेवायुक्त हैं ?

(ग) क्या सरकार ने अगस्त १९४७ के बाद इन संस्थाओं को कोई निदेश दिए हैं कि नई भर्ती करते समय भारतीय कर्मचारियों को अधिमान दिया जाना चाहिये; तथा यदि दिये हैं तो इन्होंने उत्तर क्या दिया है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि हाल ही में बड़ी बड़ी विदेशी फर्मों ने भारतीय उम्मीदवारों को पसंद न करने का रवैया धारण किया है ।

(ङ) क्या सरकार को उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ग) जैसे कि ८ जुलाई १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर में मैं ने बताया है, सरकार की यह घोषित नीति है कि इन सभी समवायों अथवा सार्थों में भारतीयों की सेवायुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाये ।

(घ) तथा (ङ). सरकार को कुछ विदेशी स्वामित्व के समवायों के प्रबन्ध कार्य के विरुद्ध कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु बिना किसी अग्रेतर जांच के सरकार के लिए इन से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है ।

रबड़ (मूल्य नियंत्रण)

*१७२. **श्री अच्युतन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रबड़ के मूल्य नियंत्रण का तब से कोई पुर्नविलोकन किया है जब से कि इसे पहली बार पुरःस्थापित किया गया है; तथा यदि किया है तो यह पुर्नविलोकन कब हुआ है तथा इसका परिणाम क्या निकला है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि त्रावणकोर-कोचीन के रबड़ बागानों के कुछ मालिक अपने बागानों को इस कारण बन्द कर रहे हैं कि उन्हें इन से कोई फायदा नहीं हो रहा है ?

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(घ) गत तिमाही में भारत में रबड़ की कंट्रोल कीमत क्या थी तथा अमेरिका में इसका बाज़ार भाव क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । पहले २८ अक्तूबर १९५२ को इसका पुर्नविलोकन हुआ था । सरकार ने तटकर आयोग की सिपारिशें स्वीकृत कीं और रबड़ मूल्य सलाहकार समिति के परामर्श से कच्चे रबड़ का मूल्य १३८ रुपये प्रति १०० पौंड निश्चित किया । यह कोचीन बन्दरगाह तक पहुंचा कर प्रथम वर्ग के रबड़ का मूल्य था ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) कोचीन बन्दरगाह पर पहुंचा कर वर्ग १ रबड़ का नियंत्रित मूल्य १३८ रुपये प्रति १०० पौंड है । गत तिमाही में अमेरिका में प्रति पौंड का लगभग मूल्य निम्नलिखित था :

जुलाई	३१ अमेरिकन सैंट (लगभग १४९ रुपये १०० पौंड के लिए)
अगस्त	३०.६ (१४७ रुपये १०० पौंड के लिए)
सितम्बर	२९.३ (१४१ रुपये १०० पौंड के लिये)

मैसूर में लोक्कावल्ली परियोजना

*१७३. **श्री बासप्पा** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य के लिए जो सहायता निश्चित की गई है क्या उसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता देने के लिए प्रार्थना की है जिससे कि वह लोक्कावल्ली परियोजना को पूर्ण कर सके ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तीन सदस्यों पर बनी एक समिति नियुक्त करेगी जो मैसूर में स्थित लोक्कावल्ली तथा अन्य परियोजनाओं की जगहों का निरीक्षण करेगी तथा इस बात का अनुमान लगायेगी कि केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जा सकती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य के कमी वाले क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल इस समय मैसूर राज्य में है ।

पाकिस्तान में मन्दिर तथा गुरुद्वारे

३५. सरदार हुक्म सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित मन्दिरों तथा गुरुद्वारों में सेवादारों तथा पुजारियों को रिहाइशी तथा रक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देना मान लिया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक मन्दिरों तथा गुरुद्वारों की सूची तैयार कर के पाकिस्तान सरकार को भेज दी है जिन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पूजा तथा सम्बद्ध सम्पत्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सुविधाएं मांगी गई हैं;

(ग) यदि भेजी है तो क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या इस विषय पर विचारविमर्श करने के लिए दोनों देशों का एक सम्मेलन बतलाने की प्रस्थापना की गई थी; तथा

(ङ) यदि की गई थी तो इस प्रस्थापना का क्या हुआ ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित मन्दिरों तथा गुरुद्वारों में सेवादारों तथा पुजारियों को रिहाइशी तथा रक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने की बात सिद्धान्ततः मानली है । इस प्रकार की सुविधाएं अब तक केवल गुरुद्वारा जन्मस्थान श्री ननकाना साहेब के सम्बन्ध में दी जा चुकी हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रारम्भ में पाकिस्तान सरकार ने भारत तथा पाकिस्तान में मस्जिदों, मन्दिरों, गुरुद्वारों तथा अन्य पवित्र स्थानों के संरक्षण तथा देखभाल के सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन बुलाना स्वीकार किया था; परन्तु बाद में इस ने यह कह कर इस प्रस्थापना को रद्द किया कि जिन मामलों पर चर्चा करने का विचार है उन पर पहिले से ही पक्षों में सहमति है अथवा उनकी एक अलग निकाय द्वारा जांच की जा रही है । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को ऐसा सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता के बारे में पुनः लिखा है तथा हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

इस्पात की नलियां तथा ट्यूब (मूल्य)

३६. डा० अमीन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि एक ही आकार तथा प्रकार का इस्पात नलियां तथा ट्यूब विभिन्न दुकानदारों द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाती हैं, यद्यपि इन के मूल्यों पर नियंत्रण है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्भावना पर विचार किया है कि माल आयात करने वाले व्यापारी जाली बीचक पेश कर के सरकार से अपने मन चाहे मूल्य स्वीकृत करा सकते हैं जबकि इसके साथ ही वह विदेशी व्यापारियों से सांठगांठ करके अपने लिये अत्यधिक नफा कमा कर इसे विदेशों में जमा करा सकते हैं; तथा इस तरह ही भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्यापक रूप से मूल्य बढ़ा सकते हैं; तथा

(ग) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो क्या सरकार नलियों तथा ट्यूबों के मूल्यों में एकरूपता लाने के लिए कोई उपाय करने की प्रस्थापना कर रही है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)) : (क) से (ग) . देशीय उत्पादन चूंकि 'नहीं' के बराबर है, इसलिये इस्पात नलियों तथा ट्यूबों में भारत की लगभग सभी आवश्यकताएं आयात से ही पूरी की जाती हैं । नियंत्रित मूल्य सम्बन्धित माल

के तटागत मूल्य पर आधारित होता है। चूंकि तटागत मूल्य में अन्तर होता है इसलिए एक ही आकार तथा प्रकार के ट्यूबों के नियंत्रित मूल्य में कभी कभी अन्तर होना अनिवार्य है ।

कठिनाइयों के कारण एकरूपी नियंत्रित मूल्य निश्चित करने का कोई विचार नहीं।

इस बात की संभावना हो सकती है कि व्यापारी विदेशी व्यापारियों के साथ सांठगांठ कर के जाली बीजक पेश करते हों तथा सरकार से अनुचित रूप से बढ़े चढ़े मूल्य निश्चित करवाते हों। परन्तु आयात लाइसैंसें देने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति को दृष्टि में रखते हुये हमें इस बारे में कोई अधिक आशंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि लाइसैंसें बिना किसी रोक के दी जाती हैं तथा इस तरह से माल आयात करने वाले विभिन्न व्यापारियों के बीच प्रतियोगता होती है ।

पाकिस्तान शरणार्थी सन्था द्वारा अभ्यावेदन

३७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान शरणार्थी सन्था (बिहार), भागलपुर के हाल ही के अभ्यावेदन की ओर आकर्षित किया गया है, तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) यह अभ्यावेदन बिहार सरकार के पास भेज दिया गया है तथा हम उनकी टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

सामुदायिक परियोजनाएं

३८. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितनी सामुदायिक परियोजनाओं का श्रीगणेश किया गया है तथा यह किन किन राज्यों के किन किन ज़िलों में शुरू की गई हैं ?

(ख) अगली बार किन किन राज्यों के किन किन ज़िलों में सामुदायिक परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी ?

(ग) इन परियोजनाओं के कार्य-संचालन के परिणामों का अन्दाज़ा लगाने के लिए क्या कोई संस्था नियुक्त की गई है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक सूची, जिसमें कि यह सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दी जाती है [**देखिये परिशिष्ट १,अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है।

(ग) जी हां ।

कोज़्हीकोड तथा त्रिवेणद्रम अखिल-भारत रेडियो के स्टेशन

३९. **श्री एल० पी० दामोदर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोज़्हीकोड तथा त्रिवेणद्रम में अखिल भारत रेडियो की विभिन्न शाखाओं के अधीन कुल कितने व्यक्ति सेवायुक्त हैं (तुलनात्मक संख्या दी जाये);

(ख) कोज़्हीकोड तथा त्रिवेणद्रम के स्टेशनों पर अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों को कितना समय दिया जाता है (प्रत्येक मद के सम्बन्ध में तुलनात्मक समय दिया जाये);

(ग) १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वर्षों में इन दोनों स्टेशनों में से प्रत्येक पर कुल कितना धन व्यय किया गया है; तथा

(घ) कोज़्हीकोड से त्रिवेणद्रम तक तथा त्रिवेणद्रम से कोज़्हीकोड तक कार्यक्रम प्रसारित करने में क्रमशः कितना धन व्यय हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने

वाले विवरण सदन पटल पर रख दिए जाते हैं । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(घ) त्रिवेणद्रम तथा कोज़्हीकोड के बीच कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से जो 'टेलीफोन सिक्युट' किराये पर लिया जाता है उस पर लगभग ३२००० रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है । कोज़्हीकोड से त्रिवेणद्रम तक तथा त्रिवेणद्रम से कोज़्हीकोड तक कार्यक्रम प्रसारित करने पर अलग अलग कितना धन व्यय होता है यह बताना कठिन है । इसे एकत्रित करने में काफी मेहनत लगेगी जो कि इस से प्राप्त परिणामों के संगत न होगी ।

नारियल तथा इस से बनी वस्तुओं का मूल्य

४०. श्री सी० आर० इय्युन्न : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल तथा नारियल के तेल, नारियल की जटा और उस से बनी हुई चीजों के जो दाम गिर र हैं उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन उद्योगों में कितने लोग काम पर लगे हुये हैं;

(ग) इन उद्योगों से सम्बन्धित कितने कारखानों अथवा संस्थाओं ने कार्यगति कम कर दी है अथवा बिल्कुल ही बन्द कर दी है; तथा

(घ) इनके बन्द हो जाने अथवा इन में काम कम हो जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेकार हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतें गिर जाने का कोई विशेष कारण नहीं । जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं वैसे इनकी भी गिर रही हैं, परन्तु सरकार को सूचना मिली है कि नारियल के तेल की कीमतें हाल ही में बढ़ने लगी हैं ।

(ख) अनुमान लगाया जाता है कि खोपरा पेरने वाली मिलों में, जो कि बिजली से चलती हैं, ४००० लोग सेवायुक्त हैं । 'नारियल जटा' उद्योग में ६,०००,००० लोगों के सेवायुक्त होने का अनुमान है ।

(ग) नारियल का तेल:—त्रावणकोर-कोचीन में लगभग १० फैक्टरियां, मद्रास राज्य के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं, तथा उसे एकत्रित किया जा रहा है ।

नारियल की जटा के कारखाने—१०८

(घ) नारियल के तेल की फैक्टरियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं ।

नारियल की जटा से बना माल (निर्यात)

४१. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५२ के प्रथमार्ध में कोचीन बन्दरगाह से कितने मूल्य का नारियल की जटा से बना माल, जिस में कि तार तथा रेशा भी शामिल हो, निर्यात किया गया है; तथा

(ख) १९५२–५३ के प्रथमार्ध में कोचीन बन्दरगाह से कितने मूल्य का नारियल की जटा से बना माल निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर: (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१**]

औद्योगिक गृह-व्यवस्था परियोजना

४२. श्री वैलायुधन : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक गृह-व्यवस्था परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य की कार्य-प्रगति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए केन्द्र ने हाल ही में कितनी धनराशि आवंटित की है ; तथा

(ग) इस समय तक कुल कितने मकान, राज्य-वार बनाये जा चुके हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वर्षों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]

जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को मालूम है कि हाल ही में राज्य सरकारों तथा नियोजकों और कमकरों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् एक नई गृह-व्यवस्था परियोजना प्रकाशित की गई है जिस में कि सरकार की ओर से भी अर्थ सहायता दी जायगी। इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता के लिए जो प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये हैं उनकी जांच हो रही है। आशा है कि इस नई परियोजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण कार्य इसी वर्ष में शुरू किया जायगा।

पटसन का माल (निर्यात)

४३. श्री ए० सी० गुहा: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७–४८, १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वर्षों में कितना पटसन का बना माल निर्यात किया गया;

(ख) प्रत्येक वर्ष उनके अलग अलग मूल्य क्या थे;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितना विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ;

(घ) प्रत्येक वर्ष कितना बहिःशुल्क वसूल किया गया; तथा

(ङ) इस वर्ष कितना तथा कितने मूल्य का माल निर्यात होने की आशा है तथा कितनी धनराशि बहिःशुल्क के रूप में प्राप्त होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमचारी): अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

(क)

	(टनों में)
१९४७—४८	८७२,०७७
१९४८—४९	९२८,७८६
१९४९—५०	७८६,६५९
१९५०—५१	६४९,८४४
१९५१—५२	८०८,९८५

(ख)

	(लाख रुपयों में)
१९४७—४८	१२७८२
१९४८—४९	१४६५६
१९४९—५०	१२९९८
१९५०—५१	११३९५
१९५१—५२	२७०१८

(यह बन्दरगाह के मूल्य हैं)

(ग) वर्ष १९४९ से लेकर वर्ष १९५१ तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। यह नीचे दिये जाते हैं:

	(लाख रुपयों में)
१९४९	१२७,२५
१९५०	१२९,०४
१९५१	२११,८२

		(लाख रुपयों में)
(घ)	१९४७–४८	६३५
	१९४८–४९	६३५
	१९४९–५०	८७७
	१९५०–५१	२,३८९
	१९५१–५२	५,९३३

(ङ) (१) इस वर्ष का अनुमानित निर्यात ८,००,००० टन

(२) उक्त मात्रा का अनुमानित बन्दरगाह मूल्य १५,२०० लाख रुपये

(३) अनुमानित बहिःशुल्क २००० लाख रुपये

राष्ट्रपति निवास (संधारण परिव्यय)

४४. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से लेकर १९५२ तक शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास के संधारण पर कुल कितना व्यय हुआ है ; तथा

(ख) इसी काल में इस की मरम्मत पर कितना धन व्यय किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९४८–४९ के वर्ष से ले कर १९५१–५२ के वर्ष तक शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास के संधारण पर २,२९,१७१ रुपया खर्च किया गया है ।

(ख) २,२९,१७१ रुपये की राशि में से १,८३,२४८ रुपये भवन के साधारण तथा मरम्मत पर खर्च किये गये हैं तथा शेष ४५,९२३ रुपये सामान आदि के संधारण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय किये गये हैं ।

अबरक

४६. **श्री पी० सी० बोस** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में अबरक का वार्षिक उत्पादन क्या है ?

(ख) प्रति वर्ष अबरक की कितनी मात्रा निर्यात की जाती है तथा किन किन देशों को निर्यात की जाती है ?

(ग) भारत में कितनी अबरक किन कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है ?

(घ) क्या भारत में और अधिक अबरक प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १७ तथा ३० जून १९५२ को क्रमशः पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३५ तथा १३२२ के उत्तरों की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) कांच तथा मिट्टी आदि के बर्तन बनाने से सम्बन्धित केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था अबरक की छीलन से अबरक पत्र बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है । यह संस्था इस सम्बन्ध में भी अनुसन्धान कर रही है कि अबरक की छीलन को रंग तथा प्लास्टिक के उद्योग में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है ।

पूर्निया में पुनः स्थापन का कार्य

४७. **सरदार हुक्मसिंह** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित कृषक परिवारों को बिहार राज्य के पूर्निया ज़िले में पुनःस्थापित करने के सम्बन्ध में कोई नई परियोजनायें मंजूर की है ?

(ख) यदि की हैं, तो कितने परिवारों को पुनःस्थापित किया जायगा तथा इन परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) ४७९ परिवार १४,९८,७२० रुपये की लागत से बसाये जायेंगे ।

अखिल-भारत रेडियो के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में श्रोतागण की प्रतिक्रिया

४८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल-भारत रेडियो के कायक्रमों के सम्बन्ध में श्रोताओं को अपनी प्रतिक्रियायें भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ;

(ख) अक्तूबर १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में ऐसे पत्रों की संख्या क्या थी; तथा

(ग) क्या कार्यक्रमों को तैयार करते समय इन चिट्ठियों से कोई फायदा उठाया जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में इस प्रकार के प्राप्त किये गये पत्रों की संख्या देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**] अक्तूबर मास के लिये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं ।

(ग) जी हां । श्रोताओं के पत्रों की भली भांति जांच होती है तथा उन में दिये गये सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन होता है ।

अखिल-भारत रेडियो के श्रोतागण के सम्बन्ध में तथ्य तथा आंकड़े

४९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल-भारत रेडियो ने अपने श्रोतागण के सम्बन्ध में तथ्य तथा आंकड़े संकलित करने के लिये पर्यालोकन का कोई कार्य हाथ में लिया है ?

(ख) यदि लिया है, तो इसका परिणाम क्या निकला है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट पर्यालोकन नहीं किया गया है। परन्तु इस आधार पर सूचना एकत्रित की जा रही है कि किसी रेडियो रखने वाले का पेशा क्या है, उसकी मातृभाषा क्या है, कितने समय से वह रेडियो रख रहा है तथा किस प्रकार का रेडियो रख रहा है । रेडियो लाइसैंसों के प्रपत्रों में यह सूचना दी गई है तथा जब वह सब के सब भरे जायेंगे तो हमें मालूम होगा कि अखिल भारत रेडियो के श्रोता कौन हैं, क्या हैं तथा कहां हैं ।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण में गवेषणा

५०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई. बाढ़ नियंत्रण तथा भारत के जलसाधनों के संरक्षण तथा उपयोग के अन्य उपायों के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक गवेषणा के लिये कोई अव्ययगत निधि खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो क्या कोई परियोजना तैयार की गई है ;

(ग) क्या इसी प्रकार की कोई और गवेषणा इस समय केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है ; तथा

(घ) इस काम पर प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय होता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस प्रश्न पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है और न ही कोई परियोजना तैयार की है ।

(ग) भारत में इस समय १० अनुसन्धान केन्द्र हैं जो कि एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक गवेषणा कर रहे हैं । इनका सम्बन्ध नलियों, नालियों तथा नहरों द्वारा पानी ले जाने, नौपरिवहन

मिट्टी तथा मिट्टी से सम्बन्धित यंत्रों, कंकरीट तथा निर्माण सामग्री, नदियों के माडलों, सड़कों, भवनों तथा सिंचाई आदि से सम्बन्धित समस्याओं, बन्दरगाहों, ज्वार-जल तथा ज्वार संगमों, मिट्टी तथा कंकरीट के बांधों में काम आने वाली सामग्री के परीक्षण, सिंचाई तथा मिट्टी से सम्बन्धित परिमाप, जलधारा से इकट्ठी हुई मिट्टी अथवा रेत के अनुसन्धान, गणित, सांख्यकी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा नालियों द्वारा जल पहुंचाने की मशीनों आदि आदि बातों से है ।

(ख) विभिन्न प्राधिकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्यों ही यह एकत्रित की जायगी, इसे सदन पटल पर रख दिया गया ।

पेकिंग के लिए पारपत्र

५१. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने कुछेक ऐसे व्यक्तियों को पारपत्र नहीं दिये हैं जो कि सितम्बर १९५२ में पेकिंग में हुये शान्ति सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे ?

(ख) भारत सरकार ऐसे पारपत्र देते समय किन सिद्धान्तों अथवा नियमों का अनुसरण करती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तिगत प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये तथा प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर इसके गुणदोषों को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया । कुछ समय के बाद सितम्बर १९५२ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रस्थापित नेता ने प्रतिनिधियों पर्यवेक्षकों तथा सचिवों की अन्तिम सूची हमारे पास भेज दी । सूची में दिये गय ८८ व्यक्तियों में से ६५ के नाम पारपत्र जारी किये गये तथा २३ व्यक्तियों को कोई पारपत्र नहीं दिये गये ।

(ख) पारपत्रों के लिये जो भी प्रार्थनापत्र भारत सरकार के पास आते हैं, उन में से हर एक पर उसके गुणदोषों को दृष्टि में रखते हुये विचार होता है । जहां यह समझा जाता है कि पारपत्र देना लोकहित में नहीं है वहां यह नहीं दया जाता है ।

सहकारी गृह व्यवस्था समितियों को ऋण

५२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह व्यवस्था समितियों की ओर से ऋण के लिये बड़ी मांग की जा रही है तथा यदि है, तो कुल कितनी धनराशि, राज्यवार, मांगी गई है ;

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिये क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई ; तथा

(ग) यदि सरकार के पास फालतू धन नहीं है तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की वांछनीयता पर विचार किया है कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं को मकान बनाने के लिये जो धन दिया जाता है उसका एक भाग सहकारी समितियों को दिया जाये, तथा यदि किया है, तो इसका परिणाम क्या निकला है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, विभिन्न राज्यों की ओर से सहकारी गृह-व्यवस्था समितियों को उधार देने के लिये जो मांगें की जा रही हैं उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) तथा (ग). सरकार की नीति यह है कि उन विस्थापित व्यक्तियों की

गृह-व्यवस्था परियोजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाये जो कि सड़कों, धर्मशालाओं, स्कूलों अथवा अस्पतालों आदि में रह रहे हैं। इस श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों तथा सहकारी गृह-व्यवस्था समितियों की सम्पूर्ण मांगों को इस समय पूरा करना सम्भव नहीं क्योंकि सरकार के साधन सीमित हैं।

हथकर्घे

५३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देश के कुछ राज्यों में हथकर्घों की एक बड़ी संख्या बेकार पड़ी है; तथा

(ख) यदि है, तो ऐसे कर्घों की लगभग संख्या, राज्यवार, क्या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सरकार के पास इस समय कोई सूचना नहीं है।

सोमवार,
१० नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, १० नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

अनुपस्थित रहने की अनुमति

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास श्री एम० के० शिवनंजप्पा का पत्र आया है। उन्हें १९५२ के चुनाव के मामले संख्या १२१ में भाग लेना है। अतएव वे इस सत्र के लिये सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हैं। प्रोफ़ेसर सी० पी० मैथ्यू का भी पत्र आया है। उन्हें पैरिस में यूनेस्को की बैठक में शामिल होना है। वे दस नवम्बर से लेकर वापिस लौटने की तिथि तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हैं। क्या इन दोनों व्यक्तियों को उक्त अवधि के लिये अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय ?

अनुमति दी गई।

विशेषाधिकार समिति

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट समक्ष रखने की अवधि का बढ़ाना

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"निम्न दो विशेषाधिकार प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट समक्ष रखने की अवधि सोमवार १ दिसम्बर, १९५२ तक बढ़ाई जाये।

(१) सत्यनारायण सिन्हा द्वारा पटल पर रखे गये कुछ पत्रों के बारे में विशेषाधिकार प्रश्न ;

(२) एक वक्तव्य सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न जिसे कहा जाता है, राज्यपरिषद् के सदस्य श्री पी० सुन्दरय्या ने दिया था।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हुआ।

पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना संख्या ७५—आयकर

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): आयकर (जांच आयोग) संशोधन अधिनियम १९५१ के द्वारा संशोधित आयकर (जांच आयोग) अधिनियम १९४७ की धारा ४ की अनुधारा (३) के अनुसार मैं सदन के पटल पर ५ तारीख के आयकर की अधिसूचना संख्या ७५ की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी हुई है, देखिये संख्या पी—६८ ५२]**

खादी और अन्य हथकरघे-उद्योग (विकास) का उपकर विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हूं कि खादी और अन्य हथकरघे उद्योगों का विकास करने तथा खादी और हथकरघे के कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिये निधि इकत्रित करने के लिये उपकर लगाने और उगाहने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय पावर अलकोहल संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय पावर अलकोहल (संशोधन) अधिनियम १९४८ का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

श्री **टी० टी० कृष्णामाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

उद्योग वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग वित्त निगम अधिनियम, १९४८ का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पंजाब नगरपालिका (दिल्ली) संशोधन विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, १९११, जैसा वह दिल्ली राज्य में प्रभावी है उसका संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

सरकारी विधान-कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सत्र के पहिले दिन मैं ने कहा था कि मैं सदन के सामने सत्र के कार्य का विवरण रखूंगा । वह विवरण मेरे पास है । मुझे मालूम नहीं कि जिन विधानों को बनाने का विचार है उन सब को पढ़ने से कोई लाभ होगा । वह सूची काफी लम्बी तथा विस्तृत है । मैं कह नहीं सकता कि इस सत्र में उसके सारे विषयों को पूरा किया जा सकेगा, पर जहां तक सम्भव हुआ उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा । श्रीमान्, यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे पटल पर रख दूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होगा ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं ऐसा ही करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों में फेर दी जायेगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहले उन विधानों की सूची है जिन्हें बनाने का विचार है । सूची लम्बी है पर उसके बहुत से विधेयक सम्भवतया छोटे होंगे कुछ पर अधिक समय लगेगा । दूसरी सूची वास्तव में पहली जैसी ही है जिसमें बताया गया है कि वे कब तैयार हो जायेंगे । तीसरी सूची से उनकी पूर्ववर्तिता के क्रम का पता चलता है ।

विरोध के एक माननीय सदस्य के उतर में मेरा कहना यह है कि यदि सदन की इच्छा हो तो सरकार उस स्थिति के सम्बन्ध में वाद विवाद करने के लिये तारीख निश्चित कर देगी जो भारत और पाकिस्तान में प्रव्रजन होने के कारण उत्पन्न हो गई है । सदन के पास बहुत काम है अतएव मेरा सुझाव है कि अगले शनिवार को जब कि प्राय: छुट्टी रहती हम इस विवाद को लें ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : १५ नवम्बर ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी ।

खाद्य पर विवाद करने का भी सुझाव था । मैं उसके लिये अभी दिन निश्चित नहीं करता । सम्भवतया अगले सप्ताह में किसी दिन उसे ले लिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या स्थगन प्रस्ताव सूची में सम्मिलित है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौन सा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चेतराम गिडवानी का । कुछ अल्पसूचना प्रश्न भी थे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर की कुछ घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं । वह बिल्कुल भिन्न हैं । मैं शायद कल उसके बारे में बताऊं ।

सम्पदा शुल्क विधेयक

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० डी० देशमुख ने ५ नवम्बर १९५२ को सप्पदा शुल्क विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिये जाने के विषय में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर अब आगे विचार किया जायगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, सभा का यह सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आयकर संशोधन विधेयक और सम्पत्ति कर विधेयक पर विचार किया जा रहा है । सम्पत्ति कर विधेयक द्वारा पूंजी और वैयक्तिक सम्पत्ति का नाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है । सामान्य मनुष्य को यह आशा थी कि स्वतन्त्र भारत में उसकी दशा सुधरेगी पर उसे कम भोजन मिलता है तथा उसकी आय, भूमि और मकान पर कई प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं । इन सब के ऊपर सम्पदा कर लगाया जा रहा है । इससे उन लोगों पर क्या बीतेगी जो दूसरे राज्य से प्रव्रजन कर के आये हैं ? उसका आप अनुभव नहीं कर सकते ।

इस विधेयक से क्या लाभ होगा ? सामान्य मनुष्य से यह कहने से क्या लाभ कि यह विधेयक धनवानों को गरीब बनायेगा । उसे खुशी तो तब होगी जब सामान्य मनुष्यों का स्तर बढ़ाया जायेगा ।

यहां दिये गये कुछ भाषणों से भ्राम उत्पन्न होने की सम्भावना है । माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से कह दें कि यह पूंजी और वैयक्तिक उपक्रम के विरुद्ध हमला है अथवा इसके द्वारा जनता को इस बात का धोखा दिया जा रहा है कि सरकार कुछ क्रांतिकारी बात कर रही है । यदि यह विधेयक वास्तव में वैयक्तिक सम्पत्ति और उपक्रम का नाश करने के लिये

[श्री एन० सी० चटर्जी]

है तो हम इसका विरोध करेंगे। संविधान के अनुसार सम्पत्ति को ग्रहण करने और उसको हस्तान्तरित करने का अधिकार, मूलभूत अधिकार है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

अतएव इस मूलभूत अधिकार का यह संसद् अतिक्रमण नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार हमें सम्पत्ति ग्रहण करने का ही नहीं अपितु उसे हस्तान्तरित करने का भी अधिकार है। सम्पत्ति सामान्यतया किसी व्यक्ति को दी जा सकती है तथा अनुच्छेद ३२ के अनुसार, लोगों को वसीयतनामे द्वारा भी उस को हस्तान्तरित करने का अधिकार है इस अधिकार की रक्षा करने के लिये लोग सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। क्या इस विधेयक को बनाने वालों का ध्येय यह है कि संविधान का यह उपबन्ध निष्प्रभावी हो जाये ?

जिन ४०-४४ देशों का उदाहरण दिया गया है उनम क्या पूंजी को सर्वथा समाप्त किया गया है या उनमें क्या वैयक्तिक सम्पत्ति मिटा दी गई है ? वह चोरी नहीं है। वह ईमानदारी के साथ कमाई गई है। वह शर्म करने की चीज़ नहीं है। इसके कारण अभाव से मुक्ति मिलती है। लोगों को अपने प्रयासों का फल मिलना ही चाहिये। पूंजी की सहायता से लोग अपने गुणों का विकास कर सकते हैं पूंजी का नाश कर देने से न व्यापार का भला होगा न देश के औद्योगिक विकास का। बड़े बड़े औद्योगिक देशों में भी ऐसे विधान बने हैं पर वहां पूंजी और वैयक्तिक सम्पत्ति का लोप नहीं हो गया। अमेरिका में सब से पहले १९१६ में ऐसा विधान बना था। वहां ५०,००० डालर तक की सम्पत्ति कर-विमुक्त की गई थी तथा ६०,००० डालर की सम्पत्ति पाने वाले को केवल १०० डालर देने पड़ते थे। रुपयों में स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि २ लाख पाने वाले को केवल ५०० रुपये कर देना पड़ता था। यह उचित है। वित्त मंत्री जी यह बात स्पष्ट कर दें कि एक न्यूनतम राशि विमुक्ति की जाएगी। इससे सामान्य लोगों को बड़ी सान्त्वना होगी। प्लेग और हैज़े के समान सम्पदा शुल्क भी औद्योगिक सभ्यता की एक व्याधि है, जहां तक हो सके इसे कम किया जाना चाहिये। इस का मिताक्षर परिवार पर क्या प्रभाव पड़गा ? उसमें तो कानून की दृष्टि से सम्पत्ति का उत्तराधिकार के कारण हस्तान्तरण होता ही नहीं। सारे परिवार के लोग सम्पत्ति के स्वामी होते हैं तथा उसका अधिकार स्थिर नहीं अपितु परिवार में जन्म मरण होने के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है, अतएव यह कर हमारे समाज की प्रकृति के अनुकल नहीं है। लोकतंत्रीय और औद्योगिक देशों में भी इस विधान का बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों की मितव्ययिता घट गई है। भूसम्पत्ति के खंड खंड हो गए हैं। इंगलेंड में इसके कारण बचत कम हो गई है तथा पूंजी-निर्माण में बाधा पहुंची है। हमें विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा विधान न बने जो पूंजी निर्माण में बाधक हो। कालविन समिति के अनुसार आयकर की अपेक्षा सम्पदा शुल्क बचत के लिए अधिक घातक होता है।

जो लोग दायभाग को मानते हैं उनके ऊपर सम्पदा-शुल्क से अन्याय होगा। इसमें परिवार के लोगों का समूह्य अधिकार नहीं होता उन्हें पिता की मृत्यु होने पर ही सम्पत्ति उत्तराधिकारी होने के नाते मिलती है। मिताक्षर को मानने वाले परिवार में पिता की मृत्यु होने पर केवल सातवें हिस्से पर यह कर लगाया जायगा यदि उसके

पांच लड़के और एक पत्नी है। पर दायभाग को मानने वाले उतने ही बड़े परिवार में पिता की मृत्यु होने पर सारी सम्पत्ति पैर कर लगाया जायगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उन पर करापात छै गुणा अधिक पड़ेगा। इस असमता को मिटाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मिताक्षर और दायभाग परिवारों पर लगाए गए आयकर में कोई भेद नहीं है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि वह व्यवसाय सारा परिवार करता है तो उस परिवार को ईकाई माना जाता है। पर विधेयक में जो खंड है उसके अनुसार तो उस सम्पत्ति पर कर लगेगा जो एक व्यक्ति के मरने पर दूसरे लोगों को मिलेगी। दायभाग में तो मरने पर ही सारी सम्पत्ति पर उत्तराधिकारियों का अधिकार होता है।

मेरा सुझाव है कि खेती की भूमि विमुक्त कर दी जाए जिस से कि भूमि-अपखण्डन न हो तथा खाद्य समस्या खराब न हो। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि न्यूनतम राशि निश्चित कर दी जाए जिस पर यह कर न लगे तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सुरक्षा रहे। तीसरा सुझाव यह है कि विस्थापित व्यक्तियों पर यह कर १० वर्ष तक न लगाया जाए तथा शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति पर यह अधिनियम लागू न हो। दायभाग और मिताक्षर परिवारों के साथ समता का व्यवहार किया जाए। कर की विशेष दरों के द्वारा यह असमता मिटाई जा सकती है। नियंत्रक के आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए एक न्यायिक अपेलेट अधिकरण हो। यह अधिकार केन्द्रीय राजस्व मंडली को न हो।

खंड ३९ के अनुसार सम्पदा-शुल्क के लिए सम्पत्ति का मूल्यांकन करने का अधिकार नियंत्रक को दिया गया है। मेरा निवेदन है कि विधेयक में मूल्याकन के सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाए जिस से कि वह मनमानी न करे।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय इस बिल पर मेरा बोलने का बिलकुल विचार नहीं था। परन्तु यहां जो बहस चल रही है उस में दो बातें कही गई हैं, उन को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ और दुःख भी हुआ। जिन चीज़ों से इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसी दो बातें कही गई हैं, एक है दारू निषेध और दूसरा नमक पर कर लगाना। दारू निषेध को क्यों हटाना चाहते हैं, क्यों कि जिन के पास मिल्कियत है उस मिल्कियत पर उन को टैक्स न देना पड़े। ऐस्टेट ड्यूटी (सम्पदा-शुल्क) का मतलब तो यह है कि जिस के पास ऐस्टेट होगी उस को उस ऐस्टेट पर कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर ऐस्टेट नहीं होगी तो देने की बात नहीं होगी। दारू निषेध से कितना फ़ायदा हुआ है और दारू निषेध कितना सफल हुआ है, उस की इस से नहीं माप की सकती है कि दारू छुपे तौर से बनाई जाती है। आप को अगर यह देखना है, आप को यह समझना है कि उस से कितना लाभ हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, तो आप चलिये और शहरों में से निकल कर वहां जा कर देखिये जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां जा कर देखिये तो आप को पता लगेगा जहां एक पाव भर आटे में दो सेर पानी डाल कर लोग उसको उबाल कर ज़रा नमक और मिर्च डालकर अपना जीवन बिताते थे, आज वह चावल दाल खाने लगे हैं। आज उन को कुछ कपड़ा पहनने को मिलता है। और शहरों म भी जहां कारखाने हैं, जहां मज़दूर लोग रहते हैं, वहां पहले आप आते थे तो आप क्या देखते थे, और

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

अब आप क्या देखते हैं। वहां पहले झगड़ा, फ़िसाद, टै टंटा चलता था, गाली गलौच चलती थी, मार पीट होती थी, आज क्या ऐसी कुछ बात आप वहां देखते हैं? तो दारू निषेध से फ़ायदा है या नहीं यह आप खुद देख सकते हैं। हां कहीं कहीं छिपे हुए बनाते हैं, ऐसा है। लेकिन दारू पीने के कारण पहले जितने गुनाह पुलिस में आते थे वह क्या आज आते हैं? अब बहुत कम आते हैं। छिपी हुई दारू आज कुछ पाई जाती है, इस से इनकार नहीं करते। इस तरह से देखेंगे तो लड़ाई के बाद रिश्वत के केस भी बहुत से बढ़ गये, चोरी भी बढ़ गयी, तो क्या इस तरह आप चोरी को, रिश्वत को आप गुनाह नहीं रखना चाहते हैं, क्या उनको आप चलने देना चाहते हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल का दारू निषेध से क्या सम्बन्ध है। दारू निषेध तो हमारे विधान में लिखी हुई चीज़ है। मैं तो अपनी सरकार से विनती करती हूं कि सन् १९४७ में अन्तरिम सरकार ने निर्णय किया था कि औफीशियल फंक्शन्स (सरकारी समारोह) पर दारू नहीं दी जायेगी, अब पांच साल बीत गये हैं। आप को इसे अब आगे बढ़ाना चाहिये जिस से कि जो एक प्रकार का व्यवस्थित प्रचार दारू निषेध के खिलाफ चल रहा है, जो इस के खिलाफ हल्ला चल रहा है, वह लोग भी समझ जायें कि अन्तरिम सरकार ने जो विधान में दारू निषेध की बात लिखी है उस को वह मानती है और उस पर वह अमल करना चाहती है और करने वाली है। इस दिशा में मैं अपनी सरकार से विनती करती हूं कि वह कुछ सोचे और आगे बढ़े, इस से खाली अटक न जाय।

दूसरी बात है साल्ट टैक्स (नमक कर) के बारे में। आप लोग अब कहने लगे हैं कि साल्ट टैक्स अब फिर लगाना चाहिये। लेकिन क्यों? हमारे देश में तो और देशों के साथ देखें तो पावेंगे कि जितने नमक की वहां पर हर एक आदमी को ज़रूरत है उस से यहां बहुत कम मिलता है। और नमक का उपयोग ख़ाली खाने में नहीं होता है। उस का उपयोग तो खाद में भी होता है और और चीज़ों में भी होता है। महात्मा जी के साथ जब सर आर्चिबाल्ड रौलैंड्स की बातचीत हुई और उन्होंने इस कर को हटाना स्वीकार किया तो वह एक दम स्वीकार नहीं कर लिया। कई घंटों तक उन्होंने बहस की थी और शायद यह किसी को मालूम भी नहीं होगा कि जब नमक के कर के बारे में उन्होंने बहस की तो उस के बाद उन्होंने यह कहा कि अगर उन की यह बहस तीन महीने पहले हो जाती तो उन्हें मालूम हो जाता और वह खुद ही यह कर हटा कर जाते। महात्मा जी की बात कोई आसानी से नहीं मान ली थी। उस को हटाने के क्या कारण हैं, यह क्यों हटाना चाहिये, यह काफ़ी बहस के बाद, सोच समझ कर स्वीकार किया गया था। और आज हमें यह कहा जाता है कि नमक का टैक्स फिर चालू कर दो। वह क्यों? क्योंकि आप को ऐस्टेट ड्यूटी में से कुछ कम देना पड़े। इसलिये आप इस तरह की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम लोग कहते हैं, कि हम ग़रीबों के लाभ के लिये आये हैं, ग़रीबों की भलाई के लिये हम काम करते हैं। हमें वह काम करने हैं जिन से ग़रीब की कुछ शक्ति बढ़े, कुछ उस को खाने को मिले, कुछ उस को काम मिले। लेकिन आप बात करते हैं कि नमक पर टैक्स लगाया जाय। इस सिलसिले में खुद रैमजे मैकडानैल्ड ने नमक के टैक्स के बारे में कहा है:

"नमक कर शोषण है, लोगों को पीढ़ा देना है। यदि लोग इसे समझेंगे तो वे असन्तुष्ट

हो जाएंगे । लाभ कमाने वाली कम्पनी की गरीब भारतीयों का शोषण करने की सामान्य नीति का यह अवशेष है ।"

यह खुद रैमज़े मैकडानैल्ड के शब्द हैं

मैं आप को बता सकती हूं कि कितने अंग्रेजों ने यह कबूल किया है कि साल्ट टैक्स लगाना यह बहुत बड़ी गलती है और कभी नहीं लगाना चाहिये । मैं तो यह दो बातें करने को खड़ी हुई हूं । ऐस्टेट ड्यूटी कितनी लगानी चाहिये, किस तरह से लगानी चाहिये, इस के वसूल करने में लोगों को कम से कम तकलीफ कैसे हो, इन सब बातों पर आप बहस करें तो वह तो समझ में आती है । परन्तु इस के पीछे दारू निषेध हटाने की बात करना बहुत बड़ी गलत चीज़ है । और इस ऐस्टेट ड्यूटी के बारे में कि यह आने वाली है यह तो चुनाव में भी सब लोगों को मालूम थी, क्योंकि जो लोग कांग्रस के खिलाफ थे उन लोगों ने तो यहां तक बातें की थीं कि अब तो सरकार ऐसे टैक्स लगाने वाली है कि जब आदमी मर जायगा तो टैक्स वसूल करने के बाद उस की देह को घर में से निकालने देंगे । ऐसी बातें लोगों ने चलाई थीं और उस का कई जगह मैं ने जवाब भी दिया था । तो लोगों को तो यह चीज़ मालूम है और इस के बाद हम लोग आये हैं । इसलिये मैं कहती हूं कि साल्ट टैक्स या दारू निषेध हटाने की बात को नहीं लाना चाहिये । जिस तरह से लोगों को तकलीफ कम से कम हो, यह बात करनी चाहिये । एस्टेट ड्यूटी चालू करने के कारण तो आप को बताये गये हैं कि हमें इतने इतने प्रोजक्ट्स (योजना) बढ़ाने हैं, हमारे देश में इतने काम करने हैं, । इन सब के लिये टैक्स की ज़रूरत है । इस के लिये ही यह टैक्स चलाया जाता है ? इस के साथ दारू निषेध की बात करना ठीक नहीं है कि उस एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पाद-शुल्क) में से हम को कितना मिलता था, उस में गरीब लोगों को कितना देना पड़ता था, कितने परसैंट ड्यूटी लगती थी और खुद जो दारू पीता था उस को कितना देना पड़ता था । तो दारू निषेध से अब कितना पैसा बचता है और दारू निषेध से कितना फायदा हुआ है, कितना लाभ हुआ है इस को आप देखेंगे । इस को हटाना चाहिये या नहीं यह तो आप उन से मिलें और उन से पूछें । दारू निषेध होने से जो लाभ देश तथा समाज को हुआ है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और आप पढ़े लिखे लोगों के घरों और मज़दूर लोगों के घर में पूछिये जहां पहले दारू पी जाती थी, तो आप को मालूम होगा कि उन की औरत कितनी अहसानमंद हैं और इस आज्ञा ... ी हो जाने के बाद से उन की दशा में कितना सुधार हो गया है । उन बहिनों से जा कर पूछिये तो मालूम होगा कि इस के बन्द हो जाने से उन के मर्दों की सेहत भी अच्छी हो गई है और आर्थिक दशा भी काफी सुधर गई है, क्योंकि दारू पीने में उन के मर्द काफी पैसा बर्बाद किया करते थे । मैं आप को बतलाऊं कि तीन साल पहले इधर से एक आई० सी० एस० अफसर बम्बई में ट्रांसफर हो कर गया वह कोई इतना नहीं पीता था कि पागल हो जाता, हमें ६ महीने बाद बम्बई जाने का इत्तिफाक हुआ तो उस अफसर की स्त्री ने हमारे पास आ कर अपने आप कहा कि इस दारूबन्दी से मेरे पति को बहुत लाभ हुआ है, शराब न पीने के कारण उन की सेहत भी अच्छी हो गई है और जो पैसा व्यर्थ शराब में खर्च होता था वह भी बचने लगा है । पोलिटिकल रीज़न्स (राजनैतिक कारणों) की वजह से दारू निषेध का विरोध करना कोई ठीक बात नहीं है । जिन लोगों को दारू पीना है, और जो लोग दारू बेचने में इंटरेस्टेड (स्वार्थ) थे उन लोगों ने दारू निषेध के खिलाफ एक केम्पेन (आन्दोलन) चलाया है, इस कैम्पेन में कांग्रेस वालों को नहीं पड़ना चाहिये । हम

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

ने बहुत सोच समझ कर विधान में दारू-निषेध को रखा है, और हम को ऐसे समाज विरोधी आन्दोलन में कदापि नहीं फंसना चाहिये । स्वतन्त्रता संग्राम में हम ने दारू निषेध कराने के हेतु शराब की दुकानों पर धरना दिया, पिकेटिंग की, कितने लोग जेल गये, और कितनों की इस आन्दोलन में जान ले ली गई । साल्ट टैक्स आन्दोलन में हम कांग्रेस वालों ने अपनी जानें ख़तरे में डालीं और और कितने ही लोग उस में मर भी गये । यह आन्दोलन जो हम ने चलाया था, वह कोई पोलिटिकल स्टंट (राजनैतिक आडम्बर) नहीं था, यह तो हमारा कनविक्शन (विश्वास) है । ऐसी हालत में आज जो लोग इस दारूबन्दी के विरुद्ध कैम्पेन चलाते हैं और उस के विरुद्ध अख़बार में चिल्लाते हैं कि दारू निषेध हटाना चाहिये दारू निषेध फैला हुआ है तो हम को इस में नहीं फंसना चाहिये । मद्रास की बात करते हैं कि वहां तो यह बिल्कुल फैल्योर (असफल) हुआ है । मैं यह चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूं , आज कौन नहीं जानता कि रेलवे में पार्सल ले जाने के लिए और वैंगनस लेने के लिये कुछ न कुछ देना पड़ता है, उस को दस्तूरी कहते हैं । तब ही वैंगनस मिलते हैं । क्या हम इस तरह की दस्तूरी को गुनाह नहीं मानते ? हम इस को हटाना चाहते हैं और अगर ऐसा करते समय कोई पकड़ा जाय तो अच्छा होगा कि उस को तथा उस के अन्य साथियों को समुचित शिक्षा मिल जायगी । जिस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि वैंगनस आदि में दस्तूरी लेना गुनाह नहीं है, उसी तरह से दारू निषेध फैला हुआ है तो हटा देना चाहिये, ऐसा नहीं कहना चाहिये । इस क़ानून को सफल करने के लिये हम सब को उस के लिये प्रयत्न करना चाहिये । पहले जिस तरह हम उस के लिये प्रचार करते थे और लोगों को इस का निषेध हो जाने से लाभ समझाते थे, वह सब काम हमें करना चाहिये । मैं आशा रखती हूं कि इस ऐस्टेट ड्यूटी बिल के साथ साथ सरकार दारू निषेध बिल के विषय में भी सोचेगी और इस को और आगे बढ़ाने के लिये कुछ ठोस काम करेगी ।

श्री के० के० देसाई (हलार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । एक दो को छोड़ दूसरों ने भी इस का समर्थन किया है पर वे कई प्रकार की विमुक्तियां चाहते हैं जो यदि दे दी जाएं तो इस विधेयक का प्रयोजन ही सिद्ध न हो । कुछ चाहते हैं कि दान-पुण्य में दी गई राशि विमुक्त कर दी जाए । हमें मालूम है कि विमुक्ति पाने के लिए कितने झूठ-मूठ के दान-पुण्य किए जा सकते हैं । कुछ लोग चाहते हैं कि पर्याप्त अधिक सम्पत्ति कर-विमुक्त की जाए तथा उस से अधिक पर ही कर लगे । विमुक्ति की सीमा निश्चित करते समय आप देश की राष्ट्रीय आय का ध्यान रखें तथा अमेरिका और इंगलैंड का अनुकरण न करें नहीं तो यह विधेयक स्वांग बन जाएगा तथा सरकार को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त आय प्राप्त न हो सकेगी ।

यह कहा गया है कि हमें करदान क्षमता का ध्यान रखना पड़ेगा । इस कर में यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस से तो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का वितरण मात्र ही होता है । कुछ लोग चाहते हैं कि विमुक्ति सीमा तथा दर अभी निश्चित कर दी जाए । वह तो सरकार की आवश्यकता पर निर्भर रहेगी ।

सभा में कुछ असंगत बातों पर भी चर्चा की गई है ? लोग शराब-बन्दी को भला बुरा कहते हैं उन के अनुसार शराब बन्दी असफल रही है । यह बातें झूठ हैं । इसके कारण महान् परिवर्तन हुआ है इस से गरीबों की दशा में बड़ा सुधार हुआ है । यदि ५० करोड़

रुपये शराब बन्दी हटा कर प्राप्त किए जाएंगे तो गरीबों को २०० करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। ये चाहते हैं कि धनवानों के भले के लिए गरीबों से पैसा लिया जाए। वे चाहते हैं कि गरीबों से पैसा लिया जाए जिस से उन्हें खुद को कर न देना पड़े और उस पैसे से इन के लिए अस्पतालें और कालेज खोले जाएं। मैं कई सालों से गरीबों में काम कर रहा हूं। वे चाहते हैं कि शराब बन्दी न हटाई जाए। शराब बन्दी से उन के सामाजिक और घरेलू जीवन में सुधार हुआ है। दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के समय मैं गया था। वहां पूरी शराब बन्दी है। वे लोग उसे नहीं हटाना चाहते।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : प्रवर समिति में जाने के पहले इस विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा हो जानी चाहिए। यह विधेयक ठीक ही है। इसमें बुराई कोई नहीं है। ठीक दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस में कमी इस बात की है कि इस से घोषित उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। १९४६ में यह विधेयक प्रस्तावित किया गया था तथा प्रवर समिति को सौंपा गया था। अन्तरिम संसद् समाप्त होने के बाद वह भी समाप्त हो गया। १९४८ में संविधान सभा ने भी इस पर वाद विवाद किया था। वास्तव में यह विधान तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। यह अच्छी बात है कि अब यह विधेयक सामने आया है। पर सरकार के स्वरूप को देखते हुए तथा उस से हम जो आशा करते हैं, उस के कारण हमें शक ही है।

वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि वे हमारी भाषा नहीं समझते। यह अच्छी बात है कि अब उन्हें भी मालूम हो गया कि पूंजीवाद के अन्दर भी उस दिशा में कुछ कार्य किया जा सकता है। मैंने श्री गाडगिल का उत्साह-पूर्ण भाषण सुना पर उन्हें उन शक्तियों का पता नहीं है जो समाज में कार्य कर रही हैं। समाजवाद केवल सहानुभूति और दान-पुण्य की बात नहीं है। लोग अब जागृत हो गए हैं। उन्हें अपने अधिकारों का पता लग गया है। उन्हें दान-पुण्य नहीं चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति और अपने संगठन में विश्वास है।

लोगों को समाजवाद के विषय में भ्रम है। यह विधान समाजवाद से कोसों दूर है।

मैंने श्री चटर्जी का भाषण सुना। वे एक ही सांस में इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बोल रहे थे। अन्त में उन्होंने निश्चय कर लिया क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि यह पूंजीवादियों का विधान है।

श्री रामनारायण सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा वातावरण नहीं बना सकती जिसमें दक्ष प्रशासन हो सके।

इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं। मुझे आशा नहीं है कि वे हटाई जाएंगी। यदि वे हटा भी दी गई तो मुझे विश्वास नहीं है कि इस का प्रशासन भली भांति हो सकेगा वे ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं कि लोग सरकार को अपनी समझ कर अपने मन से उसे पैसे दें। बिक्रीकर और आयकर जिस प्रकार लगाया और उगाहा जा रहा है वह बड़ा प्रशंसनीय नहीं है। यह कर धन के असम वितरण को न हटा सकेगा। सम्पदा-शुल्क केवल कुछ लोगों से ही लिया जा सकेगा। बहुत से धनी लोग कर-अपवंचन करेंगे। इस का भार केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो इसे सहन करने में सब से कम असमर्थ हैं। इस तरह सरकार को अधिक राशि प्राप्त न हो सकेगी। फिर हम बड़ी जमींदारियों का अन्त ही क्यों न कर डालें तथा छिपी हुई सम्पत्ति को खोजें। त्यागी जी के मत में कर एक प्रकार का दान जो मनुष्य स्वेच्छा से देता है। सरकार को वह स्वीकार

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

करना पड़ा जो लोगों ने स्वेच्छा से दिया यद्यपि लोगों के पास बहुत आय थी जिस पर लगाए गए कर का अपवंचन किया गया था।

हैदराबाद के निज़ाम संसार के सब से धनी व्यक्ति हैं। ऐसे लोग सम्पदा-शुल्क बचाने का प्रयत्न करेंगे। अपने रिश्तेदारों के लिए ट्रस्ट बनाने का उपबन्ध है। इस का उपयोग इंगलैंड जैसे देशों में भी होता है। वहां के धनवान व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों को अपने जीवन काल ही में लगभग एक चौथाई सम्पत्ति दे देते हैं। कर अपवंचन में सहायता देना वकीलों का प्रधान व्यवसाय बन गया है। बड़े अनुमाप पर यही बात इस देश में होगी।

न मालूम राजाओं पर यह विधान किस प्रकार लागू होगा। उन्हें लगभग ५८० लाख रुपयों की निजी थैली दी जाती है। हैदराबाद और मैसूर के साथ यह शर्त कर ली गई है कि राज्य की गद्दी का उत्तराधिकार जैसा अब तक चला आया है वैसा ही चलता जायगा। इन हितों की रक्षा करने के लिए खंड ३२ में विशेष उपबन्ध भी किया गया है। इस त्रुटि का उपयोग व्यर्थ के लोग करेंगे। हैद्राबाद के निज़ाम जैसे व्यक्तियों को कर-विमुक्ति मिल जाएगी। यदि उन का कुछ पैसा हाथ आ जाए तो वह राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया जा सकता है।

जिस तरह से सरकार बिक्री-कर और आयकर वसूल कर रही है वह सब को मालूम ही है। उस से सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं बढ़ सकता। आयकर जांच समिति ने तो यह कहा था कि उन के पास चोर पकड़ने की शक्ति नहीं है। आय कर का अपवंचन दो प्रकार के लोग करते हैं—एक तो विदेशी पूंजी वाले हैं जो हमारी सरकार की नीति के कारण यहां जमे हुए हैं और दूसरे औद्योगिक पूंजीपति हैं जिन का नाश नहीं हो पाया है। ये दो प्रकार के लोग कर-अपवंचन में सिद्धहस्त हैं।

राजस्व तथा व्यय मन्त्री (श्री त्यागी) : आप सूची में वकीलों और डाक्टरों का नाम भी जोड़ दीजिए।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह विधेयक प्रवर समिति में जायेगा। आशा है वहां इस की त्रुटियों को पूर्ण करने का प्रयत्न होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि विदेशी पूंजीपति बहुत से भत्तों के बहाने आय कर का अपवंचन करते हैं। चाय के उद्योग में गोरे लोग यही करते हैं। यदि हम इन विदेशी पूंजीपतियों की समता अन्य देशों के विदेशी पूंजीपतियों से करें तो हम बड़ी भारी भूल करेंगे। फ़्रांस की सरकार ने बीकानेर के महाराजा को अपने पिता के फ़्रांस में स्थित निवास स्थान पर कब्जा नहीं करने दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस की एक कसौटी तो अवश्य है पर हमें इन विदेशी पूंजीपतियों को भिन्न दृष्टिकोण से देखना है क्योंकि उन्हों ने हमारे देश का बहुत शोषण किया है। उन्हें सबक सिखलाना पड़ेगा। द्विगुण करारोपण के तर्क पर हम उन्हें नहीं छोड़ देंगे। वे आय तथा सम्पदा कर से विमुक्ति चाहते हैं। हमें इस बात की पूरी छान बीन करना पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महादय : मध्याह्न भोजन के पश्चात माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० एन० मुखर्जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं इस विधेयक से बहुत अधिक खुश नहीं हूं क्योंकि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं तथा सरकार का इरादा उस सम्पदा पर कर लगाने का नहीं दिखता जिस पर कर भार पड़ना चाहिए । इस बारे में मैं ने हैद्राबाद के निज़ाम और विदेशी पूंजीपतियों की चर्चा की थी । इन के साथ नर्मी का व्यवहार नहीं करना चाहिए । वाद विवाद में यह चर्चा की गई थी कि कुछ हिन्दुओं पर इस विधान का बुरा असर पड़ेगा । इस के विषय में मेरा कहना यह है कि संविधान में इस बात का निदेश है कि इस देश में एकसम संहिता हो तथा उत्तराधिकार का एकसम कानून हो । माना कि हमारी बहुत सी प्राचीन परम्पराएं अच्छी हैं । मैं उनका आदर करता हूं और मुझे उन पर गर्व है । पर इस से हमें आधुनिक सामाजिक तथ्यों को केवल आधुनिक होने के कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए । उदाहरणार्थ संयुक्त परिवार की प्रथा बड़ी उपयोगी थी पर अब यह समय उस प्रथा के अनुकूल नहीं है । अब प्राचीन आदर्शवाद का सहारा लेने से काम न चलेगा । वर्तमान के साथ समायोजन कर ही हम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे । हमें संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकार के कानून को समयानुकूल बनाना पड़ेगा । इस बात को सोच कर ही संविधान में यह निदेश रखा गया है कि देश में एकसम व्यवहार संहिता बनाई जाए । माना कि हमें अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता है फिर भी हम उत्तराधिकार और विवाह के नियमों को धर्म से अलग कर सकते हैं । यह तुर्किस्तान और मिस्र जैसे मुसलमान देशों में भी किया गया है । यदि वैसा ही हम कर लें तो हमारी व्यर्थ की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी ।

यह कहा गया है कि इस विधान से पूंजी-निर्माण में बाधा पहुंचेगी । जिन जिन देशों में यह कर लगाया गया है उनका अनुभव ऐसा नहीं है । पर यहां मैं वित्त मन्त्री जी को सावधान कर देना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक की त्रुटियां दूर न की गईं और सब से धनवान लोग इस कर का अपवंचन करते रहे तो केवल कम आय वालों पर भार पड़ेगा । प्रवर समिति में जब यह विधेयक जाए तब इस बात का ध्यान रखा जाए कि केवल ईमानदार लोगों को ही इससे कष्ट न हो । दूसरे बड़े बड़े लोग न बचने पाएं । सट्टा करने वाले भी कर-अपवंचन करते हैं । उन्हीं के कारण देश में आर्थिक जीवन की दुर्दशा है । इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग न बच पाएं तथा केवल गरीबों की ही मौत न हो । ऐसा करने पर ही पूंजी-निर्माण में बाधा न पहुंचेगी ।

वाद विवाद में यह भी कहा गया है कि सम्पदा-शुल्क से प्राप्त रुपए विकास योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे । यहां पर मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं । विदेशी पूंजीपति हमारी अर्थ व्यवस्था का नाश करना चाहते हैं । अमेरिका के राजदूत ने कहा था कि जो पैसा वे दे रहे हैं वह कहां और कैसे खर्च किया जायगा इसका निश्चय वे ही करेंगे । विदेशी अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं । जब तक हम अपनी विकास योजनाओं पर फिर से विचार न करेंगे तथा जब तक हम अपने सम्मान और स्वतन्त्रता को अमेरिका के हाथों से न बचाएंगे तब तक ये विकास योजनाएं सफल न होंगी । हमें सारी स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार करना पड़ेगा । यदि हमें अपने देश की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं तो हमें दूसरे ढंग से सोचना और काम करना होगा ।

[श्री एन० एन० मुखर्जी]

शुद्ध पूंजीवाद में सम्पदा विधेयक के लिए कोई स्थान नहीं है । जब उसका पतन होने लगता है तब समाज सेवा के विधान बनाए जाते हैं । सदन के सब लोगों ने इस का समर्थन किया है क्योंकि यह समाजवाद की ओर ले जाने वाला प्रयास है । पर महान् प्रयत्न करने पर भी पूंजीवाद में जनसाधारण का भला कभी नहीं हो सकता । वित्त मन्त्री को अपने विचार बदलना चाहिए । पूंजीवाद रहे या न रहे, लोगों का भला होना चाहिए । हमें देश में समाजवाद की स्थापना करने में दूसरों की नकल नहीं करनी है । हमारे देश वासियों की आवश्यकताएं भिन्न हैं ।

कहा जाता है कि मृत्यु किसी की परवाह नहीं करती । यह बात सच नहीं है । गरीब जिलों की अपेक्षा धनवान जिलों में मृत्यु दर अधिक होती है । बम्बई में एक कमरे वाले परिवारों में शिशु मरण की दर प्रति हजार ५७७ थी पर दो कमरे वाले परिवारों में वह केवल २५४ ही थी । मृत्यु उन्नत व्यक्तियों की परवाह करती है । यदि आप के पास अधिक सुविधाएं हैं तो आप अधिक समय जीवित रह सकते हैं । इस कर का प्रभाव धनवान लोगों पर पड़ेगा जो अपने वयस्क लड़कों को सम्पत्ति छोड़ जाएंगे । उन्हें अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं है । देश के गरीब लोग नया जीवन चाहते हैं । उन की दशा इस मिश्रित अर्थव्यवस्था से नहीं सुधारी जा सकती । हमें स्थिति में आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे । बहुत बड़े लगने वाले इन छोटे छोटे विधानों से काम न चलेगा इनका व्यवहार इस प्रकार किया जायगा जिस से कि जनसाधारण का इससे अहित होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ४ बज कर बीस मिनिट पर मन्त्री जी उत्तर देंगे । उस से पहिले मैं चार पांच सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं । श्री सारंगधर दास ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनल—पश्चिम कटक) : श्री गाडगिल ने कहा कि इस विधेयक से पूंजी-कर लग जायगा । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चार-पांच वर्षों से समाजवादी दल ने जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें सरकार ने तथा कांग्रेस दल ने सदैव बिगाड़ा है । सरकार ने भूमि सेना तथा खाद्य सेना बनाने के विचार को लिया था पर वह प्रयास असफल रहा क्योंकि इस कार्य के लिए लोगों को सैनिकों की भांति भरती करने तथा उन्हें वेतन आदि देने के स्थान में सरकार ने कुछ स्वयंसेवक भरती किए जिन्होंने थोड़े-बहुत गड्ढे खोदे । हमारा यह प्रस्ताव था कि ५ लाख से अधिक पूंजी पर पूंजी-कर लगाया जाए तथा कर की दर पूंजी की राशि के अनुसार बढ़ाई जाए । उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया । सम्पदा-कर से लगभग ९ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होगी । परन्तु विकास योजनाओं के लिए तो हमें ३०० करोड़ रुपए और चाहिए हैं । तब कहीं हमारी योजना पूरी होगी । आवश्यकता को देखते हुए ये रुपए बिलकुल थोड़े हैं । वास्तव में क्रान्तिकारी विधान बनाने के स्थान में यह ९ करोड़ रुपए प्राप्त कराने वाला विधान बनाया गया है और इसे क्रान्तिकारी कहा जा रहा है । वास्तव में जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही यह विधान बनाया गया है । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि उन्हें इस प्रकार धोखा दिया जा सके ।

मैं इसे बहुत छोटा तथा हानिरहित विधान कहूंगा । संसार में चालीस अन्य देश सम्पदा-कर लगा चुके हैं । कुछ देशों में तो यह २५ वर्ष पहिले लगाया जा चुका था ।

पिछले वक्ताओं ने सामान्य मनुष्यों के विषय में कहा। उन पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा। ३६ करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के केवल ९ लाख व्यक्तियों अर्थात् ३/१० प्रतिशत व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन के लिए ही इतना शोर मचाया जा रहा है। यह क्यों ? बात यह है कि जब हम हिन्दू परम्परा की बात करते हैं तब हम शूद्रों को भूल जाते हैं। वे प्राचीन काल से ही दबाए गए हैं। उच्च वर्ग के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मृत्यु के बाद उन की कुछ सम्पत्ति चली जायगी। परन्तु प्राप्त हुए ९-१० करोड़ रुपयों से सामान्य मनुष्य को क्या लाभ होगा ?

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

यह विधान बिलकुल क्रान्तिकारी नहीं है। गांधी जी के अनुसार हम तीन वर्ग के लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार किया था। आदिवासियों और हरिजनों की शताब्दियों से उपेक्षा होती आई है। यदि हम वास्तव में इनका भला करना चाहते हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि सम्पदा-कर से प्राप्त पैसे पिछड़ी हुई जातियों और जनजातियों के विकास के लिए अलग रख दिए जाएं। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि ग्रामों के विकास के लिए व्यय किया गया रुपया ऊंची जाति के लोगों की भलाई में ही लग जाता है।

मैं हरिजनों की बस्तियों में गया था। उन के लिए पानी पीने के वास्ते सामान्य कुएं भी नहीं हैं। वे अत्यावश्यक हैं। कुछ मास हुए ढेनकनल जिले में हरिजनों के कुओं के लिए सरकार ने आठ हज़ार रुपयों की मंजूरी दी थी। इन से कुल आठ कुएं बनेंगे। आवश्यकता को देखते हुए ये बहुत कम हैं। अगर इसी प्रकार रुपयों की मंजूरी दी गई तो पर्याप्त कुएं बनाने में एक शताब्दी लग जाएगी। यदि सम्पदा-कर से प्राप्त आय हरिजनों के विकास के लिए पृथक्-रक्षित की जाए तो दस-पन्द्रह साल में उन की काफ़ी उन्नति हो सकती है। ऐसा करना वास्तविक प्रायश्चित होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा और फिर से कहूंगा कि यह बहुत छोटा सा विधान है और यदि वित्तमन्त्री जी को योजना कार्यान्वित करने के लिये अधिक धन चाहिए है तो उन्हें अधिक क्रान्तिकारी विधान बनाना पड़ेगा।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व तथा जिला बलिया—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह जो राज्य-कर का विधेयक उपस्थित है, उस के सम्बन्ध में मैं ने कुछ बहुत विस्तार से पढ़ा नहीं, पूरा विचार करने का अवसर मिला भी नहीं, किन्तु उस दिन अर्थ मन्त्री महोदय के भाषण को सुन कर और उस के बाद जो भाषण हुए हैं, उन को सुन कर मुझे सन्देह होता है कि इस विधेयक का जो अभिप्राय है वह बहुत कोई अच्छा परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। चालीस देशों में इस प्रकार का कर लगा हुआ है। हम ने उस का प्रमाण मान लिया कि ४० देश जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से हम को भी जाना चाहिए। "महाजनों येन गतः स पंथा" वही मार्ग हमारा है जिस से और लोग चले जा रहे हैं। महाजन शब्द इस विधेयक के साथ सम्बन्धित है इसलिये मैं ने उस का प्रयोग किया। अब मैं इस विधेयक की जो भावना है कि पैसा आये और सब लोगों में समता हो और वह कुछ थोड़े से हाथों में सीमित न रह जाये, इस से देश को बचाया जाय और देश का एक नया आर्थिक ढांचा नयी आर्थिक नींव पर राष्ट्र का निर्माण हो, यह जो भावनायें हैं, उन भावनाओं का सभी स्वागत करेंगे। यह समझना कि यह भावनायें इस देश में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलति

[श्री अलगू राय शास्त्री]

नहीं रही हैं भ्रमात्मक हैं और हमारे अज्ञान का सूचक हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन भावनाओं का सदा यहां आदर नहीं होता रहा है। "अहरहर्दानं देयात्" में यही भावना थी कि हम सब कमा कर सिर्फ़ अपने पास ही न रख लें, बल्कि उस से समाज और देश का कल्याण करें। इसी प्रकार "मा गृधः कस्य स्विद्धनम्" में भी यही भावना रही है कि हम ग़रीबों की हड्डी का मांस न नोचें और उस के श्रम का नाजायज़ लाभ उठा कर स्मृद्धिशाली न बन जायें, इस बात की मनाही सदा यहां रही है और राष्ट्र के लिये और शासकों के लिये भी यह चेतावनी रही है "मायाभिरिन्द्र मायिनं शुष्माणमवातिर" हे इन्द्र तू मायावी शोषकों को माया से जीत। इन भावनाओं को अपने सामने रखते हुए मैं यह उचित समझता हूं कि समाज का निर्माण आर्थिक समता के आधार पर हो, सब को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले और सब के लिए सुविधायें हों। अन्नादेः सम-विभागः प्रजानाम यथार्हतः प्रजामात्र को--सब को जो जीवनोपयोगी सामग्रियां हैं समता के साथ राज्य द्वारा बंटवाना राजसत्ता का परम कर्त्तव्य है। इन बातों को सामने रक्खें तो जो यह राज्य कर है, देखने में ऐसा लगता है कि उस समस्या को सुलझा देता है, मगर मुझे सन्देह है कि यह उस को सुलझाता है भी या नहीं और आज गांवों में और गलियों में जो मामूली आदमी चलते हैं जो इक्का हांकते हैं और जो इक्कों पर बैठते हैं, वह लोग, वह नहीं जो गाड़ियों पर चलते हैं और जो राज्यपथ से अच्छी सवारियों में जाने वाले हैं, वह लोग तो केवल पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ें जो उनके सामने आती हैं, उन्हीं को वह देखते हैं, उनके सामने जन साधारण क्या कहते हैं इस को वह जान ही नहीं पाते हैं। लोगों ने इस बिल का नाम "कफनखसोट बिल" रख दिया है, यानी मरने के समय कुछ दान देने का साधन गाय की पूंछ पकड़ कर कुछ सोना दान किया जाता है ताकि मरने वाले की आत्मा को शान्ति मिले और वह गो लोक पहुंचे, वैतरणी पार करे, इस क़िस्म की भावना स्वर्ग में उस की आत्मा को तृप्त करने की भावना तो यहां पहले से बनी रही है। तो ऐसी सूरत में जो देश मृतक की आत्मा को शान्ति देने के लिये गोदान कराता है, तरह तरह के दान कराता है, अगर राज्य भी उस से कुछ कर ले ले तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है। मगर जो मृतक की आत्मा को शान्ति देने के लिये दान देने की व्यवस्था थी उसमें दान लेने वाला कोई बड़ी निगाह से नहीं देखा जाता था। वैसे तो इस देश में उस के लिये महापात्र शब्द बताया गया है। "महादान अधिकारी को" "करोड़ों का दान महाअधिकारी को" इस प्रकार से दान की भावना इस देश में रही है। इस तरह का दान जो अखरने वाला न हो। मैं इस सम्बन्ध में यह बात बता देना चाहता हूं कि यह चीज़ तो लोगों के दिल में है लेकिन वह दान जो मृत्यु के समय दिया जाता है उस के लेने का अधिकार एक विशेष भावना के साथ सम्बन्ध रखता है, अर्थात् मृतक की आत्मा की तृप्ति। लेकिन यदि राजा इस कर को लेने लगे तो, चालीस देशों में कोई भी भावना हो, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग धार्मिक विचार हुआ करते हैं, उन के अलग ट्रैडिशन्स (परम्परा) हैं, किन्तु इस देश में उस राजा के प्रति कोई सद्भावना नहीं हो सकती जो इस प्रकार से मृत्यु के समय कर लगाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि एक व्यक्ति के हाथ में धन संचित हो लेकिन उस का एक तरीक़ा यह भी हो सकता है कि जिन लोगों को धन कमाने का अधिकार हो, उन के उस

अधिकार को सीमित किया जाय। जिस समय वह कमा रहे हों उसी समय उन के ऊपर कर लगा दिया जाय जिस में उस धन में से कम से कम उन को मिल सके और उन के पास धन संचित न हो सके। अच्छा मार्ग तो यह है कि सम्पत्ति के वितरण को और सम्पत्ति के उत्पादन के साधनों को जनता के हाथ में दे दिया जाय। अगर सम्पत्ति के उत्पादन करने वाले साधनों को आप कुछ व्यक्तियों के हाथ में रखते हैं तो समाज एक तरह से पूंजीवादी समाज का रूप धारण करता है। और ओस को चाट कर प्यास बुझाने का प्रयत्न करने के लिए आप राज्य कर लगाते हैं। सब लोग राज्य कर देने की क्षमता नहीं रखते। सब से यदि यह कर वसूल किया जाय तो यह वसूल करने वालों के हाथ में एक ऐसा अस्त्र दे देता है कि जो चुभने वाला होगा। कर के वसूल करने का हक राजा को होना चाहिये मगर इसी तरह से होना चाहिये जैसे एक गाये अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए उमंगती हुई अपने स्तन में दूध उतार देती है क्योंकि वह जानती है कि मैं अपने बच्चे का पालन कर रही हूं। जब तक इस प्रकार से कर नहीं लगता तब तक वह कर अखरने वाला होता है। और फ़िर यह कर सीधा कर नहीं होना चाहिये। कौटिल्य ने चेतावनी दी है कर के वसूल करने के सम्बन्ध में और उस का बताया हुआ सिद्धांत हमारे सामने रहना चाहिये। एक आदमी का जवान लड़का मरा जा रहा है, घर में कोई मरा हुआ पड़ा है और कर वसूल करने वाले तत्काल उस के धन की तालिका तैयार करने के लिए उस के घर पहुंच जाते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : उस समय तो नहीं आयेंगे।

श्री अलगू राय शास्त्री : उस समय न सही, मगर परिवार वालों के सामने तो जायेंगे। मैंने इस विधेयक की तमाम धारायें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आप ने कोई तरीका इस कर के वसूल करने का आखिर अवश्य रक्खा होगा। कर का सम्बन्ध है मरने वाले के साथ अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों के साथ। मैं नहीं समझता कि मरे हुए व्यक्ति को कर देना पड़ेगा। दायभाग पाने वाला अपनी पहली आय पर कर देने जा रहा है इस दृष्टि से देखा जाय तो जो मर गया है उस की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने वाला अपनी उस पहली सम्पत्ति पर कर देने जा रहा है जो उस को उत्तराधिकार में मिली है। तो जिस ने कमाया नहीं, लेकिन जन्म के कारण उत्तराधिकार पाने के कारण कर देने जा रहा है तो उस में क्या दोष है। यह पहली कमाई है, विंडफ़ाल (दैव आय) है, रास्ते में मिली हुई सम्पत्ति है, खुद की कमाई हुई नहीं है, इसलिये उस में कुछ अखरने वाला नहीं है, लेकिन जैसी इस देश के ट्रैडिशन में विचार धारा रही है, यहां के लोगों की जो भावनायें हैं कि थोड़े समय तक सम्पत्ति को भोगें इसलिये कमाते हैं, मगर भले ही हम कमा रहे हैं, हम स्वयं उसे भोग नहीं सकते, इसलिये हमें सन्तति की कामना रहती है, प्रत्येक व्यक्ति इसीलिये सन्तति चाहता है कि वह उसके उत्तराधिकार को भोगे। तो यदि इन सारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है तो सम्पत्ति के अर्जित करने के रास्ते को रोकिये, सम्पत्ति के उत्पादन के साधनों पर प्रतिबन्ध लगाइये, मगर मरने के बाद महापात्र की तरह से वहां उपस्थित हो कर कर वसूल करने की भावना मत पैदा कीजिये। दान की भावना को मैं उदात्त भावना नहीं समझता। चन्द्र ग्रहण के दिन एक मुट्ठी भर सावां, कोदों को हम उन को भेंट दें जिन के परिश्रम से हम लाखों रुपया कमायें, यह दान दान नहीं है। दान वह है जो सद्भाव से हो। दान वह है जो दिया जाय तो देने में प्रसन्नता हो, सत्कार्य में समर्पित हो। ऐसा सात्विक दान ही राज्य के लिये

[श्री अलगू राय शास्त्री]

उचित हो सकता है। हम कमाई करें और उस कमाई में राज्य को दान दें और समाज की उन्नति करने में हमारी शक्ति लगे इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

तो इन मौलिक सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हुए हमें ऐसा ढंग निकालना चाहिये कि समाज का नव निर्माण नये नये आधार पर हम करें किन्तु उस नव-निर्माण के लिये सम्पत्ति के समवितरण के लिये यह बड़ी दुरूह कल्पना है। आप छिपी हुई आय को चाहते हैं, लोग बता दें, आप उस पर टैक्स लगा कर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, मगर कोई बताने वाला नहीं है। वह काग़ज़ के नोट तिजोरियों में रक्खे हुए हैं, उन नोटों को कैंसेल (रद्द) कर दीजिए और अपने छापिये। उन के लिये भी समय नियत कर दीजिये कि इतने समय में बदल लें, और उस के बाद आप उनको भो खत्म कर दें। ऐसा ड्रास्टिक (कठोर) कदम उठाना पड़गा। अब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ है, दूसरे देशों की हुकूमत के नीचे हम थे। लेकिन अब जिन लोगों के पास से आप पैसा निकालना चाहते हैं उस के लिये रास्ता यह है कि उत्पादन के साधनों पर कण्ट्रोल कीजिये। अगर उत्पादन दूसरों के हाथों में, व्यक्तियों के हाथों में रहे तो आप इस तरह के उपायों से केवल थूक से सत्तू सानना चाहते हैं। अगर आप इसी तरह समाज की विषमताओं को दूर करना चाहते हैं तो कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीज़ें लाने से पहले आप भावनाओं को ध्यान में रखिये, और जनता के अन्दर एसी भावनायें न पैदा होने दोजिये कि जिस में हमें केवल क़फ़न खसोट करने वालों का पद मिले।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल पर कई वक्ताओं ने भाषण दिये हैं और मैं भी कुछ थोड़ा सा अपने विचारों को प्रकट करता हूं। मेरे मित्र श्री सारंगधर दास जी ने कुछ हमारे लोगों के लिय कहा है कि इस बिल के द्वारा जो ज्यादा से ज्यादा लाभ सरकार को होगा उस को गरीब अछूतों के लिए, बैकवर्डक्लासेज़ (पिछड़ी जातियों) के लिए खर्च होना चाहिये। इस हाउस के अन्दर हमारे भी कई प्रतिनिधि हैं और मैं भी हूं, लेकिन एक के मुंह से भी वैसी बात नहीं निकली जैसी सारंगधर दास जी ने अछूतों के लिये कहा। यहां ब्राह्मण भी हैं, लेकिन यह सच्चे ब्राह्मण हैं या झूठे, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे खयाल से यह जो बिल है उस का समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि यह अच्छा बिल है क्योंकि अब तक अपोज़ीशन ग्रुप (विरोधी पक्ष) के कई लोगों ने इसे सपोर्ट (समर्थन) किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रुपया आये वह अच्छी तरह से खर्च होना चाहिय। क्योंकि मैं देखता हूं कि यहां बड़े बड़े मन्त्री बैठे हुये हैं, आई० सी० एस० अफ़सर भी हैं, जो स्कीम तो बहुत बनाते हैं लेकिन वह अमल में नहीं आती हैं। जैसा हिन्दू कोड बिल के साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिये। कई महीने तक उस की चर्चा होती रही, लेकिन किसी शास्त्री ने आ कर कह दिया कि यह हिन्दू कोड बिल तो अम्बेडकर के मुंह से आया है इस लिये अपवित्र है। किसी मिनिस्टर तक ने उस शास्त्री के खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि वह ब्राह्मण हैं। मेरा कहना यह है कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ़ नहीं, लेकिन ब्राह्मणत्व को ख़त्म करना चाहिये। जब कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) के साथ साथ ब्राह्मणजिम (ब्राह्मणवाद) खत्म होगा तभी ठीक होगा, नहीं तो बिल तो कई तरीक़े के आते हैं, इनकम टैक्स का बिल आया है, हिंदुकोड

बिल आया, हमारे देश के मिनिस्टर बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, प्लैनिंग कमीशन (योजना आयोग) की बैठकें भी होती हैं, लेकिन अमल में कुछ नहीं आता है। और भी स्कीमें बन रही हैं, यह कमेटी बन रही है, वह कमेटी बन रही है, सब प्रकार की कमेटी बन रही हैं, सब प्रकार की बड़ी बड़ी स्कीमें बन रही हैं। मैं अपने बम्बई प्रान्त की बात कहता हूं, करीब करीब दस करोड़ रुपया हमारी दारू बन्दी से वसूल हो रहा है लेकिन मुझे मालूम नहीं उस का क्या हुआ। "अन्धेर नगरी चौपट राज" हो रहा है। दस करोड़ रुपया गरीब लोगों की कम्पल्सरी एजुकेशन के लिय जिसे मैं अनिवार्य शिक्षा कहता हूं, खर्च नहीं किया जा रहा है। आखिर खाली दारूबन्दी हटाने से क्या फ़ायदा होगा। कहते हैं नैतिक दृष्टि से बड़ा अच्छा होगा। मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रान्त की नैतिक हालत और खराब हो गई है। हमारे हर तीसरे मकान में शराब की भट्टी है और मिनिस्टर कहते हैं कि शराब बंदी कर के देश के आचरण को ऊंचा उठाया है। समझ में नहीं आता कि इन के दिमाग में क्या है। हमारी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर (शक्ति) तो दे दी है पर वह उन पर कंट्रोल नहीं करती है। स्पीकर साहब से मेरी विनती है कि स्टेट गवर्नमेंटों पर जैसा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिये वैसा नहीं है। उन के दिमाग में जो रहता है वह वैसा ही करते हैं। चार करोड़ रुपया शराब बन्दी के पबलिसिटी आफ़ीसर्स (प्रकाशन पदाधिकारियों) के लिये रखा है। वह देहात में जाते हैं। मज़ा करते हैं और खुद भी पीते हैं। मैं अभी जापान गया था वहां मैं ने देखा कि वहां पर कोई शराब बन्दी नहीं है फिर भी वहां के लोगों का आचरण हमारे देश से काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में पुरानी संस्कृति है, पुराने रीति रिवाज हैं और पुराने ख्याल हैं और सब तरह के लोग हैं। रामराज्य परिषद् वाले अलग बात कहते हैं, जन संघ वाले अलग बोलते हैं, कम्यनिस्ट अलग बोलते हैं। इस तरह देश का भला नहीं हो सकता। जब हम सब संगठन के साथ काम करेंगे तभी हमारे देश का भला हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश सब प्रकार से आगे बढ़े, देश का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन आगे बढ़े और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई अच्छा बिल लाया जाता है तो हम लोग उस का विरोध करने के लिये खड़े हो जाते हैं। हमें अच्छी चीज़ को सपोर्ट (समर्थन) करना चाहिये। हमारे देशमुख साहब बड़ा अच्छा बिल लाये हैं और उस में बहुत संशोधन किया है पर उन्होंने यह नहीं बतलाया है कि वह कितने रुपये तक कंट्रोल करना चाहते हैं। इस के अन्दर क्या चीज़ होगी यह हम को मालूम नहीं है। उन्होंने जो कमेटी बनाई है उस में बड़े बड़े लोगों को रखा है जिस में महाराजा बीकानेर और चटर्जी भी हैं। लेकिन यह इस बिल को कैसे सपोर्ट करेंगे यह मुझे मालूम नहीं होता। इस बिल में कोई लिमिट (सीमा) ज़रूर रखनी चाहिये। जो लोग वर्कर्स (मज़दूर) और पीज़ेंट्स (किसान) हैं उन के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिये। यह बिल बड़े महत्व का है। मेरी यह प्रार्थना है कि जिन की आमदनी पचास हज़ार से ज्यादा हो उन के मरने के बाद उन की प्रापर्टी पर आप यह टैक्स लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यह बिल ठीक है। इस बिल के प्रावीज़न (उपबन्ध) ऐसे होने चाहियें कि जिन से देहात में रहने वाले दलित भाइयों को कुछ सुविधा पहुंचे, उन को पानी आदि मिलने में कठिनाई न हो। आज हमारे देश में पांच छः करोड़ अछूत हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात है। ऐसे लोग दूसरे देशों में नहीं हैं, सिर्फ़ हिन्दुस्तान में हैं। इन लोगों का आर्थिक जीवन सुधारने के लिये उन के लिये पानी की सुविधा करने के लिये

[श्री पी० एन० राजभोज]

और हर प्रकार से उन का सुधार करने के लिये में आशा करता हूं कि हमारे देशमुख जी प्रयत्न करेंगे । त्यागी जी तो त्यागी जी हैं ही, पर वह कभी कभी भूल भी जाते हैं । लेकिन हमारे देशमुख साहब एक एक बात नोट करते रहते हैं, कारण मिनिस्टरों में वह ही एक आई० सी० एस० हैं और वह हमारे देश के मुख हैं । मैं हाउस की तरफ से उन से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग अछूत हैं उन का आर्थिक और सामाजिक जीवन सुधारने के लिये वह प्रयत्न करें । जब हम नौकरी चाकरी के बारे में कुछ कहते हैं तो हम से कहा जाता है कि तुम कम्यनल (साम्प्रदायिक) हो । अभी नहरू जी ने नागपुर में कहा था कि जात पांत की बात बहुत मत बोलो । लेकिन इन चीज़ों को तो देश में आप ने ही रखा है । इस पाप की सफ़ाई आप को ही करनी चाहिये । हम तो ऐसी बातें नहीं चाहते हम तो छुआछूत नहीं चाहते । अगर हमारा आर्थिक जीवन सुधार दिया जायेगा तो फिर हम को ऐसी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी । यहां की और बात है आप देहात में हमारे साथ चलिये । वहां लोग हम को बिल्कुल जानवर की तरह मानते हैं । वहां के सवर्ण तो हमारे दुश्मन हैं । वह कहते हैं कि यह लोग अछूत हैं, इन को स्पर्श भी नहीं करना चाहिये ।

एक बार हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि कानून से तो छआछूत हटा दी गई है पर जो हालत वास्तव में है उस पर मैं और ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता । हमारी परिस्थिति बहुत खराब है । इसलिये अगर इस बिल से जो रुपया मिले उस को अगर ज्यादा से ज्यादा गरीबों और दलितों की भलाई के लिये लगाया जायेगा तो देश का भी बहुत भला होगा ।

स्पीकर साहब ने जो मुझे बोलने का मौक़ा दिया उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । उन की आंखें रावण की तरह विशाल हैं । इसलिये उन से मेरी प्रार्थना है कि वह विरोधी पार्टियों में कई पार्टियां हैं । इस में फेडरेशन है, जन संघ है, रामराज्य परिषद् है, कम्युनिस्ट हैं । हमारी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में बहुत सी स्पीचेज़ हुई हैं और मुख्तलिफ़ ख्यालात ज़ाहिर किये गये हैं । मैं सब से पहले आप की इजाज़त से जनाब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने फ़रमाया था कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है इस के लिये टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी (करारोपण जांच समिति) की रिपोर्ट आने तक रुकने की ज़रूरत नहीं है । वह रिपोर्ट पीछे आती रहेगी । इस को पास कर दिया जाये । मैं इस से सहमत हूं । मेरी भी राय यही है कि टैक्सेसन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के लिये ठहरने की ज़रूरत नहीं है । लेकिन में जो सवाल अदब से पूछना चाहता हूं वह यह है कि सन् २३ में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, उस ने अपनी रिपोर्ट में यह ज़ाहिर किया था कि हिन्दू जाइंट फ़ैमिली (हिन्दू संयुक्त परिवार) का जो कन्सेप्शन (अवधारणा) है उस की रू से इस क़िस्म का टैक्स हिन्दू जाइंट फ़ैमिली में लगाना मुश्किल है । फिर जब जब इस का मौक़ा आया तो कहा गया कि हिन्दू जाइंट फ़ैमिली के साथ इस ऐस्टेट ड्यूटी (सम्पदा शुल्क) का लगना नहीं लगता । और यही सब से बड़ी दिक्कत रही है । मरने से हिन्दू जाइंट फ़ैमिली पर कोई असर नहीं पड़ता । यह मिताक्षर ला का कन्सेप्शन है । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि सन् २३ और सन् ४८ में जो यह कन्सेप्शन था वह अब कैसे दूर हो गया । इस कन्सेप्शन की वजह

से अब तक जो दिक्कतें रही हैं वह अब कैसे दूर हो गई। सन् २८ में मैं ने हाउस में यह मसला पेश किया था कि आप हिन्दू जाइंट फैमिली पर इनकम टैक्स न लगायें क्योंकि आप लगा नहीं सकते और अगर आप लगाते हैं तो ऐसा करना ग़लत होगा क्योंकि अगर दूसरे लोग, ईसाई या पारसी शामिल रहते हैं तो उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता पर हिन्दू जाइंट फैमिली पर टैक्स लग जाता है अगर उस फैमिली की सारी इन्कम और मिनिमम (न्यूनतम) से ज़्यादा हो तो असेस (गिनी) की जाती है। मैं ने इस हाउस में सन् ४६ में हिसाब लगा कर बतलाया था कि अगर किसी हिन्दू ख़ानदान की आमदनी चार लाख रुपया है तो उस ख़ानदान पर ग़ैर हिन्दू ख़ानदान के मुक़ाबले में चार गुना टैक्स लगता है। सन् १९२८ में भी जब मैं ने यह सवाल उठाया तो उस ज़माने के फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब बोले कि हमारी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बनेगी तब यह मामला तय किया जायेगा। उस के बाद सन् १९२९ में, सन् १९३० में और फिर जब मैं इस हाउस में १९४६ में आया तो मैं ने हर बार हाउस के सामने हर साल यह सवाल उठाया, फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब के सामने यह सवाल उठाता रहा। हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली में उस के हर एक कोपार्सनर (समांशी) के हाथ में अपनी सालवेशन (मुक्ति) है। वह कह दे कि मैं अलहदा हूं और उस कहने से उस का पार्टीशन (हिस्सा बांट) हो जाता है, हिन्दू ला के मुताबिक़। लेकिन गवर्नमेंट ने दफ़ा २६ पास कर दी जिस में लिख दिया कि हिन्दू ला के मुताबिक़ यह सैपरेशन (अलग होना) इनकम टैक्स के लिये सैपरेशन नहीं समझा जायेगा। जब तक बटवारा नेट्स और बाउंड्स से न हो जितनी दफ़ा भी इस हाउस में यह सवाल उठाया गया हर एक बार गवर्नमेंट की तरफ़ से यह जवाब आता रहा है कि टैक्सेशन इन-क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस को देखेंगे। मैं फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि उन्होंने भी चन्द मर्तबा हमें यही जवाब दिया और मेरे जैसे एक तुच्छ आदमी का नाम ही उन्होंने हफ़ रख दिया, मानो हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली।

श्री सी० डी० देशमुख: हिन्दू अन-डिवाइडेड फ़ैमिलीज़, "एफ़्स"।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूं। अब आप का वह उसूल कहां गया यही मैं पूछना चाहता हूं। अब तो आप टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का सवाल नहीं रखेंगे। जब भी टैक्स का सवाल आता है यही जवाब मिलता रहा है कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इन्तज़ाम किया जाय। मैं अदब से उन से पूछना चाहता हूं कि कनसिस्टेंटली (निरन्तर) जब आप इस एक्ट के अन्दर हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली को टैक्स करते हैं और कहते हैं कि प्रापर्टी कैन पास आनटु डैथ (मृत्यु के बाद सम्पत्ति दूसरों को जा सकती है), इस को जब आप मानते हैं तो फिर उसी तरह से २८ साल से जिस सवाल को मैं उठाता रहा और कहता रहा उस को भी इस बिल से आप मान लीजिये। आप ने उस को अभी तक नहीं माना और कहते रहे कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को टैक्स लगेगा। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इस उसूल को मानते हैं कि आन डैथ प्रापर्टी कैन बी डीम्ड टु पास (माना जा सकता है कि मृत्यु के बाद दूसरों के पास सम्पत्ति जा सकती है) तो फिर मुझे बतलाइये कि इस बिल के पास होने के बाद आप के पास क्या जवाब है कि आप इनकम टैक्स हिन्दू ज्वाइंट फैमिली पर लगायें।

जनाब वाला, मैं ने प्रैसीडेंट साहब की ख़िदमत में एक बिल बना कर भेजा था और इजाज़त चाही थी कि उसको इस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हाउस में पेश करूं, क्योंकि कांस्टीटूयूशन का मंशा है कि वह इजाज़त हासिल की जाये, जिस से कि वह बिल यहां लाया जा सके । अव्वल तो मैं ने सन् १९२९ में वैसा बिल भेजने की तजवीज़ की थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि बिल बना कर भेजिये । हम उस को देखगे । लेकिन उसने खुद कोई बिल न बनाया । लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति की ख़िदमत में दरख्वास्त भेजी तो फ़ायनेन्स डिपार्टमेंट ने मुझ को इजाज़त नहीं दी कि मैं हाउस में उस बिल को लाऊं, जिस से कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को टैक्स नहीं किया जा सके । तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि जब गवर्नमेंट को रुपया लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वह उसूल को बालाये ताक रख देती है । लेकिन कोई वजह नहीं है कि हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली को एक दिन के लिये भी टैक्स किया जाय । वह बिलकुल इल्लीगल टैक्स (अवैध कर) है, कांस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हिन्दू और ग़ैर हिन्दू में तमीज़ करता ह । लेकिन चूंकि उस में रुपया आता है, बहुत से ग़रीबों पर टैक्स लग जाता है । एक फ़ैमिली में ६ मेम्बर हैं । अगर इनकम अलग हो तो वह मिनिमम से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इस ढंग से मिनिमय से ज्यादा बढ़ गई तो छः आदमियों को एकदम टैक्स लग जाता है । यह बिल्कुल ग़लत है । इस बिल के अन्दर जो उसूल रखा गया है मैं इस की शिकायत नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तक इस को मुल्तवी कर दिया जाय । मगर मैं अर्ज़ करूंगा, क्योंकि मुझे यह अर्ज़ करने का फिर मौक़ा मिला है, कि जहां तक टैक्सेशन का सवाल है यह जो ८० वर्ष से ख़िलाफ़ क़ानून हिन्दू अनडिवाइडैड फ़ैमिली (अविभक्त हिन्दू परिवार) से टैक्स लिया जाता है, इस को वन्द कर देना चाहिये । यह कांस्टीट्यूशनली इस एक्ट के उसूल के मुताबिक़ होगा और आयन्दा हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली पर टैक्स न लगाइये । हर एक इन्सान पर, हर एक हिन्दू पर ऐसे ही टैक्स लगाइये जैसे कि आप ग़ैर हिन्दू पर लगाते हैं । जिस तरह से एक मुसलमान पर या एक ईसाई पर टैक्स लगाते हैं । आप उन्हीं उसूलों पर चलिये । वरना मैं आप से पूछना चाहता कि मुझे यह वजह बतलाइये कि यह किस उसूल पर आप लेते हैं, आप ने इसमें कौन सा उसूल क़ायम किया है । आप ने तारीफ़ की है कि "दी प्रापर्टी कैन पास आन डैथ" । सन् १९४६ में जो बिल आया था उस में भी इसी उसूल को बयान किया गया था । मैं ने यह सवाल उठाया था तो उस वक्त जवाब यह मिला कि यह ऐक्ट पास नहीं हुआ है अभी बिल ही है, यह तो इस में उसूल को माना गया है । लेकिन अब आप इस ऐक्ट को पास करने चले हैं । अगले सेशन में यह पास हो जायेगा । तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो अगला सेशन आवेगा उस में हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली का नाम इनकम टैक्स ला से निकला जायेगा । मैं चाहता हूं कि इस को आप निकाल दें क्योंकि कोई वजह नहीं है कि इस तरह के आप टैक्स हिन्दू ज्वाइंट फ़ैमिली पर लगायें ।

यह तो मैं ने इस बिल के ज़िम्न में दो चार बातें कहीं । अब मैं इस बिल के मैरिट्स (गुणों) में आता हूं, कि इस में क्या खूबियां हैं और क्या ख़राबियां हैं । जनाब वाला, मैं ने श्री गाडगिल की स्पीच को बड़े ग़ौर के साथ सुना और आज चटर्जी साहब की स्पीच को भी बड़े ग़ौर से सुना । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इन हिस्टेरिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा यह बिल सोशियल इनईक्वैलिटीज़ (सामाजिक असमता) को बिल्कुल दूर कर देगा, कि इस के बाद सोशियल इनईक्वैलिटीज़

नहीं रहेगी और मुल्क की ग़रीबी दूर हो जायेगी । न इस से और न किसी और लैजिस्लेशन (विधान) से यहां हेवन्स (स्वर्ग) आने वाले हैं । लेकिन ताहम हम को यह मान लेना चाहिये। हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में लिखा था कि हम कनसैंट्रेशन आफ वैल्थ (धन का संकेन्द्रण) चन्द हैण्ड्स (हाथों) में नहीं होने देंगे । हम ने कांस्टीट्यूशन में यह मान लिया है कि इस देश में जहां तक मुमकिन हो, इकानामिक (आर्थिक) और सब तरह की इक्वैलिटीज़ (समता) लाने की हम कोशिश करेंगे। उस के लिये यह सही रास्ता और सही क़दम है, इस में कोई शक नहीं है ।

इस के बाद मैं ने आज स्पीचें सुनीं जिस में कहा गया कि हमें इस बिल को पेश करने का अख्तियार नहीं है । मैं ने सुना कि यह कांस्टीट्यूशन के बरखिलाफ है, दफा १९, प्राइवेट प्रापर्टी (वैयक्तिक सम्पत्ति) के बरख़िलाफ है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी यह रीडिंग (निर्वचन) हरगिज़ नहीं है । यह कांस्टीट्यूशन की किसी भी दफ़ा के ख़िलाफ नहीं है । किसी दफ़ा में नहीं लिखा है आप किसी प्रापर्टी पर टैक्स न लगायें। बल्कि डाइरैक्टिव प्रिंसिपल (निदेशी सिद्धान्त) तो कांस्टीट्यूशन का यह है कि आप लोगों के वास्ते एम्प्लायमेंट (सेवा नियोजन) दे, लोगों को आप, फ्री एजुकेशन (निःशुल्क शिक्षा) दें और कनसैंट्रेशन आफ वैल्थ न होने दें । लेकिन जहां तक प्राइवेट प्रापर्टी का सवाल है इस में कोई शर्त नहीं है, बल्कि गिफ़्ट (दान) का जहां तक ताल्लुक़ है, जनाब वाला आप देखेंगे कि यह लिखा हुआ है कि दो वर्ष के पहले का गिफ्ट है या नहीं । अगर उस के पहले का नहीं है तो वह इल्लीगल (अवैध) है, वह टैक्स से बचने के लिये है और सिर्फ इस ग़र्ज़ के लिये न माना जावेगा । आप उस में यह देखेंगे कि कहीं यह फेल ऐसा तो नहीं किया गया है कि टैक्स से बचने के लिये है । तो मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक कांस्टीट्यूशन का ताल्लुक़ है यह हर्गिज़ कांस्टीट्यूशन के बरख़िलाफ नहीं है ।

लेकिन इस के साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा टैक्स है जिस को आम तौर पर दे कर लोग खुश होते हैं। एक ग़रीब आदमी, एक औसत दरजे का आदमी जिस की हालत आज मिस्टर चैटर्जी ने बतलाई, वह सही है । हम ने आज पांच साल हो गये आज़ादी हासिल की है । औसत् दरजे का आदमी आज यह कहने को तैयार नहीं है कि स्वराज्य जो आया है उस से इकानामिक हालत उस की दुरुस्त हो गई है ।

बाबू रामनारायण सिंह : (हज़ारीबाग़–पश्चिम) : स्वराज्य नहीं आया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो क्या आया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन की चिन्ता न करें और आगे बोलें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह आज यह कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि उस की हालत दुरुस्त हो गई है । मैं इस हालत को जानता हूं । लेकिन सारंगधर दास साहब ने जिस बात की तरफ तवज्जह दिलाई और राजभोज साहब ने जिस बात को रखा उस को हाउस का कोई मैम्बर नहीं भूल सकता । इस देश में बहुत थोड़े लोग हैं जिन को कहा जा सकता है कि वह मालदार हैं। यहां बहुत थोड़े से आदमी हैं जो इस तरह के हैं कि जिन को किसी तरह औसत दरज से ज्यादा का कहा जा सकता है, उन्हें भी मालदार नहीं कहा जा सकता है । उन लोगों पर भी यह टैक्स लागू होगा । अगर श्री राजभोज यह समझे बैठे हों कि हमारे जैसे अछूत इस टैक्स की ज़द में नहीं आयेंगे तो यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन को समझ लेना चाहिये कि यह टैक्स सब पर लगेगा, अछूतों पर भी लगेगा और जो दूसरी बिरादरी वाले हैं उन पर भी लगेगा। यह तो सब के लिये है। सवाल यह है कि आज जो इस टैक्स को ईजाद किया जाता है, इस के लिये कोई जस्टीफिकेशन (औचित्य) है या नहीं। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें इसी नुक्ते ख्याल से इस को नहीं देखना चाहिये कि इस के वास्ते कोई स्पैसीफिक जस्टीफिकेशन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बताया है या नहीं। आज चालीस मुल्कों में यह टैक्स जारी है। फ़िर कोई वजह नहीं है कि हम इस टैक्स को इस देश में जारी नहीं कर सकें। यह बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी नया टैक्स लगता है तो देने वाले को तो हमेशा दुखता है और दुखना भी चाहिये और उन को ज्यादा दुखता है जो ग़रीब हैं। अगर आप ने इस में लिमिट थोड़ी रखी है तो वह बहुत ही दुखेगा पहले की गवर्नमेंट का सन् १९४४ की टैक्सेशन इनक्वायरी रिपोर्ट की (करारोपण जांच समिति) की बात का ख्याल करता हूं तो देखता हूं कि उस वक्त फौरन गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी कि मिडिल क्लासेज़ (मध्यम वर्ग) को यह ऐलीमिनेट (समाप्त) कर दे और इस वास्ते टैक्स नहीं लगाया। लेकिन आज नैशनल गवर्नमेंट है, वह इस टैक्स को लगा सकती है और लोग इस टैक्स को देंगे। लोग दुःख पा कर भी उस को देंगे लेकिन मैं एक तजवीज़ पेश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब उस पर ग़ौर फरमायेंगे और वह यह है।

वह यह है कि जब कभी कोई नया टैक्स लगता है, तो सब से पहले सवाल उठता है कि इस की ज़रूरत क्या है, इस की ज़रूरत आप लोग बतलाइये। एक तो यह कि आप चाहते हैं कि हमारे बीच से इकोनामिक इनईकुएल्टी दूर हो जाये, और इस को तो बहुत आदमी पसन्द भी नहीं करेंगे, इकोनामिक इनईकुएल्टी बहुत हद तक इस से दूर भी नहीं होगी, हां किसी हद तक वह ज़रूर दूर होगी। आप ने अपने दिबाचे में फ़रमाया कि इन-वैस्टीगेटिंग कमीशन (अनुसन्धान आयोग) बहुत सारी इनईकुएल्टी दूर करता है, उस से इकानामिक इनईकुएल्टी दूर नहीं होती। हम को अपनी स्कीमों के वास्ते रुपया चाहिये। मैं इस को मानने के वास्ते तैयार हूं और यह जायज़ तरीका है कि हम टैक्स लगा कर रुपया हासिल करें। वह गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहलाने की मुस्तहक़ नहीं जिस का ख़ज़ाना खाली हो। अगर ख़ज़ाना खाली हो तो कोई भी गवर्नमेंट अच्छी तरह काम नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के ख़ज़ाने को ठीक रखना और पुर करना हर एक सिटीज़न (नागरिक) का फ़र्ज़ है। हां रुपया उस के ख्याल के मुताबिक़ ठीक तरह पर ख़र्च हो, अगर आप दरअस्ल चाहते हैं कि लोगों में जोश हो इस टैक्स के वास्ते, तो इस टैक्स को प्राइमरी और कम्पलसरी एजूकेशन से मिला दीजिये, यह सब से भली बात होगी। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस वक्त जितना रुपया आप को हासिल हो इस खास ग़रज़ के वास्ते आप रख दीजिये। जो लोग देना चाहेंगे और जिन के दिल में रड़क होगी, वह भी इतना तो जानेंगे कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस तजवीज़ से जो रुपया हम से वसूला है, वह हमारी देश की ख़ास भलाई करने के लिये खर्च किया जायगा। वैसे तो गवर्नमेंट कई भली बातें करती है, जैसे अन-इम्प्लायमेंट को दूर करना, या देश की इंडस्ट्रीज़ को क़ायम रखना, यह सारे ही काम अच्छे हैं और इन में टैक्स के रूप में हमारी माली मदद रहनी ही चाहिये। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि अगर आप इस को प्राइमरी

और कम्पलसरी एजूकेशन से मिला दें, तो बहुत अच्छा होगा ।

दूसरी बात जो मैं इस के मुताल्लिक़ आप की ख़िदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि जब मैं इस को देखता हूं और सारे क़ानून को पढ़ता हूं तो इस के अन्दर मुझे दो तीन बातें नज़र आती हैं । एक तो यह है कि हमेशा हुकूमत जब कोई टैक्स इनकम के घटने बढ़ने पर लगाती है तो यह ठीक है कि वह इनकम के घटने बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन यह जिस क़िस्म का टैक्स है, यह सर्टेन (निश्चित) होना चाहिये, डेफनिट होना चाहिये और हर एक आदमी को मालूम होना चाहिये कि मुझे इतना टैक्स देना है । इस वास्ते यह लाज़िमी था कि आप उस क़ानून में लिख देते कि कम अज़ कम पांच साल के वास्ते उस में इतना मिनिमम ऐग्ज़ेम्प्शन (विमुक्ति) होगा । अगर इतनी प्रापर्टी (सम्पत्ती) होगी, ताकि आम तौर पर लोगों को जो ग़लतफ़हमी हो रही है कि इस टैक्स को लगा करके ग़रीब से ग़रीब आदमियों की हड्डी से मांस नोचा जा रहा है, वह दूर हो सकती है और इस क़ानून को जो कद्धनखसोट कहा गया है, वह बात हट जाती और ऐसा लिख देने से क़रीब ८५ फी सदी आदमी जो देश में बसते हैं, उन को सन्तोष हो जाता कि यह कोई नयी क़िस्म का नया टैक्स नहीं है, यह ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर आप इस में यह लिख दें कि इतनी रक़म तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और इस को पांच साल तक लागू रखते । मेरी राय में इस क़िस्म का टैक्स हर साल तबदील होना दुरुस्त नहीं है और हर साल इस को बदलना नहीं चाहिये बल्कि पांच या दस वर्ष के बाद उस समय जैसी सोसाइटी की हालत हो उस के मुताबिक़ इस में तबदीली कर सकते हैं । अगर इन वर्षों में देश में आमदनी बढ़ती है, तो अगर उस हिसाब से इस टैक्स को बढ़ा देंगे तो कोई ऐतराज़ न होगा । इस टैक्स की लिमिट आप ऐसी रखिये और वह ऐसी मुनासिब लिमिट होनी चाहिये ताकि एक ग़रीब आदमी और जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है उस को यह टैक्सेशन ऐफेक्ट (असर) हरगिज़ न करे । यह ज़्यादा बेहतर होता अगर किसी सूरत से जैसी ओरिजनल स्कीम (मूल योजना) थी कि जिस के पास केवल एक रेज़ीडेंशल हाउस (रिहायशी मकान) हो उस मकान को इस टैक्स से ऐग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता । मिसाल के तौर पर एक आदमी मरते वक्त एक लाख का मकान अपने चार लड़कों के वास्ते छोड़ देता है, तो सिवाय इस के कि वह मकान नीलाम किया जाय और उस से टैक्स अदा किया जाय और कोई तरीक़ा बहुत सूरतों में टैक्स देने का नहीं होगा। मेरी समझ में यह कुछ मुनासिब नहीं होगा और इस में ज़हमत होगी । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि अगर ऐसी सूरत हो सके जिस में एक रिहायशी मकान इस टैक्स से ऐक्सक्लूड (हटा) हो सके एक ख़ासी वैल्यू (मूल्य) तक का तो बहुत बेहतर होगा । मेरी अदब से गुज़ारिश है कि आप इन चन्द अमूर का लिहाज़ रक्खें अगर आप चाहते हैं कि लोग इस टैक्स को ख़ुशी ख़ुशी अदा करें और यह समझें कि हम ने यह टैक्स दे कर के एक नक काम में इमदाद दी या हम ने अपने देश के निर्माण में हिस्सा लिया है । जनाब की इजाज़त से मैं सिर्फ एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप १८ मिनिट बोल चुके हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा इस एक्ट के प्रिंसिपल्स (सिद्धान्त) के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मैं उन से मुत्तफ़िक़ हूं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ऐक्ट का ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) दुखदायी होता है जैसा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि और दूसरे टैक्सेशन ऐक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में देखने में आती है। आज इनकम टैक्स ऐक्ट के अन्दर ऐसे प्राविज़न्स (उपबन्ध) बनते हैं जिन से आदमी की लिबर्टी (स्वतंत्रता) कम होती जाती है और सरकारी अफसरान के अख्त्यारात बढ़ते जाते हैं। रूल बनाते वक़्त हम यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि इस का एडमिनिस्ट्रेशन मुनासिब तरीके से हो। हम क़ानून बनाने में इस चीज़ को वाज़े करना चाहिये और देखना चाहिये कि इस का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और उसके अन्दर लोगों को कम से कम शिकायत हो। मैं इन अल्फाज़ के साथ अपनी तक़रीर खत्म करता हूं और इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : इस विधेयक को प्रस्तावित करने के दो उद्देश्य बताये गये है--पहला इसके द्वारा आय की असमता को कम करना तथा दूसरा इसके द्वारा विकास के लिये पूंजी प्राप्त करना है। पहला उद्देश्य बहुत उत्तम है पर मुझे शंका ही है कि सम्पदा शुल्क से उद्देश्य की पूर्ति होगी। संयुक्त राष्ट्र में ऐसा नहीं हो पाया है। वहां इसके कारण वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं बढ़ पाई है। सम्पदा-शुल्क से आय की समता नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि यह शुल्क न लगाया जाये। वास्तव में यह कर लगाना इस दृष्टि से उचित है कि यह एक प्रकार का पूंजीकृत आयकर है जो एक पीढ़ी में एक बार दिया जाता है। नियोजन पर राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम कर एक सीमा से अधिक नहीं लगाया जा सकता पर सम्पदा शुल्क की दर उस दर से ज्यादा हो सकती है जितनी उस सम्पत्ति से प्राप्त होती है। इस कर का यह एक लाभ है। आय में समता लाने के लिये आयकर तथा अधिकर की दरें बढ़ाना पड़ेगा तथा सामाजिक कार्यों पर व्यय बढ़ाना पड़ेगा।

ऐसे विधान का हमारे समाज की रचना पर भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन हम घुमा फिरा कर करें अथवा सीधे ही करें। इस विधान के कारण संयुक्त परिवार के विषय में कठिनाई होगी। सम्पदा-कर तब लगता है जब सम्पत्ति किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलती है। संयुक्त परिवार सम्बन्धी हमारा कानून इंगलैंड से भिन्न है। इसमें समांशी का सम्पत्ति में कुछ निश्चित अंश नहीं होता सारा संयुक्त परिवार सारी सम्पत्ति का स्वामी होता है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने का केवल यह अर्थ होता है कि समांशियों की संख्या घट गई है। विदेशी क़ानूनों का हमारे क़ानूनों पर आरोपण करना ठीक नहीं है। यदि सरकार वास्तव में हमारे समाज की रचना में परिवर्तन करना चाहती है तो हम हिन्दू क़ानून का संशोधन कर सकते हैं। मैं संयुक्त परिवार पद्धति के पक्ष में नहीं हूं।

विधान के अन्य उपबन्ध भी इस बात पर आधारित हैं कि मृत्यू के उपरान्त किसी एक व्यक्ति के हितों के उत्तराधिकारी दूसरे व्यक्ति बनते हैं। हिन्दू विधवा का अपने पति की सम्पत्ति पर स्वामित्व नहीं होता, वह केवल उस सम्पत्ति से प्राप्त आय का ही उपभोग अपने जीवन भर के लिये कर सकती है। उसके जीवन काल में उस स्त्री के पति के भाई उस हिस्से से आय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि उस हिस्से पर सम्पदा-शुल्क कौन दे? विधवा क्यों दे? उसे तो केवल आय प्राप्त करने का अधिकार है। भाई क्यों दे? उन्हें वह सम्पत्ति अभी मिली ही नहीं। मान लीजिये इन में से किसी ने वह सम्पदा-शुल्क दे भी दिया तो विधवा के मरने पर वे भाई फिर से सम्पदा-शुल्क क्यों दे? उन्हें कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। विधवा उस सम्पत्ति

की स्वामिनी थी ही नहीं। किसी सम्पत्ति पर दुबारा कर न लगाने की न्यूनतम अवधि सात वर्ष निश्चित करना भी ठीक नहीं है। किसी सम्पत्ति पर दुबारा कर लगाने की अवधि इतनी लम्बी होनी चाहिये जिससे कि वह कर बिना सम्पत्ति को बेचे साधारणतया चुकाया जा सके।

बीमे के विषय में भी त्रुटियें हैं। बीमा कराने वाला जब किसी व्यक्ति के नाम पालिसी कर देता है तो इसका यह अर्थ होता है कि उस दिन से उस व्यक्ति के हित में ट्रस्ट बन जाता है। यदि बीमा कराने वाला मर जाये तो जिसके नाम पालिसी लिख दी गई है उस पर यह शुल्क नहीं लगाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो भी यह शुल्क बचाया जा सकता है। यह उपबन्ध किया जा सकता है जिससे कि वह व्यक्ति ही बीमे की क़िश्तें दे जिसके नाम बीमे की पालिसी लिखी गई है। ऐसा विधेयक बनाते समय स्पष्ट रूप से यह बात मालूम होनी चाहिये कि हम किस पर कर लगा रहे हैं।

अभी कम्पनियों पर यह शुल्क लगाने का विचार नहीं है क्योंकि इस बात की शंका है कि इससे उत्पादन घट जायेगा। यदि कम्पनियों को छोड़ दिया गया तो धन की असमता बढ़ जायेगी। आर्थिक दृष्टि से कम्पनी, साझेदारी और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। यदि उन्हें विमुक्ति दी गई तो लोग भी इस शुल्क से अपनी सम्पत्ति बचाने के लिये वैयक्तिक सीमित कम्पनियां बनाना आरम्भ कर देंगे। अतएव इस बात पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है।

अभी वित्त मंत्री जी के सामने प्रमुख प्रश्न तो पूंजी-विकास के लिये पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का है। यदि कर-विमुक्ति की सीमा बहुत ऊंची कर दी गई तो यह आय प्राप्त नहीं होगी।

अभी ३६०० रुपये की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी गई है। यदि इस ३६०० रुपये को पूंजीकृत किया जाये तो १ लाख की सम्पत्ति छोड़ जाने वालों पर यह शुल्क नहीं लगाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो फिर सम्पदा-शुल्क देने वाले कितने व्यक्ति बचेंगे ? अधिक आय प्राप्त करने के लिये तो यह सीमा घटानी होगी। ५०० रुपये की आय को पूंजीकृत करने से जो सम्पत्ति हो उससे कम सम्पत्ति को छूट देने तथा शेष पर यह शुल्क लेने से ही सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त होगी। ऐसा करना ठीक है अथवा नहीं यह मैं नहीं कहता। इसके बिना आपके दूसरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। मेरे मत में देश में पूंजी विकास के लिये हमारे पास संसाधन हैं। शराब बन्दी हटाने से पर्याप्त आय मिल सकती है। जब हम समृद्ध हो जायें तब चाहे फिर से इसे आरम्भ किया जाये। शराब पर लगाया गया कर बिक्री कर से अच्छा होगा। सम्पदा-शुल्क से तो अनर्जित आय का थोड़ा अंश सरकार को प्राप्त होगा। पूंजी-विकास के लिए अन्य स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। यदि सम्पदा-शुल्क से यह बात की गई तो मध्यम वर्ग का नाश हो जायेगा। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इन बातों पर ध्यान देगी।

श्री **मुरारका** (गंगानगर—झुन्झनू) : वादविवाद से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के सिद्धांत से सब कोई सहमत हैं। परन्तु इस विधेयक के सामाजिक और आर्थिक पहलू का समझना भी आवश्यक है। इसका अर्ध समर्थन विरोध के समान ही खतरनाक है। इस विधान का प्रधान उद्देश्य सामाजिक असमता को मिटाना है। इसका द्वितीय परन्तु गौण उद्देश्य यह है कि इस के द्वारा विकास योजनाओं के लिए पैसा मिल जाये। वित्त मंत्री जी के ये उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। इस प्रकार का सामाजिक

[श्री मुरारका]

सुधार सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह वैज्ञानिक नियमों पर ही आधारित रहेगा। संग्रहित सम्पदाओं से यह कर लिया जायेगा और इस से धन कमाने की प्रवृत्ति को भी धक्का नहीं पहुंचेगा। सरकार की योजनाएं कुछ वर्षों में समाप्त हो जायेंगी पर सम्पदा-शुल्क बना ही रहेगा। यह विधान स्थायी होगा। इसे केवल आय प्राप्त कराने वाला विधान नहीं समझना चाहिये। इसकी दरें और विमुक्ति की सीमा सामाजिक योजनाओं पर निर्भर रहनी चाहिये।

इस विधेयक में शुल्क की दर और विमुक्ति की सीमा नहीं दी गई है। इस कारण यह विधेयक अधूरा है और उस पर हम ठीक ठीक वादविवाद नहीं कर सकते। यदि इस विधेयक को सामाजिक सुधार का विधान माना जाये तो फ़िर कर की दर और विमुक्ति की सीमा पहिले से निश्चित करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये थी। यदि ये बातें सरकार की जरूरतों के अनुसार निश्चित की जायेंगी तो उन्हें कौन निश्चित करेगा? अभी वे क्यों न निश्चित की गईं? उनके निश्चित होने पर ही हम कह सकते हैं कि यह विधेयक ठीक है अथवा नहीं। हम सब वकील नहीं हैं। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि हमें कितना देना पड़ेगा। इसका अनुमान हम अभी नहीं लगा सकते।

इस विधेयक में शुल्क लगाने के सिद्धान्त का भी वर्णन नहीं किया गया है अर्थात् यह नहीं बताया गया कि कम-अधिक सम्पदा पर किस क्रम में इस शुल्क की दर बढ़ेंगी। समय अथवा रिश्ते के अनुसार इस शुल्क की दर में भेद होना चाहिये। यदि मृतव्यक्ति ने कम समय सम्पत्ति का भोग किया है अथवा उसका उत्तराधिकारी उसका निकटतम सम्बन्धी है तो कर की दर कम होनी चाहिये अन्यथा ज्यादा। उत्तराधिकारियों की संख्या तथा उनकी आयु के अनुसार भी दर में विभेद किया जा सकता है। यदि उत्तराधिकारियों की संख्या अधिक हो या उनकी आयु कम हो तो कम दर होनी चाहिये।

इस विधेयक में यह दोष भी है कि इस में यह नहीं बताया गया कि सम्पदा-शुल्क की राशि कितने समय में उगाही जायेगी। मेरा सुझाव है कि इंगलैंड और अमेरिका की भांति हम यह उपबन्ध कर दें कि लोग आठ या दस सालों में इसे किश्तों में दे दें। यदि इस शुल्क के देने के लिये सम्पदा को बेचना पड़ा तो लोगों के मनोविज्ञान पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब हमने लाभांश सीमित करने का विधान बनाया था तब मनोविज्ञान पर बड़ा प्रभाव पड़ने के कारण श्रेष्ठि चत्वर में बड़ी मन्दी आ गई थी। उस विधान से सरकार का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ था क्यों कि लाभांश केवल ढाई करोड़ रुपये कम हुआ था पर अन्य कारणों से सरकार अपस्फीति नहीं कर सकी।

सम्पत्ति की खरीदी और बिक्री का उचित प्रबन्ध किये बिना यह विधान ठीक तरह से लागू न किया जा सकेगा। उसके बिना कर उगाहने वाले कार्यालयों में भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना है। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इसका हमारे दैनिक जीवन पर असर नहीं पड़ेगा। हमारी बचत की योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस कानन के बन जाने के बाद लोग सोना चांदी खरीदने में ज्यादा पैसा लगायेंगे क्योंकि उन्हें छिपा कर सम्पदा-शुल्क से बचा जा सकता है। पूंजी के कम हो जाने की भी आशंका है। इन बातों पर मंत्री जी विचार करें।

डा० जयसूर्य (मेदक) : यह विधेयक बड़ा सुन्दर है। इसके विचार उच्च हैं। परन्तु यदि हम इसके विस्तार में जायें तो दोष दिखाई देंगे। नियंत्रक को परम शक्ति देना ठीक नहीं है। ऐसा करने से न सरकार को शुल्क मिलेगा और न उत्तराधिकारी को सम्पत्ति। वकील सारा पैसा हड़प जायेंगे।

इस विधेयक के सिद्धान्त से मैं सहमत हूं परन्तु इसके परिणाम के विषय में मुझे शंका ही है। भारतवासियों की करदेय क्षमता बहुत कम है केवल .०३ प्रतिशत व्यक्ति आयकर देते हैं। अतएव यह आशा न करनी चाहिए कि संपदा शुल्क से सरकार को बहुत आय प्राप्त होगी। धारा ३२ में जो विमुक्तियां दी गई हैं उनके कारण इस शुल्क से देश का सब से धनी व्यक्ति बच जायेगा। उसने अपने लड़के लड़कियों के लिये पहले से ही ट्रस्ट बना दिए हैं तथा उसके ५०० करोड़ रुपये को भी निजाम-वंश का होने के कारण छोड़ दिया जायेगा।

महायुद्ध के उपरान्त यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि लोग सोना खरीदने में पैसा लगाते हैं तथा भूसम्पदा तथा अंशों में पैसा नहीं लगाते। देश में २५ करोड़ रुपये के सोने का सौदा प्रतिदिन होता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी सारी चलिष्णु पूंजी भूमिगत होती जा रही है। यदि मारवाड़ पर घेरा डाला जाय तो वहां पर जमीन में गड़ा हुआ इतना सोना मिलेगा कि वह तीन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पर्याप्त होगा।

बिना ब्यौरा दिये, विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये। उपविधि बनाने में बहुत चालाकियां की जा सकती हैं। जो कर लगाना हो उसे आप स्पष्टरूप से कह दीजिये। यदि ये बातें दूसरों पर छोड़ दी जायेंगी तो उसमें और त्रुटियां आ जायेंगी।

मैं वकील नहीं हूं इस कारण मुझे धारा ३१ को पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह क्या कि यदि विधवा ७ साल से पहिले मर जाये तो शुल्क नहीं लिया जायेगा अन्यथा लिया जायेगा। इसके कारण तो विधवा के जीवन को लोग असहनीय बना देंगे जिससे कि वह सात साल तक जीवित न रह पाये। मेरा सुझाव है कि यदि वह शादी कर ले तब ही शुल्क लिया जाय नहीं तो उसके उत्तराधिकारियों से शुल्क सर्वथा न लिया जाये, वह कितने ही वर्षों क्यों न जीवित रहे।

श्री सी० डी० देशमुख : विवाद का उत्तर देने के ऐसे ही मौके पर मेरे पूर्वाधिकारी ने कहा था "उत्तर में वास्तव में मुझे कुछ नहीं कहना है"। मैं वैसा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे इस सदन के सब सदस्यों को धन्यवाद देना है जिन्होंने इस विधेयक की प्रशंसा की है।

मैं सन् १९३८ से सम्पदा-शुल्क के पक्ष में हूं। उस समय भारत सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। वह विभिन्न प्रान्तों में गया तथा यह जानने की कोशिश की कि ऐसे विधान पर उन सरकारों का मत क्या है। मध्य प्रदेश में एक समिति थी जिससे बहुत से प्रश्न किये गये थे। पहला प्रश्न यह था—"यदि विशेष स्थानीय कठिनाइयां हटा दी जायें तो क्या इस प्रकार का कर वांछनीय है ?" उसे वांछनीय समझा गया क्योंकि कांग्रेस दल इसके सिद्धान्त को स्वीकार कर चुका था। उस समिति में वित्त मंत्री के अतिरिक्त दो पदाधिकारी थे। मैं उनमें से एक था। मुझे आशा है कि इस बात से सरकार के अभिप्राय के विषय में कोई शंका न रहेगी। यह बात विशेषरूप से मैं प्रजा सोशलिस्ट दल के माननीय सदस्य श्री चोइथराम गिडवानी जी से कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं इस विधेयक को दिल से नहीं चाहता हूं। दिल दिखाने

[श्री सी० डी० देशमुख]

की चीज़ नहीं है। मझे हर्ष है कि सदन को इस विधेयक से सन्तोष हुआ है पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनके समान नये अनुयायी की तरह में इस विधेयक पर प्रकट हर्ष दिखलाऊं। मैं तो इसके पक्ष में १४ साल से हूं।

मैं ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ कारणों से इस विधेयक में देरी हो गई है। १९४६ में प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि इसके बीच में कुछ ऐसी बाधायें हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। मेरे विचार में डा० मुखर्जी ने उसी प्रतिवेदन का उल्लेख किया था। वास्तव में उस प्रवर समिति की अन्तिम बैठक में यह निश्चय हुआ था कि उन दिखाऊ कठिनाइयों के होते हुये भी विधान बनाया जा सकता है। हिन्दू कोड बिल के कारण अनिच्छा से और भी बाधायें आ गई। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा अभिप्राय संयुक्त परिवार पद्धति को हटाने का नहीं है। मैं भी सुखी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे इस मत से सहमत होंगे कि इस पद्धति ने व्यापार अवसाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। १९३०-३८ में हमें इसके गुण विशेष रूप से दिखाई दिये। और कोई देश भारत के समान व्यापार-अवसाद को सहन नहीं कर सका। संयुक्त परिवार पद्धति के कारण ही भारत ऐसा करन में समर्थ रहा। जहां तक टैक्निकल स्थिति का प्रश्न है इससे संयुक्त परिवार पद्धति के बने रहने में कोई बाधा नहीं पहूंचती।

श्री चटर्जी ने एक बात उठाई थी। मैं उनके मतों का आदर करता हूं क्योंकि उन्हें इस विषय का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि इस के कारण मिताक्षर और दायभाग को मानने वाले परिवारों में विभेद हो जायगा। बात यह है कि अल्पावधि में ही यह विभेद होगा। मैं ने अनुमान लगाया है कि अखीर में कोई विशेष विभेद न होगा। यह तो सम्पत्ति की राशि और कर की दर पर निर्भर रहेगा। फिर भी अन्य बातों के साथ ही साथ प्रवर समिति में इस बात पर विचार किया जायगा कि अल्पावधि में भी यह विभेद किस प्रकार न्यूनतम किया जाये।

कुछ सदस्यों नें जो संवैधानिक कठिनाईयां उठाई थीं उन के बारे में आप लोगों नें ही चर्चा की है तथा अपन इनका जो उत्तर दिया है उसे सदन और प्रवर समिति संतोषजनक समझेगी। संविधान के उन दो अनुच्छेदों में कोई विरोध नहीं है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कुछ राज्यों ने इस योजना में आने की सहमति नहीं दी है तो क्या इस विधान के प्रशासन में कठिनाई पड़ेगी? ये तीन राज्य यह कर नहीं लगाना चाहते। उन के कारण ये हैं।

पश्चिमी बंगाल: यदि उन्होंने सहमति दी तो राज्य की सरकार का दरों पर कुछ नियंत्रण न रहेगा तथा वे अपने आयव्ययक की स्थिति के अनुसार दरें घटा-बढ़ा न सकेंगे। मेरी समझ में वे इस प्रकार का शुल्क नहीं लगाना चाहते। वे यह भी कहते हैं कि भूमि विषयक कानून विभिन्न राज्यों म भिन्न भिन्न हैं तथा वे कृषि सम्पदा पर लगाये गये कर का प्रशासन अधिक दक्षता से कर लेंगे—वे घमण्ड से यह बात कहते हैं....

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): वे किस आधार पर ऐसा कहते हैं?

श्री सी० डी० देशमुख : क्यों कि उन्हें तर्क पर आधारित सूचना सुगमता से प्राप्त होती है । तीसरा कारण यह है कि उन्हें इस बात का भय है कि संसद राजस्व के वितरण का कोई ऐसा सिद्धान्त मान लें जो उन्हें स्वीकार न हो ।

त्रावणकोर-कोचीन सरकार इस आधार पर इस शक्ति को राज्य के लिये रखना चाहती है कि ऐसा करने से कर अपवंचन न हो पायेगा । वे एकरूपता को वांछनीय और आवश्यक नहीं समझते । सौराष्ट्र सरकार का मत है कि वहां की दशा अभी पर्याप्त नहीं सुधरी है अतएव राज्य के लिये इस प्रकार का विधान उपयुक्त नहीं है । सदन को स्पष्ट हो गया होगा कि यह बात केवल कृषि-भूमि के बारे में है । मैं ने विभिन्न राज्यों के उत्तर इसलिये पढ़े हैं क्यों कि डा० लंका सुन्दरम् ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि कुछ राज्य सहमत नहीं हुये तो इस अधिनियम का प्रशासन किस प्रकार किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि उन्होंने सहमति भी दी और उन्हें अलग विधानों की आवश्यकता पड़ी तो अलग विमुक्तियां होंगी ।

श्री सी० डी० देशमुख: जी । वास्तव में ये दो योजनायें एक में मिला दी गई हैं । विमुक्ति तो रहेगी पर बटवारा और कर निर्धारण विभिन्न प्रकार का हो सकता है । सामान्य विधान बनाने में एक लाभ केवल कर उगाहने का है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मद्रास भी सहमत है ?

सी० डी० देशमुख : जिन राज्यों का मैंने नाम लिया उन्हें छोड़ कर सब ने अपनी सहमति दे दी है ।

श्री पाटसकर (जलगांव) **: क्या वहां** के विधान मडलों ने आवश्यक संकल्प पारित कर दिये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात मैं ने मूल भाषण में बता दी थी । इस विधान के सुधार के लिये प्रवर समिति ने कुछ अच्छे सुझाव रखे थे तथा सरकार उन को ग्राहय करेगी क्यों कि वे सुझाव किसी दल विशेष की ओर से नहीं अपितु सारे सदन से आये हैं । मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि न्यूनतम सीमा निश्चित करने अथवा विमुक्ति के बारे में यदि कोई सुझाव इस विधेयक के सुधार के लिये प्रस्तुत किये गये तो सरकार उन पर विचार करेगी जिससे कि सब प्रकार की शंकायें मिट जायें ।

जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्तों और प्रभाव का सम्बन्ध है मेरी समझ में हमें न जीवित व्यक्तियों की चिन्ता करना चाहिये न मृत व्यक्तियों की । मुझे हर्ष है कि लोगों ने श्री गाडगिल की इस मंत्रणा को नहीं माना है कि 'अपनी सम्पदा को लुटने से बचाने के लिये लुप्त हो जाओ और मर जाओ' श्री नामाधारी जी के अनुसार इस विधेयक का लाभ यह है कि इससे मुक्ति या मोक्ष मिलता है । मेरा विश्वास है कि वे यह सोच रहे हैं कि इसके कारण लोग अपनी सम्पत्ति अपने जीवन काल में ही बांट देंगे । इसके विपरीत रोहिणी कुमार चौधरी जी ने मुझ से कहा था कि इस विधान के कारण अब जीवित व्यक्तियों की उत्तराधिकारी भलीभांति देखभाल करेंगे क्योंकि जितने अधिक दिन वे जीवित रहेंगे उतने दिन इस कर को देने का अशुभ दिन टल जायेगा ।

श्री अलगूराय शास्त्री का विचार यह है कि इस मामले में हमें कौटिल्य के अनुसार चलना चाहिये । उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपात के अवसर पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

कौटिल्य कितना आगे जाने के लिये तैयार था।

उन्होंने कहा है :

"जादूगर के भेष में, जासूस सुरक्षा निश्चित करने के ढोंग से समाज का ही नहीं अपितु अधार्मिक व्यक्तियों, मंदिरों और मरे हुये व्यक्तियों का भी धन लेंगे।"

इसकी तुलना में हम तो आगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका संस्कृत श्लोक क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह मूल संस्कृत का अनुवाद है। परन्तु यह उस समय के लिये है जब कि देश पर शत्रुओं का हमला होने वाला हो। सामान्य प्रयोजन के लिये नहीं इतना तो मैं श्री अलगूराय जी के पक्ष में कहूंगा।

इसके पश्चात् वे कहते हैं :

"जिस प्रकार वृक्षों से उतने ही बार फल प्राप्त किए जातेहैं जितने बार वे पकते हैं उसी तरह राजस्व भी उतने बार लिया जायगा जितने बार प्रजा बिना कष्ट के दे सके।"

मेरे विचार में इस वाक्य में सम्पदा-शुल्क का सिद्धान्त निहित है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह नहीं लिखा कि भूमि का उपयोग मनुष्य केवल अपने जीवन काल में कर सकता है। मृत्यु के बाद वह राज्य की सम्पत्ति बन जाती है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं ने इस को देखा पर मुझे मिली नहीं। सम्भव है वह किसी अन्य अध्याय में हो, मैं ने 'करारोपण' का अध्याय देखा था।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह 'भूमि विभाजन' के तीसरे अध्याय में मिलेगी।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं ने दूसरे गलत अध्याय में देखा था।

पूंजी निर्माण और बचत के ऊपर इस कर का जो प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में कुछ प्रश्न उठाये गये थे और मेरी समझ में उनके बहुत सन्तोषजनक उत्तर दिये जा चुके हैं। अर्थशास्त्र के मेरे गुरु प्राध्यापक पीगू ने अपनी पुस्तक 'इकानामिक्स आव् वेलफेयर' (कल्याण अर्थ व्यवस्था) का तीसरा संस्करण १९२८ में प्रकाशित किया था। इसके एक साल पहिले कालविन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी इस कारण उस पुस्तक का महत्व है। वे कहते हैं कि यह शुल्क वास्तव में आस्थगित आय-कर है। बचत से भिन्न सम्पत्ति से प्राप्त आय के ऊपर ही यह आस्थगित आयकर है। उसकी आशा बचत को कम करेगी तथा भविष्य में राष्ट्रीय आय कम हो जायेगी। परन्तु बचत के ऊपर यह शुल्क एक दम नहीं लगता—कुछ वर्षों के बाद ही लगता है, इसलिये यह प्रभाव अत्यधिक न होगा। पीगू का यह कथन ठीक ह। इसके बाद वे कहते हैं कि राज्य को तो इस बात का कोई भेद नहीं पड़ता कि लगाया गया कर आयकर है अथवा सम्पदा-शुल्क। परन्तु इस बात का व्यक्ति को बड़ा भेद पड़ता है। लोग जैसे भविष्य की सब बातों को वर्तमान की अपेक्षा कम महत्व देते हैं उसी प्रकार वे इस भविष्य के कर की अधिक चिन्ता न करेंगे। उनकी चिन्ता और घट जायगी जब उन्हें मालूम होगा कि वह कर उनके मरने के बाद ही लिया जायेगा। अतएव

सम्पदा-शुल्क, पूंजी निर्माण में कम बाधक होगा ।

इसके पश्चात् उन्होंने प्रोफेसर कारवर और श्री कारनेजी का उद्धरण दिया है । श्री कारनेजी यह कहते हैं :

> "जिस वर्ग के लोगों की यह अभिलाषा है कि वे मरते समय बहुत सी सम्पत्ति छोड़ जायें तथा इसकी लोग चर्चा करें, वे लोग और भी अधिक चाहेंगे तथा उन्हें यह बात आकर्षक लगेगी कि उनकी सम्पत्ति में से बहुत सा पैसा राज्य को मिले ।"

वितरण के प्रश्न पर मुझे वे दो उद्देश्य स्मरण हो गये हैं जिनका पारस्परिक सम्बन्ध है । वितरण का यह अर्थ नहीं कि विभिन्न राज्यों को इनामें बांटी जायेंगी । वितरण का अर्थ यह है कि राष्ट्रनिर्माण कार्य पर वह पैसा लगाया जायगा ।

वितरण तभी सन्तोषजनक कहलाया जायगा जब कुछ शर्तें पूरी हों । इसके बारे में पीगू यह कहते हैं:--

> "इसका अर्थ यह हुआ कि धनवानों से गरीबों को संसाधन हस्तान्तरित करने मात्र से---यदि पिछले अध्यायों में दी गई प्रतिक्रियाओं को छोड़ दें---भविष्य में राष्ट्रीय आय बढ़ जायगी परन्तु यह कि गरीबों की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिये पैसा लगाने से प्रत्याय उससे कम न हो जो भौतिक पूंजी में लगाने से प्राप्त हो; वह स्थूल रूप से ब्याज की सामान्य दर हुई ।"

इसलिये यदि हम यह शर्त पूरी कर लें तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी ।

अब मैं उन सुझावों के बारे में कहूंगा जिनके अनुसार प्राप्त राजस्व विशिष्ट बातों के लिये लगा देना चाहिये---वह चाहे हरिजनों के कल्याण अथवा ऐसी अन्य वांछनीय बात हो । मेरे विचार में योजना आयोग की योजना पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया जाये, क्योंकि इसका सम्बन्ध योजना को आगे बढ़ाने से है । इसके पश्चात् सदन निश्चिय करेगा कि विभिन्न राशियां भिन्न भिन्न प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों की पूर्ति में कैसे बांटी जायें । मेरे विचार में करारोपण के इस विधान में वैसी शर्त लगाना उचित नहीं है । इसी से श्री हीरेन मुखर्जी की बात का उत्तर दिया जा सकता है । इसमें थोड़ी सी जो अच्छाइयां हैं उनका वे अनुमोदन करते हैं; आप इसको जैसा चाहें बना सकते हैं परन्तु यह प्रश्न आज नहीं उठता । वह दूसरे आयव्ययक सत्र में उठेगा । उस समय सदन इस को फिर जैसा चाहेगा वैसा बनायेगा । यह कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपने माननीय मित्र के दार्शनिक समाजवाद को अंगीकार करता हूं । अभी यह कहना व्यर्थ है कि इस पहले कदम से भविष्य का कितना पता चलता है । यह विधान किसी दल के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिये नहीं है । यह समझा जा सकता है कि यह संविधान के प्रति श्रद्धा है ।

मैं ने जो कहा है उसको दुहराना अच्छा होगा क्योंकि जो मैं ने कहा था उसे "बड़ी असमता", "सब को समान करना" आदि शब्दों द्वारा विकृत कर दिया गया है । इसके उद्देश्य और कारणों में यह कहा गया है :

> "युद्ध के समय से आयकर की दर बढ़ाने से और कर-अपवंचन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आयकर जांच आयोग द्वारा जांच किये जाने से यद्यपि अब धन का अधिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

संकेन्द्रण बन्द हो गया है"—'जो धनी हैं उन के हाथों में धन के अधिक संकेन्द्रण को रोकना' तो नकारात्मक कार्य है—"पर इससे वर्तमान धन के वितरण की असमता को मिटाने की दिशा में सकारात्मक कार्य नहीं होता । यह आशा की जाती है कि सम्पदा-शुल्क लगाने से असम वितरण बहुत कुछ हद तक ठीक हो जायेगा ।"

मैं ने कहा था कि इन दो उद्देश्यों का पारस्परिक घना सम्बन्ध है । वह इस प्रकार कि इस लोकतन्त्र की व्यवस्था में जहां वयस्क मताधिकार है सब लोगों को चाहे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान न हो फिर भी अपनी दशा और अपने अधिकारों का ज्ञान अवश्य है । इसलिये धन का वृहत् प्रदर्शन सामान्य मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा । अतएव इससे चाहे अधिक आय प्राप्त भले ही न हो फिर भी इसे परिनियम पुस्त पर ऐसे विधान को रहने देना चाहिये । इससे वित्त मिलेगा तथा इसके अतिरिक्त सामान्य मनुष्यों का सहयोग भी मिलेगा । इसी दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तावित किया गया है ।

माननीय सदस्यों को यह शिकायत है कि मैं ने कर की दर नहीं बतलाई है । यह बड़ा कठिन है । पर इस विषय में मेरे जो सिद्धान्त हैं उनको मैं बता सकता हूं । हमने कौटिल्य से बातचीत आरम्भ की थी अब हम महाभारत के राजधर्म पर्व के शांतिपर्व को ले सकते हैं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहिले आता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह पहिले नहीं आता । मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल ये ही शब्द १५०० ईसापूर्व में कहे गये थे पर ये ही शब्द महाभारत के उस अन्तिम संस्करण में पाये जाते हैं जो सन् १०० ईसवी में प्राप्य था । वे समकालीन कहे जा सकते हैं ।

उसमें कहा गया है :

वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणबुद्धिना ।
मृतो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत!

अर्थात् देश को दुहा जाना चाहिये । और जब वह बछड़ा बड़ा हो जाये—

न कर्म कुरुते वत्सो भृशं दुग्धो युधिष्ठिर !

यदि उसे बहुत खिलाया दिलाया जाये तो वह काम नहीं करता । उस पर कम कर नहीं लगाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां वत्स क्या वित्त मंत्री जी हुये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं दूसरी प्रामाणिक वस्तु राष्ट्रम् का उद्धरण देता हूं :

राष्ट्रमप्यतिदुग्धं हि न कर्म कुरुते महत् ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यहां समाज 'गाय' और कर उगाहने वाला 'बछड़ा' नहीं हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं वह बात भी ले रहा हूं ।

राजन् ! दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण ।
तस्मिन्श्च सम्यतगनिशं परिपोष्यमाणे
नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः ॥

अर्थात् राजन्—सरकार या मंत्री जी, जो चाहे आप कह लें...

यदि आप राष्ट्र रूपी गाय को दुहना चाहते हो तो इस संसार के साथ बछड़े जैसा व्यवहार करो ।

ईसका ध्यान रखो कि उसका भलीभांति पोषण होता है (अन्तर्बाधा)

तब भूमि कल्पलता के समान होगी, राष्ट्र कल्पलता के समान होगा तथा उससे जाना प्रकार के फल प्राप्त होंगे।

इसलिये वैयक्तिक रूप से मैं अत्यधिक कर न लगाना चाहूंगा। पर जो लोग दे सकते हैं उनकी भी ज़िम्मेवारी है।

इस कविता में हमारी संस्कृति, सामान्य ज्ञान और अनुभव की बात भरी है।

तुलसीदास जी भी कहते हैं:

भुर्ज तरु सम संत कृपाला।
पर हित निति सह विपति बिसाला॥
सन इव खल पर बंधन करई।
खाल कढ़ाई विपति सहि मरई॥

अच्छे अपनी छाल दे देते हैं। पटसन के समान खराब लोग दूसरों को बांधने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं।

इस विधेयक में दोनों प्रकार के लोगों के लिये शिक्षा है। सज्जन हर्ष से कर दें और यदि दूसरे लोग इच्छा से नहीं देंगे....

पंडित अलगूराय शास्त्री: तो उन के लिये श्री त्यागी जी हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: सरकार और राज्य की ज़िम्मेवारी सम्बन्धी तदनुरूप हिस्से वित्त मंत्री जी पढ़ें।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे सारा 'राज धर्म पर्व' पढ़ना पड़ेगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन न करे तो क्या होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : आशा है कि माननीय सदस्य जी इससे खुश होंगे। राजा सिंहनी की भांति अपने बच्चे को दातों में तो पकड़े पर उसे हानि न पहुंचाये। यही मैं ने कहा था।

पंडित अलगूराय शास्त्री: इसी बात के लिये मैं ने चेतावनी दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मार्जार-किशोर न्याय।

श्री सी० डी० देशमुख: उसका मुझे सदैव स्मरण रहता है। मैं अब गम्भीरता-पूर्वक कहना चाहता हूं। केवल किसी सिद्धान्त का पालन करने के लिये मैं किसी अबाधित और अविभेदीय कर में विश्वास नहीं करता। वाद ठीक है पर उन पर विचार करना पड़ता है; वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुये उनको व्यवहार में लाना कैसा रहेगा यह देखना चाहिये। आज जिसे बड़ा कठोर कदम माना जाता हो उसे कुछ वर्षों के बाद छोटी सी उदार वस्तु माना जा सकता है। वस्तु जैसी हमारे सामने रखी जाय उस पर हमें विचार करना है। अतएव मेरे विचार में प्रस्तुत विधान बिना किसी इस भय के पारित किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकेगा। फिर इसका प्रभावी अंश ३, ४ महीने में सदन के सामने आने वाला है। तब यह निश्चय किया जा सकता है कि इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये। श्रीमान् जी इस प्रस्ताव के समर्थन में मुझे इतना ही कहना था।

श्री सारंगधर दास : मंत्री जी ने राजाओं के बारे में चर्चा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि "सम्पदा-शुल्क के आरोपण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। प्रवर समिति में श्री अनन्तशयनम् अय्यंगर, श्री खण्डभाई कासनजी देसाई, श्री नरहर विष्णु गाडगिल श्री देवकांत बरुआ, श्री आर० वेंकटारमन, श्री नित्यानन्द कानुनगो, श्री फीरोज़ गांधी

[अपाध्यक्ष महोदय]

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री वसन्तकुमार दास, श्री बलवन्त राय मेहता, प्रो० श्रीमन, नारायण अग्रवाल, श्रीमती अनुसुईया बाई काले, श्री पी० टी० चाको, श्री एन० केशव अय्यंगर, श्री यू० . श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एस० सिन्हा, श्री सी० डी० पांडें, श्री टेकचन्द, श्री हरिहर नाथ शास्त्री, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री सदत अली खां, श्री राधेश्याम राम कुमार मोरारका, श्री कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, हिज हाईनेस महाराजा श्री करनी सिंहजी बहादुर बीकानेर, श्री वी० पी० नायर, श्री कमल कुमार वसु, डा० लंका सुदरम्, श्री बी० आर० भगत, श्री महावीर त्यागी और प्रस्तावक होंगे। ये अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देंगे।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर तीन दिन लगा देने पर भी सब सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिला है। जो सदस्य चाहें, वे लिख कर अपने सुझाव प्रवर समिति को दे दें। यदि वे चाहें तो उसकी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। वहां वे अपने सुझाव दे सकेंगे पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ११ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।